खण्ड-360, अंक-9
बुधवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(2 मार्च, 1983 ई0)

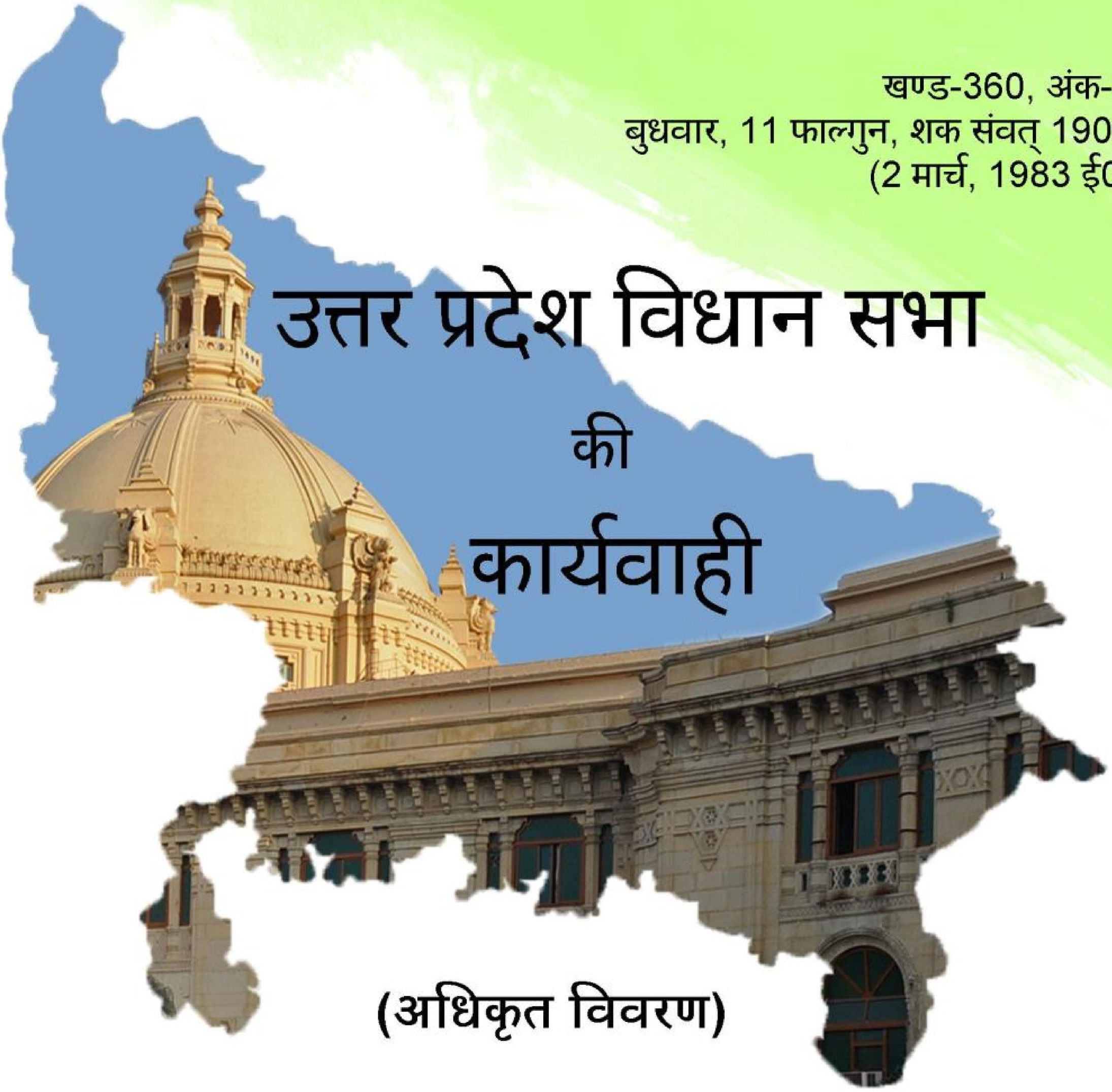

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1573–1576
प्रश्नोत्तर	1577–1656
दिनांक 1 मार्च, 1983 को आय-व्ययक पर चर्चा के समय श्री भोखालाल के भाषण में कही गयी बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1656–1658
ग्राम सभा समोगर, तहसील खास (आगरा) की 60 बीघा जमीन पर हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के पट्टेदारों को अभी तक कब्जा न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1658–1659
नया गांव हरिजन बस्ती (इलाहाबाद) को निकट भविष्य में डूबने से बचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1659
पर्वतीय जिलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं स्कूलों में शिक्षकों के अभाव से शिक्षण कार्य में अवरोध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1659–1660
मलगांव थाना सरायमीर (आजमगढ़) स्थित कब्रिस्तान में से होकर नहर निकालने की प्रस्तावित योजना से व्यापक असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1660
जनपद बुलन्दशहर में चेचक का प्रकोप एवं उसकी रोकथाम न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1660–1661
प्रश्नों के सम्बन्ध में कतिपय औचित्य के प्रश्न ..	1661–1662
दिनांक 17-2-83 को दी गयी उर्दू टीचर्स की भूख हड़ताल विषयक नियम 301 की सूचना का अन्तरिम उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1662–1663
उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	1663
श्री शंकर सिंह द्वारा अपनी विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	1663–1664
कोतवाली फैजाबाद में फर्जी रिपोर्ट लिखवाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1664–1667
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1667–1685

विषय	पृष्ठ संख्या
1983–84 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–7 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ..	1685–1726
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1726
जिला लखीमपुर खीरी के मुहल्लापोशी टोला में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1727–1728
इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	1728

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--349

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवर खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार कौशल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बहराइच)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह राणा, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री, (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निआज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद जमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)

रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालता, श्री (आजमगढ़)
लोकपति श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह डाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंस राज सिंह शर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 2 मार्च, 1983 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ से बस्ती तथा गोरखपुर रूट पर चल रही बिना परमिट की निजी बसें व उनका चालान

*1--श्री मोहन सिंह तथा श्री राम आसरे पासवान--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ से बस्ती तथा लखनऊ से गोरखपुर रूट पर निजी बसें बिना परमिट की चल रही हैं जिससे सरकार का लाखों रुपया का घाटा हो रहा है ? क्या शासन इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

कुछ बसों को अवसर पाकर इन मार्गों पर अनधिकृत रुप से बिना परमिट के चलाने के प्रयास किये जाते हैं । ऐसी बसों की कड़ी चेकिंग की जाती है और उनका नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दण्डित भी किया जाता है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी जानबूझकर सदन को सही सूचना नहीं दे रहे हैं । सच्चाई यह है कि लखनऊ-गोरखपुर का जो रूट है उस पर सबसे अधिक बसें बिना परमिट के चलती हैं । बीच में जब छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हो रहा था रेल कनेक्शन बन्द रहा उस समय 2, 3 सरकारी बसेज को छोड़ कर सभी प्राइवेट बसेज चल रही थी और अभी भी स्थिति वही है । आप कड़ी कार्यवाही करते हैं जब कोई उसके लिए प्रयास करता है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में जो थोड़ा लोगों ने प्रयास किया तो कितने ऐसे लोगों को आपके विभाग के अधिकारियों ने दंडित किया और उससे कितनी आमदनी आपके विभाग को हुई और कितने लोगों का चालान किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मेरे पास लखनऊ-गोरखपुर-बस्ती रूट की सूचना है । यह रूट राष्ट्रीय मार्ग है । इस पर परिवहन निगम की बसेज चलती हैं और कुछ बसें जो अनुबंधित हैं तथा कुछ रायल्टी पर हैं, चलती हैं । इस तरह से इस रूट पर परिवहन निगम की ओर से बसों का संचालन होता है । हां, कुछ अनधिकृत बसें भी चलाने का प्रयास किया जाता है । हमारी जो कड़ी चेकिंग हुई उसमें 126 अनधिकृत बसें तथा 42 मिनी बसें पकड़ी गयीं जिनका चालान किया गया । उनके खिलाफ न्यायालय में मामला चला और कुछ पर जुर्माना हुआ और कुछ का मामला अभी न्यायालय में लम्बित है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि हम कड़ी चेकिंग नहीं करते हैं और अनधिकृत बसों की रोकथाम नहीं करते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि यह राष्ट्रीयकृत मार्ग है और बहुत बड़ा मार्ग है । एक छोटा मार्ग बनारस-आजमगढ़ पर में सूचना देना चाहता हूं कि चेकिंग के बाद आमदनी 40 हजार से बढ़ कर 90 हजार हो गयी । माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि उसके मुकाबले गोरखपुर-लखनऊ रूट ज्यादा चालू है और बड़ा मार्ग है । इसमें 160 गाड़ियों का चालान दिखाया गया है यह संख्या बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी चेकिंग के बाद चालान के जरिये फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर डिपो की आमदनी में कितना फर्क आया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि बड़ी चेकिंग की व्यवस्था कर दी गयी है और परिवहन, पुलिस और परगना अधिकारी एक साथ मिल कर चेकिंग करते हैं और जो अनधिकृत बसें हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो फैजाबाद का जिक्र आपने किया है यदि उसकी सूचना नहीं है तो मंगा कर देख लें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह जो रूट है फैजाबाद होकर गोरखपुर बस्ती जाता है और इसमें चेकिंग के लिए फैजाबाद में भी चेक पोस्ट स्थापित की गयी है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय परिवहन मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या परिवहन मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि फैजाबाद जिला अधिकारी ने शासन और विभाग को कई बार इस आशय का पत्र लिखा है कि फैजाबाद-अकबरपुर रूट पर अनधिकृत प्राइवेट बसें जो चलती हैं उनको रोकने में आर० टी० ओ० सहयोग नहीं देता है और बार-बार लिखने के बावजूद इसमें उनका सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिये क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यहां से आदेश तो कड़े दिये गये हैं लेकिन यह खबर है कि आर० टी० ओ० सहयोग नहीं देता है, तो इसमें जांच करा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

इस तरह की शिकायतें लखनऊ-गोरखपुर रूट पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो अनधिकृत बसें चल रही हैं वह कहीं आर० टी० ओ०, कहीं पुलिस वालों और कहीं डी० एम० की सांठ गांठ से चल रही हैं, इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनधिकृत बसों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास और क्या-क्या कार्यवाहियां अब तक की गयी हैं और किन कार्यवाहियों में असफल रहे हैं और दुबारा सफल होने के लिये क्या-क्या कार्यवाहियां कर रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, परिवहन निगम ने मेरे आदेश से अनधिकृत बसों को रोकने के लिये जो कार्यवाही किया है उसमें अनाधिकृत बसों को न्यायालय में बाद तक रोक रखना तथा उन्हें जब्त करने का नियमों में प्राविधान करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, दूसरी बात जो अनधिकृत बसें चलती हैं, जब तक उनका परमिट नहीं होगा तब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा, इतना ही नहीं परिवहन निगम की बसों की भी चेकिंग करने के आदेश कर दिये हैं और चेकिंग हो रही है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया कि अनधिकृत बसों की चेकिंग जारी है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक उस चेकिंग में कितनी बसें पकड़ी गयी हैं, कितने मामले कोर्ट को दिये गये हैं और अभी जो मामले विचाराधीन हैं उनका पूरा विवरण क्या मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, लखनऊ-गोरखपुर रूट पर 126 अनधिकृत बसें पकड़ी गयी हैं और 42 मिनी बसें पकड़ी गयीं जिनमें 58 बसों के न्यायालय में फैसले हो गये हैं और उनसे 20,335 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है, इसके अलावा 16 मिनी बसों के फैसले हुये जिनसे 5,410 रु0 जुर्माना वसूला गया है।

श्री मोहन सिंह—

इनकी अवधि क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह बसें 1-1-1982 से 31-12-1982 तक पकड़ी गयी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर कि परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं लेकिन प्राइवेट बसें नियमित रूप से, निश्चित समय पर हर जगह पहुंचती हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि चेकिंग का प्रयास किया जा रहा है तो यह मेरी कल्पना के परे की बात है। इसलिये मेरी सूचना निश्चित है कि गोरखपुर रीजन में गोरखपुर से लखनऊ आने वाली, गोरखपुर से ठूठीबारी, गोरखपुर से सुनौली जाने वाली प्राइवेट बसें अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय मार्गों पर नियमित रूप से चल रही हैं और आर0 टी0 ओ0 उनकी चेकिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिये क्या मंत्री जी इनकी जांच करके इनके रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट को रद्द करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह बात ठीक है कि परिवहन निगम की कुछ बसें अच्छी हालत में नहीं हैं इसलिए प्राइवेट बसों को जो अच्छी हालत में हैं अनुबंधित किया है और वे बसें टाइम्स से यात्रियों को निश्चित जगहों पर पहुंचाती हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम परिवहन निगम की बसों को पूरी तरह से अच्छी हालत में चला पाते तो हमने खुद की जगह अनुबन्धित बसों की व्यवस्था की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें ।

श्री दलगंजन सिंह--

यह प्राइवेट बसें सारे प्रदेश की समस्या हैं और इस तरह से प्रदेश भर में सभी रूटों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, तो क्या मंत्री जी खुद, जिनके पास वेहिकल है और अन्य साधन हैं, भी इनके चेकिंग की व्यवस्था करेंगे कि किस तरह से यह अनधिकृत बसें चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मंत्री जी ने कहा चेकिंग करेंगे ।

[बुधवार, 2 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया जनपद के राजकीय पर्यवेक्षण गृह से पलायित हुये संवासी एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1--श्रीमती गौरी देवी--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के बाल सुधार गृह से मई, 1982 में 4 बच्चे गायब हो गये थे ? यदि हां, तो क्या वे गायब बच्चे बाल सुधार गृह में पुनः वापस आ गए हैं ? क्या सरकार बच्चों के गायब होने के कारणों की खोज करायेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जनपद देवरिया में कोई बाल सुधार गृह नहीं है । अतः वहां से किसी बच्चे के भागने का प्रश्न नहीं उठता । इसी जनपद में एक बाल सदन तथा एक राजकीय पर्यवेक्षण गृह स्थापित है । इनमें से किसी भी संस्था से मई, 1982 में कोई संवासी पलायित नहीं हुआ था । अपितु इसके पूर्व दिनांक 17 अप्रैल, 1982 को राजकीय पर्यवेक्षण गृह से चार संवासी पलायित हुये थे । उनमें से दो संवासी क्रमशः दिनांक 1 जुलाई, 1982 तथा 7 अगस्त, 1982 को पुनः संस्था में प्रविष्ट करा दिये गये हैं । शेष दो बच्चों की तलाश की गयी तथा न मिलने पर इस घटना के बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है । पलायन की इस घटना की जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा मैजिस्टीरियल जांच कराई गयी है तथा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारी श्री मुन्नी लाल चौकीदार को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो बच्चे नहीं मिले हैं, उनकी रिपोर्ट पुलिस में कब लिखाई गई और पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा--

20 अप्रैल को ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार न पाये जाने के लिए मैजिस्ट्रेट ने कहा, मात्र चौकीदार को ही क्यों निलम्बित किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई, उसमें चौकीदार को दोषी माना गया और उसको निलम्बित किया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

जब मैजिस्ट्रेट ने जांच की तो उन कारणों की भी जांच की होगी, जिनके कारण बच्चे भागे, तो क्या उन्होंने वे कारण बताए हैं और वे कौन-कौन कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह बच्चे क्रिमिनल बच्चे होते हैं और यह चौकीदार की देख-रेख में रहते हैं। उसकी लापरवाही से यह चार बच्चे भाग गये थे ।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

जिन दो बच्चों की तलाश अब तक नहीं हुई, उनका पता क्या है और क्या उनके घरवालों से शासन ने कोई सम्पर्क किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सम्पर्क करने के बाद ही जब पता नहीं चला तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि आप हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री हैं और संयोग से उसी बिरादरी से सम्बद्ध हैं, तो दो बच्चे उसके गायब हो गये और आप उनके नाम पता नहीं जानते हैं, तो क्या वह उनके नाम, पता ले कर यहां पर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह बच्चे क्रिमिनल बच्चे होते हैं और यह चौकीदार की देखरेख में रहते हैं। उसकी लापरवाही से यह चार बच्चे भाग गये थे ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

जिन दो बच्चों की तलाश अब तक नहीं हुई, उनका पता क्या है और क्या उसके घर वालों से शासन ने कोई सम्पर्क किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सम्पर्क करने के बाद ही जब पता नहीं चल सका तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि आप हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री हैं और संयोग से उसी बिरादरी से सम्बद्ध हैं, तो दो बच्चे उसके गायब हो गये और आप उनके नाम पता नहीं जानते हैं, तो क्या यह उनके नाम पता लेकर यहां पर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने जानकारी की, वे बच्चे लावारिस नहीं हैं । उनका नाम है मुन्ना जायसवाल तथा बृजेश कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिख, दी गयी, दो उसमें से भाग गये हैं और दो लौट आये । जो पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई 20 अप्रैल को, उसे करीब-करीब एक साल होने जा रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, जब तक पुलिस की कार्यवाही नहीं होगी, तब तक वह चौकीदार निलंबित बना रहेगा । जो जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई, उसमें क्या बिन्दु हैं ? उस हाउस का प्रभारी कौन है ? जो क्रिमिनल बच्चे पकड़ कर लाये जाते हैं, वह केवल एक चौकीदार के सहारे छोड़ दिए जाते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो मजिस्टीरियल जांच से निलम्बन के आदेश के लिये आया था, उसमें चार आधार बताये हैं । आप आज्ञा दें, तो उसे पढ़ देता हूं ।

मुन्नी लाल कहार, जिनके विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है, वह निलम्बित है । उसके खिलाफ चार आरोप इस प्रकार हैं :--

(1) गृह के चार संवासियों को भगाने में सहयोग ।

(2) निलम्बन की अवधि में श्री मुन्नी लाल कहार को वित्तीय नियम संग्रह खन्ड 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगा तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ते यदि अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन-निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ते देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ते का उपार्जित समायोजन प्राप्त नहीं, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे कि जब उनका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा व्यय इस मद को वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर उसे अनुमन्य है ।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर 2 के उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायगा जब कि श्री मुन्नी लाल कहार इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि वे किसी अन्य सेवाओं (व्यापार-वृत्ति या व्यवसायिक) में नहीं लेंगे ।

(4) निलम्बन अवधि में श्री मुन्नी लाल कहार को जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप हमारे सबका संरक्षण करें । यह माननीय मंत्री जी का रवैया बहुत गलत हो गया है । मान्यवर, मेरा पहला बिन्दु यह था कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? (2) मजिस्टेरियल इन्क्वायरी में क्या तथ्य आये, जिससे कि मात्र चौकीदार को ही दोषी ठहराया गया ? (3) 20 अप्रैल को जो पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी, आज करीब-करीब एक साल हो रहा है, उसमें क्या कार्यवाही हुई और मजिस्टेरियल इन्क्वायरी में कौन-कौन से बिन्दु हैं, जिससे कि मात्र चौकीदार को ही दोषी पाया गया, अधिकारियों के खिलाफ कोई दोष नहीं है ? क्या उसके लिए कोई प्रभारी बड़ा अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब मजिस्टेरियल इन्क्वायरी हुई, तो चौकीदार दोषी पाया गया । मान्यवर, उसकी देखरेख में 4 संवासी भाग गये थे, उसके निलम्बन के सम्बन्ध में जो निर्णय था, वह मैंने बता दिया । ये लड़के जो आब्जरवेशन में हैं, ये सब क्रिमिनल होते हैं और मुकदमा के दौरान हमारे यहां भेजे जाते हैं । वह सब कार्यवाही पुलिस कर रही है । वह दो बच्चे गुमशुदा हैं ।

शारदा सहायक खंड 32, जनपद आजमगढ़ में ठेकमा स्टोर पर प्रथम श्रेणी की ईंटों की आपूर्ति तथा भुगतान

*2--श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शारदा सहायक खन्ड-32, जनपद आजमगढ़ में ठेकमा बिजौली स्टोर पर मार्च, 1981 में एक लाख तृतीय श्रेणी की ईंटों की आपूर्ति की गयी जबकि उसके लिए प्रथम श्रेणी की ईंटों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

शारदा सहायक, खन्ड 32, जनपद आजमगढ़ में ठेकमा स्टोर (न कि ठेकमा बिजौली स्टोर) पर मार्च, 1981 में तृतीय श्रेणी की ईंटों की कोई आपूर्ति नहीं की गयी थी । प्रथम श्रेणी की 1,50,000 (डेढ़ लाख) ईंटों की आपूर्ति ली गई और प्रथम श्रेणी की ईंटों का भुगतान किया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

टोंस नदी पर बने बंध के टूटने से चार व्यक्तियों की मृत्यु

*3--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक 11 नवम्बर, 1981 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जनपद बलिया में स्थित गंगाघाट मार्ग पर टोंस नदी पर बने बंध के टूट जाने से चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 100 घायल हो गये ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में पारा माइनर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने की कार्यवाही

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खन्ड-23 के पारा माइनर का निर्माण जिस भूमि पर हो रहा है उसको अधिग्रहीत करने हेतु क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? बिना मुआवजा दिए जमीन पर सिंचाई विभाग द्वारा कब्जा क्यों कर लिया गया है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खन्ड 23 के अन्तर्गत पारा माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि को अध्याप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक 17-2-83 को भेज दिया गया है । प्रभावित कृषकों की लिखित रजामन्दी के बाद आंशिक भाग में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है । प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही आपसी रजामन्दी के आधार पर सीधे सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर सरकार द्वारा किसानों का शोषण किये जाने का यह साफ प्रमाण सवाल और उसका उत्तर है । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना है वह कब प्रारम्भ हुयी थी ? सिंचाई विभाग का यह नियम है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जायगा । तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा । मामला 17-2-83 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया है । तो इसमें विलम्ब हुआ है तो क्या इसके लिये मंत्री जी विभाग के अधिकारी को शास्ति देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह 1978 में प्रारम्भ हुआ था । यह 4 किलोमीटर लम्बी माइनर है । 2·7 कि0 मी0 की गांव वालों की रजामन्दी से 79 में पूरा किया गया । बाकी माइनर चूंकि भूमि नहीं मिल पायी इसलिये पूरी नहीं हो पायी । यह जो कहा गया है कि विलम्ब हुआ है तो गांव वालों की जब रजामंदी हो गयी तो वहां से माइनर निकल गयी कुछ जगह पर चकबन्दी हो रही थी इसलिये दिक्कत हुयी । धारा 52 के प्रकाशन के बाद लैंड लेस कार्यवाही हो सकती थी । विलम्ब जरूर हुआ है । लेकिन नेगोशियेशन से मुआवजा दिया जायगा । 3 गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी होने की वजह से भूमि निकल गयी थी तो वहां मुआवजा देने की जरूरत नहीं है लेकिन 4 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन नहीं निकली तो यहां पर जल्दी से जल्दी नेगोशियेशन द्वारा दिला दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि कोई रजामंदी नहीं हुयी है । मंत्री जी ने कहा कि रजामंदी हो गयी थी इसलिये कार्य प्रारम्भ हुआ । काश्तकार मेरे पास आये थे । यदि कोई रजामंदी हुयी है तो क्या मंत्री जी उल्लिखित आलेख्य को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह तो मेरे पास नहीं है । मान्यवर, अब तो बात खत्म हो गई है । नेगोसियेशन से जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देर न हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सन् 1978 से किसान लड़ते रहे हैं कोई लिखित रजामंदी नहीं दी गयी है । मंत्री के पास कोई रजामंदी का आलेख्य भी नहीं है । यह पूरा प्रकरण किसानों के शोषण का है । कल तक की जानकारी है कि किसी विभागीय अधिकारी ने किसी काश्तकार से बातचीत नहीं की है । किसान जब वहां गये तो उन्होंने कहा भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास भेजा गया है । तो काश्तकारों के हित में मंत्री जी क्या सचिवालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेज कर दिखवा लेंगे और अगर कोई अधिकारी जानबूझकर डिले कर रहा है तो उसे दंडित करेंगे ताकि मुआवजा जल्दी मिले ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

यहां से भेजने की बात नहीं है । लेकिन मैं चीफ इंजीनियर से कह दूंगा कि वह इस मैटर को देख लेंगे और जल्द से जल्द मुआवजा दिलवा दिया जायगा ।

*5--श्री रेवती रमन सिंह--

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हदरुख माइनर, जालौन की खुदाई तथा जल आपूर्ति

*6--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हदरुख माइनर, जनपद जालौन की खुदाई का कार्य कब पूरा हुआ और माह अक्तूबर, 1982 में पलेवा के लिए पानी न दिये जाने के क्या कारण हैं ? कब तक इस माइनर से पानी दिया जायगा ?

श्री गोपाल राम दास--

हदरुख माइनर की खुदाई लगभग 1981 में पूरी हुई तब से यह माइनर बराबर रबी तथा खरीफ की सिंचाई कर रही है । इस माइनर की वार्षिक सफाई (खुदाई) वर्ष 1982 के माह अक्तूबर में पूरी की गयी तथा माह अक्तूबर तथा नवम्बर, 1982 में पलेवा के लिये भरपूर पानी दिया गया ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि अक्तूबर में इस माइनर के खुदाई का काम पूरा करा दिया है और अक्तूबर में ही पलेवा होना था। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस माइनर की टेल पर कितनी सिंचाई हुई ? दूसरा माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस माइनर हदरुख के मुताल्लिक माननीय श्री बीर बहादुर सिंह जी ने 11-10-82 को आदेश किये थे, जिसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास उपलब्ध है कि इस माइनर की खुदाई करा दी जाय, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके आदेश का भी पालन नहीं हुआ। साथ ही, मान्यवर पलेवा को लेकर 25 अक्तूबर को वहां के किसानों ने उरई में आन्दोलन एवं प्रदर्शन किया, जिसकी यह कटिंग्स मेरे पास है।

(श्री दलगंजन सिंह ने पेपर की कटिंग्स को सदन के फ्लोर पर आकर फेंका।)

श्री अध्यक्ष--

यह नियम विरुद्ध है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप अपनी सीट पर जायें और सवाल करें।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, सिंचाई विभाग में सफाई के नाम पर सारा रुपया हड़प लिया जाता है और हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, किसान के लिए, एक-एक बूंद पानी के लिए, इस समस्या से मैंने राज्य मंत्री माननीय श्री रणजीत सिंह जूदेव को जो बुन्देलखण्ड के प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया है।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल करें।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि माइनर की टेल पर कितनी सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को जो कष्ट है, उतना कष्ट हम लोगों को भी है। अगर सिंचाई नहीं होती है, तो देश और प्रदेश का कार्य कैसे होगा। मान्यवर, यह जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें कहा गया है कि अक्तूबर के महीने में माइनर की सफाई करा दी गई है, यह इस रिपोर्ट में है, लेकिन आप कहते हैं कि यह नहीं हुआ तो आप अगर चाहेंगे तो फिर से इसकी जांच करा लेंगे कि यह सत्य है या नहीं ? दूसरी बात यह जो सिंचाई से सम्बन्धित है, मान्यवर, इस माइनर की जो प्रस्तावित क्षमता है वह 242 एकड़ है। इस मूल का सी0 सी0 ए0 798 एकड़ है तथा प्रस्तावित सींच 242 एकड़ है। मान्यवर, सिंचाई जो हुई है यह 1389 फसली में 233 एकड़ तथा 1390 फसली दिसम्बर, 1982 तक 371 एकड़।

श्री रियासत हुसैन--

प्रश्न पलेवा का है।

श्री बीर बहादुर सिंह--

जितनी सिंचाई होती है, उसको मैं बता रहा हूं, पलेवा का अलग से नहीं है। मान्यवर, 242 एकड़ के एगेन्स्ट में 371 एकड़ की सिंचाई हुई है। इसलिए मैं कैसे कह दूं कि सिंचाई नहीं हुई है।

श्री दलगंजन सिंह--

यह समस्या करीब-करीब मान्यवर, सारे प्रदेश की है कि नहरों के माइनरों की सफाई नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिन नहरों की सफाई सिंचाई विभाग करायेगा, उसका निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक से करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब माइनर की सफाई हो रही हो और अगर क्षेत्रीय विधायक उसका निरीक्षण करना चाहे, तो कभी भी कर सकते हैं।

*7--श्री रियासत हुसैन--

[15वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा में पेयजल से अभावग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की योजना

*8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कितने पेयजल अभावग्रस्त ग्राम हैं। उन ग्रामों को तत्काल जल उपलब्ध कराने की क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 1821 पेयजल से अभावग्रस्त ग्राम हैं, जिनमें से 671 अभावग्रस्त ग्रामों को मार्च, 1982 तक पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1982-83 में 96 अभावग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने की योजना है। शेष अभावग्रस्त ग्रामों को आगामी वर्षों में योजना के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं पुनः इस बात को दोहरा दे रहा हूं 96 गांव जो है इनमें मोहाना गांव विकास खंड चौखटिया और काफी गांव विकास खंड स्याल के जहां 5-5 लीटर पानी मिलता है वह गांव भी इसमें शामिल हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि 72 मे सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार 1821 गांव अभावग्रस्त पाये गये थे। उन्हीं गांवों में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। 671 गांव में पानी पहुंचा दिया गया है और 96 गांवों में इस महीने के अन्त तक पहुंच जायेगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्दर्भित यह जानना चाहूंगा कि यह देखते हुये कि अभावग्रस्त ग्राम 71 के सर्वेक्षण में काफी है क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि अगले कुछ वर्षों में 5 साल, 6 साल, 7 साल के अन्दर सभी अभावग्रस्त ग्राम समूह को पानी देने की व्यवस्था सरकार कर देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह तो उत्तर में ही है अगले कुछ वर्षों में शेष अभावग्रस्त ग्रामों में पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री बिहारी लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद अल्मोड़ा के ग्राम सिलमिटी में पेयजल की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष--

आप एक गांव के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले हफ्ते हमने प्रश्न किया था जिसके माध्यम से पूछा था कि ग्राम सिलमिटी में पेयजल की व्यवस्था है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह सम्भव नहीं हो सकता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1972 में अभावग्रस्त ग्रामों का सर्वे हुआ । लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हो गई है । जो उस समय अभावग्रस्त नहीं थे वह अब अभावग्रस्त हो गये हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी दुबारा सर्वे कराने की कृपा करेंगे, ताकि पेयजल वहां भी उपलब्ध कराया जा सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जब तक यह जो 1972 की सूची बनी है अभावग्रस्त ग्रामों की उस पर काम नहीं हो जाता तब तक और गांवों के बारे में जानकारी या सर्वे करना सम्भव नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभावग्रस्त ग्राम दर्शाये हैं इनके नापने का क्या जरिया है । आपने कहा कि 671 गांव लाभान्वित कर दिये गये हैं क्या यह वास्तव में अभावग्रस्त थे ? चूंकि मेरी निजी जानकारी है कि एक गांव को इस योजना में रखा गया था अभावग्रस्त नहीं थे । मैं जानना चाहता हूं कि अभावग्रस्त आप कैसे आंकते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, हो सकता है विष्ट जी की सूचना सही हो। यह सर्वेक्षण हुआ है, उस समय कुछ अधिकारी गये थे और उनके समझ में जो समस्या उस समय रही होगी उसी के आधार पर उन्होंने अभावग्रस्त गांवों की सूची बना ली। और गांव भी हो सकते हैं जहां पीने के पानी की कमी हो। विष्ट जी बतायेंगे, उन को भी दिखला लिया जायेगा।

यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट लि0 के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, श्री वी0 के0 घई का कार्यकाल बढ़ाने तथा स्कूटर्स इन्डिया से मैगनेटोज की आपूर्ति हेतु नियमित रूप से आदेश

*9—श्री मोहन सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 की प्रमुख राजकीय संस्था यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट इंडिया लि0 के मौजूदा प्रबन्ध निदेशक ब्रिगेडियर घई का कार्यकाल जुलाई-अगस्त, 1982 में समाप्त हो गया ? यदि हां, तो इन्हें इस पद पर बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या यही सही है कि स्कूटर इंडिया लि0 ने वाटर मोटर और मैगनेट बनाने का आदेश इस कम्पनी को देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्टस लि0 के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, श्री वी0 के0 घई का कार्यकाल 23 सितम्बर, 1882 को समाप्त होना था, किन्तु कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री घई का कार्यकाल एक वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया है।

स्कूटर्स इंडिया लि0 इस कम्पनी से वाटरमोटर्स नहीं खरीदता है। स्कूटर्स इंडिया से मैगनेटोज की आपूर्ति हेतु नियमित रूप से आदेश प्राप्त हो रहे हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, श्री वी0 के0 घई आर्मी से रिटायर्ड आफिसर हैं और यहां भी उनके क्रियाकलापों के बारे में संदेह किया गया है, जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन देकर, पत्र लिखकर, इनको हटाने की मांग को लेकर आन्दोलन हुए, मजदूर आन्दोलन हुए, इनके प्रतिनिधियों ने भी इन को हटाने की मांग की, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी नीति है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में विस्तार नहीं दिया जायेगा, केन्द्र सरकार ने भी निर्देशित किया है कि सेवा में विस्तार नहीं दिया जाये, तो इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में, जिसमें इनके प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकार हैं, शासन की नीति, केन्द्र सरकार के निर्देश, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं, मजदूर नेताओं की भावनाओं के विपरीत इस व्यक्ति विशेष को, जो आल-रेडी रिटायर्ड है, पुनः सेवा में विस्तार देने के सम्बन्ध में शासन का क्या विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि इनका कार्यकाल 23 सितम्बर, 1982 को समाप्त होना था। लेकिन निदेशक मंडल ने विचार किया और 24-9-1982 से 3 वर्ष के लिए प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति करने की संस्तुति शासन के पास आयी। शासन ने पूरे काल को नहीं माना लेकिन थोड़े समय तक के लिए, जब तक कि दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तो एक वर्ष के लिए या जब 60 वर्ष की आयु हो जाये, जो भी कम हो, किया गया है। जो भारत सरकार की नीति है, उसी के अनुसार ही काम किया जा रहा है। यह जो व्यवस्था की गई है, यह पहले की गई थी और शासन इस पर विचार कर रहा है कि आगे क्या किया जाय।

श्री ऊदल--

घई साहब टेक्निकल व्यक्ति नहीं हैं, स्कूट्र्स इंडिया में जब से उन्होंने कार्यभार सम्हाला है, कार्य का भी नुकसान हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम हुआ। क्या इसकी जानकारी सरकार ने की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके कार्यकाल की पूरी जांच करायेगी कि यह कम्पनी जो है, अपनी क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि 1981-82 में असंतोष का वातावरण रहा और उसके बाद कम्पनी ठीक से काम कर रही है और यह भी ठीक है कि जो काम इनको करना था, स्कूटर्स इंडिया की डिमांड उतनी नहीं रह गई जितने के लिए यह फैक्ट्री बनायी गयी थी, इसलिए यह वाटर मीटर बना रहा है, और भी चीजें बना रहा है। यह बात सही है कि इसमें सुधार लाया गया है और आशा है कि कम्पनी सुधार की तरफ चल रही है और इससे सुधार हो रहा है। जहां तक और बातों की जानकारी है, इस पर जानकारी की जा रही है। मैंने कहा कि सरकार के विचाराधीन है यह मामला।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक अनुपूरक पूछने का मौका दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आगे बढ़ गया हूं, यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक अनुपूरक।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

परम्परा न तोड़िये, कृपया बैठिये।

जनपद देहरादून में चौधरी वेदपाल सिंह को खनन पट्टे पर दी गई भूमि

*10—श्री ओम प्रकाश जिन्दल (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सन् 1979 के जनता पार्टी के उ0 प्र0 के शासनकाल में देहरादून जनपद के तम्बीरधार क्षेत्र में चौ0 वेदपाल सिंह को 96 एकड़ पहाड़ी की माइन लीज पर इन शर्त पर दी गयी थी कि वे वहां स्वयं कार्य करेंगे तथा किसी अन्य पार्टी को किराये पर नहीं देंगे ? क्या यह सही है कि उन्होंने अपनी लीज को 5 लाख रुपये वार्षिक पर मेसर्स पंजाब लाइम स्टोन कं0, देहरादून को किराए पर दे दी ? यदि हां, तो मंत्री जी इस लीज को तुरन्त रद्द करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चौधरी वेदपाल सिंह को जनपद देहरादून में वर्ष 1979 में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया। इनके पक्ष में वर्ष 1962 में ग्राम भितरली में खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अन्तर्गत लाइम स्टोन हेतु 96 एकड़ क्षेत्र खनन पट्टे पर स्वीकृत हुआ था। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र श्री चौधरी द्वारा सर्वश्री पंजाब लाइम एन्ड लाइम स्टोन कं0 को किराये पर नहीं दिया गया, बल्कि उसका प्रबन्ध स्वयं उन्हीं के द्वारा किया गया है। अतः इस आधार पर पट्टा समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

हरदोई खन्ड के अन्तर्गत नई खोदी गयी ड्रेन पर बनाये गये पुल के क्षतिग्रस्त होने से समीप के स्थल पर कटान

*11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई खन्ड (ड्रेनेज डिवीजन) के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन पर ग्राम पड़रा लखनपुर के पास चार वर्ष पूर्व बनाया गया पुल शुरू से लेकर अब तक बेकार पड़ा है तथा हथौड़ा ड्रेन पास पड़ोस के सारे खेतों को काटती चली जा रही है ? यदि हां, तो इसके रोकथाम के लिये किन-किन उपायों पर शासन विचार कर रहा है ? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नई खोदी गई ड्रेन पर बनाया गया पुल बेकार नहीं पड़ा है।

परित्यागित हथौड़ा ड्रेन के समीप का स्थल कुछ दूरी में नीचा है, जिसमें कटान हो रहा है।

इस क्षेत्र की भूमि हल्की बलुई है, जिसके कारण यहां पर स्थित खेतों में खारे बन जाती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके समाधान हेतु शासन द्वारा कोई उपचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि निचले क्षेत्रों में कटाव को रोकने के लिए भू-स्वामियों को स्वयं ही मेड़बन्दी एवं भू-संरक्षण आदि की विधि अपनानी है।

प्रकृति के इस प्रकार के प्रकोप से हुई हानि के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस पुल की वैसी ही हालत है जैसी माननीय मन्त्री जी द्वारा दिये गये उत्तर की । उत्तर का पहला शब्द ही गलत बयान किया गया है । नई खोदी गयी ड्रेन की बात माननीय मन्त्री जी ने कही है, मैंने प्रश्न किया था उस ड्रेन के बारे में जो अंग्रेजों के जमाने से अब तक चली आ रही है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें आप ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नई ड्रेन नहीं है, ड्रेन पुरानी है ।...

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना दे रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्थिति बता दूं उसी पर प्रश्न करूंगा पुरानी ड्रेन पर पुल जो डिफेक्टिव स्थिति में हो गया है उसकी जगह पर दूसरा पुल बनना था । मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि वह पुल जो नया बनाया गया है, 100 मीटर दूर अलग-अलग पड़ा है । ड्रेन दूसरी जगह बन रही है, पुल दूसरी जगह बना है ।...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करिये न ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि क्या मेरी इस जानकारी को सही मानकर, पुल जो बनाया गया था आज भी अलग-अलग पड़ा है, ड्रेन का बहाव दूसरी जगह है जिसके कारण खेतों में कटान हो रहा है खेती बरबाद हो रही है, इसकी जानकारी किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे और व्यवस्थित तरीके से पुल बनाये जाने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो मेरी सूचना है वह यह है कि पुल बनाया गया है, नई ड्रेन पर । माननीय सदस्य कहते हैं यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो जो भी उचित व्यवस्था होगी, कराई जायेगी ।

बुन्देलखंड में सिंचाई संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु तकनीकी कमेटी बनाने का निर्णय

*12— प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 अक्तूबर, 1982 को मध्य प्रदेश में उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश के शासन ने बुन्देलखन्ड में सिंचाई संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए कोई तकनीकी कमेटी बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री गोपाल राम दास--

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति ने 12 अगस्त, 1981 की बैठक म तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया, जिसका अनुमोदन मध्य क्षेत्रीय परिषद् ने अपनी 17-10-1982 की बैठक में किया ।

उक्त तकनीकी कमेटी में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई सचिव, दोनों प्रदेशों के सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता, सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषदों के प्रतिनिधि, केन्द्रीय जल आयोग के एक प्रतिनिधि सदस्य हैं ।

प्रश्नगत तकनीकी समिति मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा संदर्भित किये जाने पर दोनों राज्यों को बुन्देलखन्ड का मास्टर प्लान बनाने, जल संसाधनों का विकास करने आदि के मामलों पर तकनीकी परामर्श देगी ।

प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी समिति को बुन्देलखन्ड में सिंचाई के लिये मास्टर प्लान बनाने के लिये कौन-कौन से सुझाव दिये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह एक तकनीकी समिति है इन तकनीकी समिति के कुछ काम बताये गये हैं और यह तकनीकी समिति किस समय पर क्या-क्या काम करेगी, वह इस प्रकार है :

(1) समिति दोनों राज्यों अथवा किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहमति से सन्दर्भ किये जाने पर मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध मे अपना तकनीकी मार्ग-दर्शन देगी ।

(2) समिति दोनों राज्यों द्वारा अथवा किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहमति से सन्दर्भ किये जाने पर चालू योजनाओं पर जिनके निबन्ध हो चुके हैं, पर पानी के अधिकतम प्रयोग के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श देगी ।

(3) समिति दोनों राज्यों द्वारा सन्दर्भ किये जाने पर बुन्देलखन्ड क्षेत्र के जल साधनों में विकास हेतु तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर अपनी संस्तुति देगी ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सन् 1977 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को ग्रेटर गगऊ बांध बनाने को मिला था, तो क्या इस बांध को इस तकनीकी समिति को सौंपने का कार्य करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि ग्रेटर गगऊ बांध बहुत पुराना है । इस बांध को बनाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार को करना था और मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई में अपना प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा था । लेकिन जो वह प्रोजेक भेजा गया है उसमें जो हम चाहते हैं वह बात नहीं है, इसलिये इसे हम नही

मान रहे हैं । फिर उत्तर प्रदेश का जो बुन्देलखन्ड का सूखा एरिया है, उसकी जो सिंचाई की समस्यायें हैं, उसको कैसे दूर किया जाय, हम इसके पानी को बढ़ाकर आधा शेयर उत्तर प्रदेश को मिलेगा ताकि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखन्ड क्षेत्र को यह पानी मिल सके । इस पर कार्यवाही हो रही है ।

जनपद रामपुर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने के बाद उद्योग लगाने हेतु दिया गया ऋण तथा स्टाम्प शुल्क की वापसी हेतु कथित योजना

*13—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979 में जनपद रामपुर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने के बाद 1979–80 में जिन लोगों को उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया गया क्या उनसे स्टाम्प शुल्क लिया गया था ? क्या यह सही है कि सरकार ने विभाग का उपरोक्त स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए धन दिया था ? यदि हां, तो वर्ष 1979–80 में ऋण प्राप्त करने वालों को क्या वह धनराशि वापस की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979 में जनपद रामपुर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने के बाद वर्ष 1979–80 में जिन लोगों को उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया गया था उनसे स्टाम्प शुल्क लिया गया था क्योंकि उस समय स्टाम्प शुल्क की वापसी हेतु कोई योजना लागू नहीं थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह लाकर कि वर्ष 1979 में जिला उद्योग योजना का कार्य शुरू किया गया था और उसमें छोटे उद्योगों को ऋण दिया जायेगा। लेकिन मात्र 9 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है । इस बात को देखकर शासन ने निर्णय किया कि ऐसे छोटे–छोटे उद्योगों को और छोटी–छोटी धनराशि के जो ऋण हैं, स्टाम्प शुल्क के लिए अनुदान दिया जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या कठिनाई है, स्टाम्प शुल्क को 1980–81 में वापस करने के लिए। जिन लोगों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए सब से पहले आगे आए थे, 1979–80 में उन्हें स्टाम्प शुल्क देने में क्या कठिनाई हो रही है । क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उन्हें स्टाम्प शुल्क अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह योजना केवल रामपुर में ही नहीं प्रदेश के 56 जिलों में शुरू की गई है । लोगों ने कहा कि स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने से यह उद्योग जितनी जल्दी से जल्दी लगने थे, नहीं लगे। 1980–81 में निर्णय लिया गया कि जो स्टाम्प शुल्क लगा है उसे सरकार वहन करेगी और उसे वापस कर दिया जायेगा। मान्यवर, जब लागू होता है, उस समय से लागू किया जाता है बैक डेट से लागू नहीं किया गया । 1979–80 में इसकी कोई योजना नहीं थी इसलिए इसमें यह लागू नहीं किया गया ।

जनपद कानपुर देहात में नहरों को काटने के कारण नहरों की टेल पर पानी की कमी तथा रोकथाम हेतु विभागीय कार्यवाही

*14—श्री हरीकिशन श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की नहर एवं बम्बे अधिक खादियां हो जाने के कारण टेलों पर पर्याप्त पानी माह सितम्बर, अक्तूबर, 1982 में नहीं पहुंचा सके हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद कानपुर देहात में इटावा शाखा, कानपुर शाखा, भोगनीपुर शाखा तथा पश्चिमी इलाहाबाद शाखा की नहर प्रणालियों से सिंचाई होती है । माह अगस्त व सितम्बर, 1982 में इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । अतः सभी नहर शाखाओं को बन्द करना पड़ा । फसलों को क्षति से बचाने की दृष्टि से क्षेत्र का पानी नहर की पटरियां काटकर नहरों में लिया गया । इन सभी कटिंग को बन्द कराकर माह सितम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में नहरें सिंचाई के लिए चलाई गयीं । वर्षा के पूर्ण अभाव के कारण माह अक्तूबर, 1982 के दूसरे सप्ताह से सभी नहरों पर पानी की तीव्र मांग हो गयी । नदी में उपलब्ध जल के अनुसार नहरें रोस्टर में चलानी पड़ी व उनके पूरी क्षमता से चलाए जाने के बाद भी काश्तकारों द्वारा अवैधानिक तरीके से नहरों को काटने के कारण कुछ नहरों की टेल पर पानी की कमी रही । अवैधानिक कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए विभागीय कर्मचारियों ने व्यापक रूप से नहरों पर पैट्रोलिंग की तथा दोषी काश्तकारों के विरुद्ध तावान लगाने एवं मुकदमें चलाने की कार्यवाही भी की गयी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में शोध अधिकारी के पद पर श्री गुप्ता की पदोन्नति

*15—श्री झिलमिट राम (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1980 में हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में जो 2 पद शोध अधिकारी के लिए सृजित किए गए थे उन पदों पर अक्तूबर, 1980 से नियुक्त हुए व्यक्तियों के रहते हुए श्री गुप्ता की नियमित पदोन्नति दिनांक 20 मार्च, 1982 से शोध अधिकारी के पद पर किस आधार पर कर दी गयी ? क्या उन्हें लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं ।

श्री गुप्ता की पदोन्नति मार्च, 1980 में समाज कल्याण की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सृजित किए गए शोध अधिकारी के पद पर विभागीय अभ्यर्थियों में से प्रोन्नति देकर की गई है । इस नियुक्ति के नियमितीकरण के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का अनुमोदन अपेक्षित है ।

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उपखंड महाराजगंज में नहरों व ड्रेनों की सीमा का निर्धारण

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मधुबनी शाखा निर्माण खंड में एक नया सब डिवीजन इसी वित्तीय वर्ष 1982-83 में सम्बन्धित अधिकारियों ने चालू कराकर सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद किया है ? यदि हां, तो क्या आई0 एम0 ओ0 के पैरा 8 में 13-ए के अनुसार एक सब डिवीजन में नियमतः कितने किलोमीटर नहरें व ड्रेन्स होनी चाहिए और क्या इस-अनुरूप सब डिवीजन महाराजगंज के ए0 ई0 के क्षेत्र में निर्धारित सीमा व नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास—

जी नहीं ।

आई0 एम0 ओ0 के पैरा 8 के उप पैरा 13-ए के अनुसार नहीं बल्कि 13 के अनुसार एक उपखंड में औसतन 200 से 300 मील लम्बी नहरें तथा 100 मील लम्बी ड्रेन्स होती हैं । उपखंड (महाराजगंज) में नहरों व ड्रेनों की निर्धारित सीमा नहीं रखी जा सकी है क्योंकि इस खंड के चारों उपखंडों को रख-रखाव के कार्य, प्रणालीवार दिए गए हैं । साथ ही इन उपखंडों से अभी गंडक परियोजना का शेष निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है ।

(सिंचाई राज्य मन्त्री द्वारा प्रश्न का उत्तर रुक-रुक कर पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष —

माननीय मन्त्री जी, इन प्रश्नों को कई-कई बार पढ़ा करें । सुबह 4 बजे उठकर पढ़ा करें ।

(हंसी)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि जो महाराजगंज के क्षेत्र को काटकर नया सब-डिवीजन बनाया गया है और अब उपखंड की बात कही गयी है, तो प्रत्येक में कितने-कितने किलोमीटर नहरें और ड्रेन्स दी गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 5 सब-डिवीजन नहीं हैं, 4 सब-डिवीजन हैं और एक एटेच्ड पोस्ट है । जो 4 सब-डिवीजन हैं, इसमें प्रथम में 218·752 कि0 मी0 नहरें तथा 161.610 कि0 मी0 ड्रेन्स, दूसरे उपखन्ड में 207.914 कि0 मी0 माइनर और 91·683 कि0 मी0 ड्रेन्स, तीसरे उपखन्ड में 199·762 कि0 मी0 नहरें और 86·703 कि0 मी0 ड्रेन्स तथा चतुर्थ में 385·628 कि0 मी0 नहरें तथा 152·10 कि0 मी0 ड्रेन्स, इस प्रकार बनाया गया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र, जो महाराजगंज में रहने वाले ए0 ई0

का क्षेत्र है, क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को पिछड़ा करने के लिए और जो आपका क्षेत्र सटा हुआ है उसके विकास को देखते हुए आपने एक नए सब डिवीजन की मांग की है, जब कि महाराजगंज सबसे पहले पड़ता है वहां कार्य को प्रभावित करने के कारण और अपने वाले में विकास को देखते हुए नया सब डिवीजन बनाया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, कोई नया विकास नहीं करना है। नहरें बन चुकी हैं, थोड़ी बहुत बाकी हैं। नये क्षेत्र बनाने की बात नहीं है, जो यह पांचवां दिया गया है, मैंने कहा कि वह एटैच्ड पोस्ट है, वह कोई काम करने के लिये नहीं है। वह गन्डक रिवर उसका ट्रेनी वर्क है। उसके सर्वे का काम उसके जिम्मे है और कोई काम नहीं है। यह नहीं है कि किसी एरिया में लगाया गया है या कोई नया काम करना है। माननीय सदस्य ऐसे भ्रम में न पड़ें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या यह सही है कि महाराजगंज डिवीजन को काटकर जो एक नया सब डिवीजन बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत मौलागंज से मजुरी होते हुए नरकटा तक नहर पटरी जाती है, उसके विकास के लिए मन्त्री जी ईंट सोलिंग करा रहे हैं, जो उनके क्षेत्र पनियरा में पड़ता है परन्तु महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली नहर पटरियों की सोलिंग नहीं कराई जा रही है। जो नहर के ऊपरी हिस्से पर आता है ? यदि हां, तो इस विषय में मौलागंज नरकटहा वाले की सोलिंग कराने का क्या औचित्य है और महाराजगंज की नहर पटरियों की सोलिंग न कराने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि वह कोई नया सब-डिवीजन नहीं बनाया गया है, वह मौलागंज से मजरी नरकटा जो माननीय सदस्य ने क्षेत्र बताये हैं, बाढ़ इफेक्टेड एरियाज हैं, जिनके सर्वे के लिए जाना पड़ता है, इसलिए यह अलग से बना लिया गया है, जो बहुत पहले का है आज का बनाया हुआ नहीं है। और दूसरी बात नहरों पर अलग से पटरियां बनवाने के लिए सिंचाई विभाग के पास पैसा नहीं है, परन्तु कभी-कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो वहां पर इन्हें बनवा लिया जाता है। और वह सिर्फ क्षेत्र इंस्पेक्शन के लिए बनवाया गया है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय विशारद जी के दुख को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने यहां की भांति एक नया सब-डिवीजन उनके क्षेत्र में बनवा दें चाहे नुकसान ही हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं देता। आप कोई दूसरा प्रश्न करिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में जो माननीय मंत्री जी का जनपद है, वहां पर सब-डिवीजन्स की भरमार है और सिंचाई विभाग का करोड़ों रुपया सब-डिवीजन्स के नाम पर बड़ी गन्डक के पेट में फेंके जा रहे हैं तथा दूसरी ओर अपनों को एडजेस्ट करने के लिए तमाम रुपये को फेंका जा रहा है तो क्या माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक नया सब-डिवीजन नहीं बनाया जा सकता है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह कोई नया सब-डिवीजन नहीं बनाया गया है, वह बाढ़ के करीब का एरिया है, इसलिए वहां अक्सर इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है, वही बना हुआ है पहले से । आज का नया बनवाया हुआ नहीं है ।

ग्राम पुरमाफी, तहसील कैराना में नाले के निर्माण हेतु भूमि छोड़ने का कथित निर्देश

*18--श्री हुकम सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता यमुना नहर, मुजफ्फर नगर ने माह सितम्बर/अक्तूबर, 1982 में ग्राम पुरमाफी तहसील कैराना में एक नाले के निर्माण हेतु चकबन्दी अधिकारियों को भूमि छोड़ने के निर्देश दिए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त नाले का निर्माण जनहित में नहीं है और ग्राम की चकबन्दी समिति एवं गांव पंचायत ने उपर्युक्त प्रस्ताव को अनावश्यक बनाया है ? क्या नाले के निर्माण का प्रस्ताव शासन से स्वीकृति कराया गया है ? यदि नहीं, तो अधिशासी अभियन्ता ने बिना स्वीकृत के निर्माण प्रस्ताव कैसे किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता, यमुना नहर, मुजफ्फरनगर ने उक्त ग्राम में नाले के निर्माण हेतु चकबन्दी अधिकारियों को भूमि छोड़ने के कोई निर्देश नहीं दिये हैं ।

उक्त नाले के निर्माण हेतु अभी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह जनहित में है या नहीं । ग्राम की चकबन्दी समिति एवं ग्राम पंचायत ने उक्त नाले के निर्माण के कोई प्रस्ताव शासन से स्वीकृत नहीं कराये हैं ।

उपरोक्त परिस्थितियों में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त नाले के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को भेजने या स्वीकृत कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं वह यह कि जो उत्तर माननीय मन्त्री जी की ओर से साइक्लोस्टाइल्ड होकर आया है, उसमें प्रश्न कुछ है और एजेन्डे में कुछ और है । इन दोनों प्रश्नों में काफी अन्तर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा प्रश्न करूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप केवल प्रश्न करें, समय इतना नहीं है, यदि ऐसी बात थी तो आपको पहले से हमें लिखकर दे देना चाहिए था, आप प्रश्न करें ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं पहले साईक्लोस्टाइल्ड प्रश्न की चौथी लाइन से प्रश्न करता हूं । क्या यह सही है कि उक्त नाले का निर्माण जनहित में नहीं है और ग्राम की चकबन्दी समिति एवं गांव पंचायत ने उपर्युक्त प्रस्ताव को अनावश्यक बनाया है । इसके आगे मान्यवर, एजेन्डे में इतना और लिखा है कि क्या नाले के निर्माण का प्रस्ताव शासन से स्वीकृत कराया गया है ? यदि नहीं, तो अधिशासी अभियन्ता ने बिना स्वीकृति के निर्माण प्रस्ताव कैसे किया ?

मान्यवर, इस विषय में और कोई बात हमें नहीं उठानी है केवल यही निवेदन है कि इस प्रकार प्रश्नों को न छापा जाए, जिससे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो । यह तो मैंने प्रश्न नहीं पूछा है कि नाले के निर्माण को शासन से स्वीकृत कराया है या नहीं इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आइन्दा के लिये इसको देख लिया जाय कि जो प्रश्न हो उसी का उत्तर आना चाहिये जो प्रश्न एजेन्डे में छपा हो ।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, यह नाले की समस्या मेरे क्षेत्र में भी है । मैंने एक दो नालों को खुलवाने के लिये शासन को मूव भी किया था । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसे अधिशासी अभियन्ता को जो कि बिना शासन की स्वीकृति के नाला खुलवाता है, उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

बस्ती जनपद में बानगंगा नहर से सम्बन्धित भावपुर शाखा पर पटरी मरम्मत एवं सफाई पर व्यय

*19—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे की बस्ती जनपद के बानगंगा नगर से सम्बन्धित भावपुर शाखा पर गत तीन वर्ष में नहर पर कितना पैसा पटरी मरम्मत एवं सफाई पर खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि सफाई कार्य एवं पटरी मरम्मत कराए बिना ही उक्त धन का दुरुपयोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद में बानगंगा नहर (न कि बन गंगा नहर) से सम्बन्धित भावपुर शाखा पर गत तीन वर्षों में कुल रु0 6,251·00 पटरी मरम्मत एवं सफाई पर खर्च हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कादीपुर बस स्टेशन भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृति

*20—श्री जैराज गौतम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद अन्तर्गत कादीपुर, तहसील मुख्यालय पर बना रोडवेज बुकिंग आफिस पिछले कई वर्षों से जर्जर हो चुका है और बरसात के दिनों में कर्मचारी इसे बन्द करके अन्यत्र छप्पर में बैठकर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या नवीन बुकिंग आफिस शीघ्र बनवाने का मामला विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । कादीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टेशन भवन क्षतिग्रस्त है । इस भवन की छत को बदलने तथा भवन की विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने हेतु निर्धारित मापदण्ड

**1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं है तो क्या सरकार ऐसे मानक निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

जी हां । जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिये केन्द्रीय योजना आयोग ने निम्नलिखित मापदन्ड निर्धारित किये हैं :—

(1) जिन जिलों में खाद्यान्न/कैश फसलों की प्रमुखता हो, उनमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्य फसलों का उत्पादन ।

(2) कृषि में काम करने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन ।

(4) प्रति लाख जन संख्या पर फैक्टरी में लगे हुये व्यक्तियों की संख्या अथवा विकल्प के रूप में सेकेन्डरी और टरसियरी (Tertairy) कार्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत लोगों की संख्या ।

(5) प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग की मात्रा ।

(6) जनसंख्या के अनुपात में निर्मित सड़कों की लम्बाई अथवा रेल मार्गों की लम्बाई ।

उपयुक्त मापदन्डों के आधार पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिलों के आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास सूचकांक तैयार किये जाते हैं । राज्य के औसत को 100 मानते हुये जिन जिलों के सूचकांक तदनुसार 100 से कम होते हैं उन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने हेतु केन्द्रीय योजना आयोग से संस्तुति की जाती है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मापदन्डहै । वो स्पष्ट हैं । पिछड़ापन मुख्य रूप से दो ही बातों में है कृषि और उद्योग में त तो यह जो औद्योगिक विकास के सूचकांक तैयार किये जाते हैं इनमें प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा और सड़कों की लम्बाई को आधार बनाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पिछड़े जिले घोषित किये जाते उनके विकास कार्य के लिये जो बजट दिया जाती है जिसमें कि विद्युत् सप्लाई और सड़कों के निर्माण की भी योजना होती हैं, को अन्य दूसरे जिलों के बजट से अलग घोषित करने की घोषणा करने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

नहीं, इस पर विचार करना सम्भव नहीं है क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने के हेतु केन्द्रीय योजना आयोग से संस्तुति की जाती है और पिछड़ा जिला घोषित हो जाने के उपरान्त उसे केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों मदद देती हैं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये जो मानक बताये हैं तो उसी के आधार पर सहारनपुर में शिवली पर्वत की तलहटी में बसी जमीनें हैं वह इस मानक के आधार पर सही हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उनको पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर प्रदेश ने तो उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने जिले पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये गये हैं उन्हे केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार भी उद्योग लगाने के

लिये छूट देती है । केन्द्रीय सरकार ने कैपिटल सब्सिडी लगाने की घोषणा की है और सेल्स टैक्स में रिबेट की प्रदेशीय सरकार ने घोषणा की है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण वह जिले जिनको केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ा घोषित किया है, वहां सेल्स टैक्स की छूट के जो आदेश हैं उनमें सभी जिले कवर नहीं हो रहे हैं तो क्या राज्य सरकार की ओर से जो भी सहूलियत दी जायेगी क्या उसमें एकरूपता लायी जायेगी ? तो इस दृष्टि से देवरिया जिले को भी पिछड़ा घोषित करेंगे और जो सेल्स टैक्स की छूट दी जा रही है, वह भी दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

एक रूपता है । सेल्स टैक्स की छूट 39 जिलों में है, जो पिछड़े घोषित किए गए हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि किन जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है और वहां पर क्या सरकार कोई उद्योग लगाने के लिए सोच रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

39 जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है । वहां उद्योग लगाने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

यह जो सर्वेक्षण किया गया है, वह किस सन् में किया गया है । अब कानपुर शहर और कानपुर देहात दो जिले बन गये हैं, तो क्या कानपुर का फिर से सर्वेक्षण करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इन 39 जिलों की सूची सन 1978 में बनायी गयी थी, अब अलग होने से औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जायेगा और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 39 पिछड़े हुए जिलों में क्या जौनपुर जिला भी आता है ? यदि हां, तो वहां पर औद्योगीकरण के लिए आप कौन सी योजना बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री अमर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर जिले को जब पिछड़ा हुआ मान लिया है तो भारत सरकार से पिछड़ा मनवाने के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 39 जिलों को पिछड़ा जिला माना गया है और उन्होंने मानक भी बताये हैं कि जो जिला औद्योगिक रूप से, सिंचाई में, सड़कों में बिजली में पिछड़ा हो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है तो जो घोषणा हुई है, उसके अनुसार सीतापुर को भी पिछड़ा हुआ माना गया है । वहां पर बाढ़ की स्थिति बड़ी भयंकर है, वहांपर उद्योग नहीं है । लखनऊ कमिश्नरी का जो बजट आता है, एक करोड़ रूपया इस बात के लिए आया है कि कारखाना लगेगा तो सीतापुर में इस प्रकार का कारखाना लगाने का प्रस्ताव किया गया और सीतापुर जिले को पिछड़ा हुआ मानते हुए वहां से सेल्स टैक्स माफ करने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जिस जिले से मुख्तार अनीस जैसे माननीय सदस्य आते हैं, उस को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके ऐसा न करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

जो पिछड़े जिले आपने बताये हैं कि 39 ऐसे जिले हैं । पिछड़ेपन का जो सूचकांक है वह 100 से कम में होता है । मान्यवर, पिछड़ेपन के लिये आप उन जिलों का वार्षिक अनुश्रवण भी करते हैं । जो पैसा उनको पिछड़ेपन के लिये आप दे रहे हैं उनसे उनके पिछड़ेपन पर असर पड़ता है अथवा नहीं ? इसकी सूचना भी आप सदन को देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अनुश्रवण लगातार किया जाता है । यदि ऐसी कोई सूचना आयेगी तो फिर से किया जायेगा ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से 7 जिलों को अपने पिछड़ा हुआ माना है जिसमें फैजाबाद जिला भी पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है लेकिन उससे लगा हुआ गोंडा जनपद है उसे आपने पिछड़ा नहीं माना है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन मानकों के आधार पर आप जिले को पिछड़ा हुआ मानते हैं ? क्या हर जनपद की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आप किसी जनपद को पिछड़ा हुआ घोषित करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, गोंडा जिला पिछड़ा हुआ घोषित है और दसवीं क्रम संख्या पर है केन्द्रीय सब्सिडी केवल 7 जिलों को ही मिलती है । वह केन्द्रीय सरकार का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, आपके पास 39 जिलों की लिस्ट है जो पिछड़े घोषित हुये हैं, यदि हां, तो उसे आप पढ़ दें और जो 7 जिले केन्द्रीय सब्सिडी जिनको मिलती है उनको भी बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों की सूची इस प्रकार है--पूर्वी क्षेत्र में--आजमगढ़, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, देवरिया हैं । पर्वतीय क्षेत्र में--अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में--बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में--फतेहपुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी तथा सीतापुर हैं । पश्चिमी क्षेत्र में--बदायूं, मैनपुरी, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा रामपुर हैं। केन्द्रीय सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत जो चुने हुये जिले हैं वे इस प्रकार हैं--झांसी, बलिया, फैजाबाद, बस्ती, रायबरेली, अल्मोड़ा तथा ललितपुर--ये 7 जिले हैं ।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन--

केन्द्रीय सरकार से 15 प्रतिशत अनुदान आता है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और कुछ सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

रैलीज इंडिया केमिकल्स लि0, मगरवारा जिला उन्नाव द्वारा निर्मित रासायनिक खाद का कथित मिश्रण

**2--श्री भोखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रैलीज इंडिया केमिकल्स लि0, मगरवारा, जिला उन्नाव द्वारा निर्मित रासायनिक खाद का मिश्रण दोषपूर्ण पाये जाने के कारण जिलाधिकारी, उन्नाव ने फरवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में इस कम्पनी द्वारा निर्मित खाद कृषि के लिये अनुपयोगी व हानिकारक घोषित करके जिले में उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो दोषपूर्ण खाद तैयार करके किसानों को धोखा देने के अपराध में कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भीखा लाल--

श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था कि रैलीज इंडिया केमिकल्स लि0, मगरवारा की खाद को जिलाधिकारी उन्नाव ने दोषपूर्ण पाया और उसकी बिक्री पर वहां उन्होंने रोक लगा दी है। इस पर सरकार का जवाब आया है कि "जी नहीं"। मैं इस ओर कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पास दैनिक जागरण, 6 फरवरी का है जिसमें लिखा है कि "रैलीज इंडिया लिमिटेड की खाद अनुपयोगी घोषित"। इस बात को जिलाधिकारी, उन्नाव ने प्रेस कांफ्रेन्स में भी कहा कि रैलीज इंडिया की खाद में जो रसायनों का मिश्रण होता है उसका अनुपात सही नहीं है इसलिये उसे दोषपूर्ण बताया है। उसके लिये 60 नमूने एकत्र किये गये हैं जोकि केमिकल्स एक्जामिनेशन के लिये भेजे गये हैं। इस पर आप लोग जवाब देते हैं कि "जी नहीं"। मान्यवर, यह फैक्टरी टाटा के बड़े-बड़े आदमियों का मुंह बन्द करती है। इसी तरीके से इसने जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी के मुंह भी बन्द कर दिये हैं। अगर आपके विभाग ने यह सूचना आपके पास नहीं भेजी है तो क्या मन्त्री जी इसके बारे में विजीलेन्स या सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे जिसमें कि उन्नाव के जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी इन्वाल्व हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इसे जितना गम्भीर बताया है, हमारी सूचना के अनुसार वह निराधार है। जिलाधिकारी ने रैलीज इंडिया के खिलाफ कोई पाबन्दी नहीं लगाई है और उन्होंने तो प्रेस को इस सूचना को डिस-ओन किया है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या रैलीज इंडिया द्वारा बनाई गई खाद के सम्बन्ध में जिला उन्नाव के जिलाधिकारी, अथवा आपके कृषि अधिकारी अथवा विकास अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी ने किसी तरह की शिकायत भेजी है ?

श्री यशपाल सिंह--

अब प्रश्न सही हो गया। वहां के कृषि अधिकारी से यह लिखकर आया कि रैलीज इंडिया की खाद सब स्टैन्डर्ड है और उन्होंने 13 नवम्बर, 1982 से तमाम डीलर्स के यहां से इसकी खरीद-फरोख्त को बन्द कर दिया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

रैलीज इंडिया को जो मैनुफैक्चरिंग का लाइसेन्स मिला उसकी अवधि जब समाप्त हो गई तो उसके बाद भी उन्होंने उसका बनाना जारी रखा जब कि विभाग के स्पष्ट निर्देश उसको न बनाने के लिए थे। तो कृषि विभाग के स्पष्ट निर्देश के बाद उन्होंने जो लगभग खाद बनाई और करीब 2 करोड़ रुपये का ट्रान्जेक्शन किया, तो इस अपराध के लिए सरकार ने उस कम्पनी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय सदस्य यह प्रश्न पहले भी कर चुके हैं और उसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसका उत्तर नहीं आया है कि जब लाइसेंस का समय समाप्त हो गया तो उसके बाद उसने कैसे खाद मैनुफैक्चर की ?

श्री यशपाल सिंह--

जब उस फर्म ने इस तरह की गलती की तो उस खाद की सेल को बन्द कर दिया गया, यही उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

(शोर - व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें, आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो इस पर नियमानुसार चर्चा की मांग कर सकते हैं ।

श्री हुकम सिंह--

जब कृषि अधिकारी ने खाद के नमूने दोषपूर्ण पाये और खाद की सेल पर पाबन्दी लगा दी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस फर्म के विरुद्ध क्या कोई मुकदमा दायर किया गया और यदि किया गया, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य वकील हैं इसलिए जो फर्टिलाइजर ऐक्ट है उसको देखने की कृपा करें तो उसी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है शो-काज नोटिस दिया गया है और उनका जवाब आने के बाद जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, की जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं नियम 49 में मांग करता हूं । इस पर चर्चा करा दी जाय, मैं लिखकर भेज दूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा, बरेली से आने वाली बसों का गाजियाबाद में स्टापेज

1--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा, बरेली को जाने एवं आने वाली सरकारी बसों को जो कि गाजियाबाद होकर आती-जाती है, का स्टापेज गाजियाबाद में बनाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा, बरेली को आने-जाने वाली बसों का गाजियाबाद में पूर्व से ही स्टापेज है।

श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता की अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति

2--श्री सुरेन्द्र कुमार--

दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश, सेवा-निवृत्त अधिशासी अभियन्ता को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया है। इस अधिकारी को तीन माह की नोटिस व वेतन आदि नहीं दिये गए तथा शासन के 15 नवम्बर, 1980 को प्रसारित अन्तिम पेंशन के आदेश अब तक कार्यान्वित नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

श्री वेद प्रकाश को 3 माह का नोटिस देकर सेवा-निवृत्त किया गया। अतएव नोटिस के बदले में वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। शासन के 15 नवम्बर, 1980 को प्रसारित आदेशानुसार प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से निवेदन किया गया कि उनके अनन्तिम पेंशन के भुगतान के आदेश निर्गत कर दिये जायं, परन्तु उस पर महालेखाकार द्वारा श्री वेद प्रकाश के अनधिकृत अवकाश पर रहने के आधार पर आपत्ति लगाई गई है।

गाजियाबाद जिले में धूम-दादरी स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को कोयला, लोहा, डीजल का आवंटन

3--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद में धूम-दादरी में स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को 1977-78 व 1978-79 में कितना कोयला, लोहा, डीजल आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटन का सही उपभोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो शासन जांच कराकर उक्त संस्था के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गाजियाबाद जिले में धूम-दादरी स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक इकाई को वर्ष 1977, 1978 एवं 1979 में निम्न लिखित मात्रा में कोयला आवंटित किया गया था :--

वर्ष	कोयला
	बैगन
1977	204
1978	270
1979	233

इकाई को लोहे का आवंटन क्षमता प्रमाण-पत्र के आधार पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा सीधे किया गया तथा इस प्रकार के आवंटन के लिए उद्योग विभाग द्वारा संस्तुति किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त अवधि में इकाई को उद्योग विभाग की संस्तुति पर अथवा विभाग के माध्यम से कोई डीजल नहीं आवंटित हुआ। इकाई के विरुद्ध दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी। अतः जांच किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विक्रम सिंह, उप कारापाल, जिला कारागार, गाजीपुर का कार्यकाल एवं आरोपों की जांच

4--श्री जगदीश सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्रम सिंह, उप कारापाल, जिला कारागार, गाजीपुर, जनपद गाजीपुर में कब से तैनात हैं ? क्या यह सच है कि उक्त श्री सिंह के विरुद्ध अनकों गम्भीर आरोप हैं, ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को अविलम्ब स्थानान्तरित न किए जाने व आरोपों की जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

श्री विक्रम सिंह, उप कारापाल, जिला कारागार, गाजीपुर में 20 जून, 1979 से तैनात हैं। श्री सिंह के विरुद्ध फिलहाल कोई आरोप प्रकाश में नहीं आये हैं। अलबत्ता गाजीपुर से पहले जब वे जिला कारागार, देवरिया में तैनात थे तब उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थी जिसकी जांच के परिणाम स्वरूप इन्हें चेतावनी दी गई और उनका तबादला कर दिया गया।

स्व० श्री गोविन्द सिंह रावत, सीनियर फोरमैन, राज्य परिवहन निगम की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

5--डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री गोविन्द सिंह रावत, सीनियर फोरमैन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सेवामुक्त होने के कितने समय बाद किस तिथि को उनके परिवार के लोगों को उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान किया गया है ? इसमें जो देरी हुई है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

स्व० श्री गोविन्द सिंह रावत किसी पेंशननेबुल पद पर स्थायी न होने के कारण वर्तमान नियमों से अन्तर्गत पेंशन पाने के पात्र नहीं थे। अतः उनके परिवार को पेंशन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

स्व० श्री रावत को देय ग्रेच्युटी का भुगतान उनकी पत्नी को करने हेतु निगम प्रबन्ध द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1983 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, नैनीताल को चेक भेज दिया गया है।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में स्व0 श्री रावत अपने जीवनकाल में वांछित प्रपत्र भरकर प्रस्तुत नहीं किये थे। उनकी पत्नी द्वारा भी अभी तक प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये उनसे कहा गया है। प्राप्त होने पर भविष्य निधि का भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्त स्थिति में किसी अधिकारी विशेष को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सर्वोदय विद्यापीठ जनकदुलारी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जनपद उन्नाव के छात्रगणों के प्रार्थना-पत्र में दी गई शिकायतों की जांच

6—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर या अक्तूबर, 1982 को सर्वोदय विद्यापीठ जनकदुलारी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जनपद उन्नाव के छात्रगण का प्रार्थना-पत्र विधान सभा सदस्य झिलमिट राम के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की मुख्य शिकायतें क्या थीं और उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

छात्रगणों के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की मुख्य शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विगत वर्षों की स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान न करने सम्बन्धी थी। उसकी जांच जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव द्वारा की जा रही है।

अब तक विद्यालय के छात्रवृत्ति एवं अन्य सम्बधित अभिलेख उक्त अधिकारी द्वारा ले लिये गए हैं जिस पर जांच जारी है।

जांच पूरी हो जाने पर ही यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नलकूप खन्ड बरेली के अन्तर्गत कूप चालकों की अमीन के पद पर पदोन्नति

7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप खन्ड, बरेली में अमीनों के पद पर रिक्त होने के बावजूद भी 1975 से आज तक किसी भी कूप चालक को पदोन्नति उपरोक्त पदों पर नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उपरोक्त खाली पदों पर योग्य कूप चालकों की तुरन्त पदोन्नति करने के आदेश जारी करने का कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

नलकूप खन्ड, बरेली के अन्तर्गत दिनांक 1-1-1976 को एक कूप चालक को अमीन पद पर पदोन्नत किया गया तथा 6 पदों पर कूप चालकों की प्रोन्नति करके दिनांक 5-2-1983 को भरा जा चुका है। शेष दो पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बाराबंकी में रुदौली से बीकापुर वाया अमीनगंज-मिल्कीपुर मार्ग पर बस सेवा चलाने की मांग

9—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी में रुदौली से बीकापुर वाया अमानीगंज-मिल्कीपुर मार्ग पर अनुबन्धित एवं परिवहन निगम की कितनी बसें चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है ? उनके छूटने का क्रम एवं समय क्या है ? क्या मन्त्री जी उक्त मार्गों पर पर्याप्त बसें शीघ्र चलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बाराबंकी में रुदौली से बीकापुर वाया अमानीगंज-मिल्कीपुर मार्ग पर अनुबन्धित एवं परिवहन निगम की सीधी बस सेवा चलाने हेतु कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

रुदौली से बीकापुर वाया अमानीगंज-मिल्कीपुर मार्ग का रुदौली से अमानीगंज तक का भाग अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग पर अनुबन्धित अथवा परिवहन निगम की बसें संचालित करना सम्भव नहीं है।

जनपद बस्ती के ग्राम बिथरिया में बने स्टोर गोडाउन में अवर अभियन्ता तथा उनकी अवधि

10—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के ग्राम बिथरिया में बना स्टोर गोडाउन पिछले पांच वर्षों से किन-किन जूनियर इंजीनियरों के चार्ज में कब-कब रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त स्टोर में जी० सी० सीट, तालपतरी, लोहे के छड़, साखू की बल्लियां, सीमेंट को लोगों के हाथ बेच दिया गया है तथा उसे चोरी कह कर जूनियर इंजीनियर द्वारा रपट थाने में लिखाई गयी है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्टोर में लाखों का गोलमाल है ? यदि हां, तो इसका फिजीकल वेरीफिकेशन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के ग्राम बिथरिया में बना स्टोर गोडाउन निम्नलिखित अवर अभियंता के चार्ज में उनके सम्मुख अंकित अवधि में रहा है :—

क्रमांक व नाम	अवधि
सर्वश्री	
1 बी0 एन0 सिंह	7/78 से 11/82 तक
2 आई0 एस0 गोयल	12/80 से अब तक
3 पी0 पी0 सिंह	3/81 से अब तक
4 आर0 पी0 सिंह	9/81 से 8/82 तक
5 एम0 डब्लू0 अन्सारी	8/82 से अब तक
6 लालधारी यादव	1/82 से अब तक
7 हर्ष देव वर्मा	4/82 से 9/82 तक
8 रामचन्द्र प्रसाद	9/82 से अब तक

विथरिया स्टोर से 0.330 मी0 ट0 एंगिल आयरन चोरी की एफ0 आई0 आर0 श्री आई0 एस0 गोयल, अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 17-9-82 को भवानीगंज थाने में दर्ज करायी गई है। पुलिस जांच प्रतिवेदन एवं विभागीय जांच आख्या अपेक्षित है।

विथरिया स्टोर के समय-समय पर हुये भौतिक सत्यापन में गोलमाल की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

विथरिया स्टोर का माह मार्च, 1983 में फिजीकल वेरीफिकेशन पुनः कराया जायगा।

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद के बन रहे डुमरिया गंज पम्प हाउस पर व्यय

11--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद में बन रहे विथरिया पम्प हाउस पर वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में अक्तूबर तक कुल कितना धन अब तक खर्च किया गया ? क्या यह सत्य है कि इसी पम्प कैनाल पर पिछले 3 वर्षों से काम हो रहा है ? जो सन्तोषजनक नहीं है और खर्च जितना होना चाहिए था उससे अधिक खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद में बन रहे डुमरिया गंज पम्प हाउस (न कि विथरिया पम्प हाउस) पर वर्ष 1979-80 से वर्ष 1982-83 में अक्तूबर तक कुल रुपये 14,56,443.67 की धनराशि का व्यय हुआ। इस पम्प हाउस पर हुआ व्यय परियोजना के प्राविधानों के अनुरूप है तथा निर्माण कार्य संतोषजनक है।

श्री गणेश चन्द्र काछी, भू0 पू0 विधायक, कुरावली, जिला मैनपुरी के शिकायती पत्र के विरुद्ध कार्यवाही

12—श्री रघुवीर सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गणेश चन्द्र काछी, भू0 पू0 विधायक, कुरावली, जिला मैनपुरी का कोई शिकायती-पत्र 17-12-1981, 15-2-1982, 22-7-1982 तथा 26-8-1982 मुख्य मन्त्री, प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम, अलीगढ़ क्षेत्र, आगरा क्षेत्र व लखनऊ क्षेत्र को 6 दिसम्बर, 1981 को सोरों से आगरा जाने वाली सरकारी बस नं0 एम0 बी0 जे0 1489 के कन्डक्टर द्वारा उससे जबरिया 10 पैसे बीमा के अलावा अन्य कर वसूली किए जाने के सम्बन्ध में भेजा, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन शिकायतों में कन्डक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाराजगंज से गोरखपुर तक बस सेवाएं संचालित करने की मांग

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज मुख्यालय से लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थानों पर सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9-3-1982 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? जिसकी प्राप्ति सूचना उप सचिव, श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 86, बी0 आई0 पी0(1)/30-1-82-1(88)टी-82, परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 मई, 1982 द्वारा प्रश्नकर्त्ता को दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक बसें संचालित न करने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां पत्र प्राप्त हुआ है । सदस्य महोदय ने अपने उक्त पत्र दिनांक 9-3-1982 द्वारा महाराजगंज से गोरखपुर तक बस सेवायें संचालित करने की ही मांग की थी ।

महाराजगंज-गोरखपुर मार्ग पर यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त संख्या में निगम बसें संचालित हैं ।

गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी एवं इलाहाबाद के मध्य पर्याप्त संख्या में निगम बसें संचालित हैं ।

निगम के वर्तमान बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुए महाराजगंज से लखनऊ, वाराणसी व इलाहाबाद के लिए सीधी सेवायें संचालित करना सम्भव नहीं है ।

सोनपुर अल्पिका का विस्तृत सर्वेक्षण, निर्माण तथा लम्ब छिन्नक को संशोधित करके कृत कार्यवाही

14—श्री राम चरण सिंह—

विधान सभा के 3 फरवरी, 1982 के अता0 प्र0 स0-112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनपुर अल्पिका का

विस्तृत सर्वेक्षण किया गया ? यदि हां, तो शेष कार्य को पूर्ण कराने के विषय में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सोनपुर अल्पिका का विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया गया है । शेष कार्यों को धन उपलब्ध होने पर लिया जाना प्रस्तावित है ।

15--श्री राम चरण सिंह--

क्या यह सही है कि सोनपुर अल्पिका के कार्य पर बगैर सर्वेक्षण कराये मार्च, 1981 तक रु0 1.25 लाख खर्च कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? इसका पुनः सर्वेक्षण कराने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

सोनपुर अल्पिका का निर्माण सर्वेक्षण एवं स्वीकृत लम्ब छिन्नक के अनुसार कराया गया । कार्य के निष्पादन के समय लम्ब छिन्नक में दर्शाये गये भूमि स्तरों में अन्तर पाया गया जिसके कारण कार्य स्थगित कर दिया गया । दोषी अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

पुनः सर्वेक्षण कराकर एवं लम्ब छिन्नक को संशोधित करके अब कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज को स्वीकृत किए जाने वाले अनुदान में से कटौती

16--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या --118 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के उत्तर की कब तक प्रतीक्षा करेगा तथा कब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी कार्यवाही करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्राप्त हो गया है । प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज को वर्ष 1978--79 से 1980--81 तक स्वीकृत अनुदान का धनराशि स्थानीय लेखा सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा दी गयी आडिट रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आडिट कराया गया जिसके अनुसार कुल रु0 98,374.79 की धनराशि वसूल की जानी थी जो वर्ष 1981--82 में संस्था को कुल स्वीकृत किए जाने वाले अनुदान में से कटौती करके वसूल कर ली गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17--श्री नन्द राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, बरेली के विरुद्ध शासन को कितने शिकायती-पत्र भ्रष्टाचार, अनियमितताएं करने सम्बन्धी प्राप्त हुए ? वर्ष 1981-82, 1982-83 में और शासन द्वारा उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दयालपुर अल्पिका के विस्तार हेतु कार्यवाही

18--श्री राम चरण सिंह--

27 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या-39 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयालपुर अल्पिका के विस्तार के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दयालपुर अल्पिका के विस्तार हेतु भूमि अध्याप्ति करने के अभिप्राय से धारा 4 का प्रकाशन किया जा चुका है तथा धारा 6 के प्रकाशन हेतु कार्यवाही की जा रही है जैसे ही विभाग को भूमि तथा धन उपलब्ध होगा, इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

पटोहटा माइनर टेल के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

19--श्री राम चरण सिंह--

20 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या-117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटोहटा माइनर टेल के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में माइनर को चार मील एक फर्लांग से आगे बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण का कार्य क्यों नहीं शुरू कराया गया ? कब तक निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । भूमि अध्याप्ति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । भूमि अध्याप्ति तथा धन उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव होगा ।

हरिजन बस्ती बसारतपुर मिर्जापुर चुनार से गंगा नदी में कटकर गिरने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

20--श्री राम चरण सिंह--

20 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या-123 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन बस्ती बसारतपुर मिर्जापुर

चुनार के गंगा नदी में कटकर गिरने के सम्बन्ध में वर्तमान कार्य सत्र में स्थान का सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । सर्वेक्षण कराया गया है । योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के ग्राम कठिरांव में मुसहर परिवारों हेतु आवास की मांग

21--श्री ऊबल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठिरांव ब्लाक बड़गांव, जिला वाराणसी में निवास करने वाले 36 मुसहरों के परिवारों के लिए आवास की एक योजना बनाकर इनके रहने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

वाराणसी जनपद के ग्राम कठिरांव, ब्लाक बड़ागांव में निवास करने वाले 36 मुसहर परिवारों के लिये आवास की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । भविष्य में यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र सिंह, परिचालक, चारबाग डिपो को पुनः सेवा में लिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

22--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि दिनांक 16-9-82 को प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित एक प्रार्थना-पत्र, जो श्री योगेन्द्र सिंह, परिचालक, चारबाग डिपो की पुनः सेवा में लेने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । पत्र प्राप्त हुआ था । श्री योगेन्द्र सिंह, परिचालक के मामले में पूर्व पारित आदेशों में शासन द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

खजुरिया शाखा नहर निर्माण खंड कसया, देवरिया के अवर अभियंता के विरुद्ध आरोपों की जांच

23--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देवरिया के एक सांसद का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1982 का जिसमें खजुरिया शाखा नहर

निर्माण खंड कसया (देवरिया) के एक अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत है, मिला है ? यदि हां, तो आरोप क्या है एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री वीरेन्द्र राय नामक व्यक्ति का पत्र दिनांक 25-10-1982, जिस पर सांसद देवरिया का दिनांक 27-10-1982 का नोट है, प्राप्त हुआ है ।

पत्र में निम्नलिखित आरोप हैं--राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकारी धन से वित्तीय सहायता पहुंचाना, कर्मचारियों को डराना धमकाना, फर्जी भुगतान करना, कर्मचारियों से घर पर कार्य होना, ठेकेदारों से अनुबन्ध की कापी न देना, सरकारी वाहन का उपयोग करना, 6.5 लाख के स्टाक गेट बिना टेन्डर लगवाना, बिना टेन्डर कार्य कराना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का 3-4 लाख रुपया हड़पना ।

आरोपों की जांच कराई जा रही है ।

पक्की सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार

24--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार सभी पक्की सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश के समस्त अराष्ट्रीयकृत मार्गों को धीरे-धीरे राष्ट्रीयकृत कर रहा है । सभी पक्के मार्गों को एक साथ राष्ट्रीयकृत करना वित्तीय संसाधनों एवं वर्तमान बस बेड़े को देखते हुए सम्भव नहीं है ।

सौनोरा पम्प नहर निर्माण से फसल को कथित क्षति

25--श्री जंगबहादुर--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के ग्राम खालिसपुर के श्री रामपति पाठक पुत्र जगेस्सर के आराजी नं0 364/1-39 व 365/25 में से मिट्टी सौनौरा पम्प नहर के लिए लिए जाने के कारण खेत नीचा हो गया है ? खेत पानी से 11 वर्षों से डूबा हुआ है तथा अब तक कोई फसल काश्त नहीं की जाती तथा नहर विभाग द्वारा सिंचाई कर वसूला जाता है ? इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक के पत्र दिनांक 1-4-82 पर अधिशासी अभियन्ता नहरप्रखंड, जौनपुर ने पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की ? यदि हां, तो डूब खेतों से पानी निकासी के लिए लगाए गये साइफन को चुकवाने तथा नहर विभाग द्वारा नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि सौनौरा पम्प नहर निर्माण के कारण प्रश्नगत खेत 11 वर्षों से पानी से भरा हुआ है । आराजी संख्या 364/1-39 में पूर्ण रूप से एवं आराजी संख्या 365/0-25 के लगभग आधा भाग में काश्त होती है । शेष आधा भाग तालाब जैसा है जो कि पानी से भरा रहता है । काश्तकार द्वारा की गई सिंचाई के अनुसार ही सिंचाई कर वसूल किया जाता है ।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 1-4-82 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । खेत संख्या 365 के किनारे एक साइफन का निर्माण कराया गया है जिससे पानी की निकासी का कार्य हो रहा है । नहर विभाग द्वारा काश्तकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली में राजकीय हाई स्कूलों एवं इन्टरमीडिएट कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन तथा प्रगति

26--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में सरकार द्वारा कितने राजकीय हाई स्कूलों, एवं इन्टरमीडिएट कालेजों के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत हुआ ? 1 नवम्बर 1982 तक इनमें से कितने विद्यालय भवनों पर कार्य चल रहा है ? निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? निर्माण पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद चमोली में वर्ष 1981-82 में चार राजकीय हाईस्कूल/इन्टर कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु 73.519 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी । एक विद्यालय भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है, प्रगति 20 प्रतिशत है तथा 1.53 लाख व्यय हुआ है । शेष तीन निर्माण कार्यों के लिये स्थल सुधार का कार्य किया गया है । जिस पर 2.04 लाख व्यय हुआ है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

27--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली में नये मोटर मार्गों के निर्माण पर व्यय

28--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1982-83 में कितने कि0 मी0 मोटर सड़कें स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने कि0 मी0 का निर्माण कार्य 1 नवम्बर, 1982 तक पूरा हुआ तथा इस निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 1982-83 में 67 कि0 मी0 नये मोटर मार्गों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है । इनमें से 1 नवम्बर, 1982 तक किसी भी मार्ग का निर्माण पूरा नहीं हुआ तथा 0.15 लाख रु0 व्यय किया गया ।

जनपद चमोली में स्वीकृत पैदल पुल तथा निर्माण कार्य व व्यय

29--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1981-82 एवं वर्ष 1982-83 में कितने पैदल पुल स्वीकृत हुए हैं ?

1 नवम्बर, 1982 तक कितने पुल बनकर तैयार हुए तथा कितनों पर कार्य चल रहा है ? उनके निर्माण पर कितना व्यय हो चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 1981-82 में किसी पैदल पुल की वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में पांच पुलों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । 1 नवम्बर, 1982 तक किसी पुल पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया एवं कोई व्यय भी नहीं किया गया ।

श्री के० एन० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

30--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० एम० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, आजमगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 16-3-82 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायती-पत्र के आरोपों की जांच करा ली गई है ।

सीतापुर-खैराबाद मार्ग पर संचालित बसें

31--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 31 दिसम्बर, 1980 तक कितनी सिटी बसें सीतापुर खैराबाद चलती थीं और आज 31 अक्तूबर, 1982 को कितनी चल रही हैं ? यदि कोई कमी आई है तो इसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

31 दिसम्बर, 1980 तक सीतापुर खैराबाद मार्ग पर 3 नगर बसें संचालित थीं और 31 अक्तूबर, 1982 से दो नगर बसें संचालित हैं ।

उक्त बस सेवा में कटौती लोड फेक्टर एवं प्रति कि० मी० व्यय में कमी के कारण करनी पड़ी ।

सीतापुर डिपो की संचालित वाहनों से आमदनी घटने के कारणों की जांच

32--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में सीतापुर डिपो में 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक कितनी आमदनी हुई और

1 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1982 तक कुल कितनी आमदनी हुई ? यदि इधर आमदनी घटी है तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार डिपो की अव्यवस्था के ऊपर सुधार करने के लिए कोई नियम बनायेगी और जो अधिकारी दोषी हैं तो इन्हें दन्ड देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद सीतापुर में सीतापुर डिपो की संचालित वाहनों द्वारा अप्रैल, 77 से दिसम्बर, 79 तक की अवधि में 251·75 लाख रुपये तथा 1 जनवरी, 80 से 31 अक्तूबर, 82 तक की अवधि में कुल 238·61 लाख रुपये की आमदनी हुई।

आमदनी घटने के कारणों की जांच की जा रही है।

मेसर्स यादव लाईम फैक्ट्री, फैजाबाद को लघु उद्योग के रुप में लाइसेन्स न दिये जाने का कारण

33--श्रीमती किशोरी शुक्ला--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मेसर्स यादव लाईम फैक्ट्री" नाका मुजफ्फरा रायबरेली रोड, फैजाबाद का डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत पंजीकरण कब हुआ था ? तथा क्या उक्त फैक्ट्री द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु लाइसेन्स फीस तथा जिला परिषदीय कर जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री को लाइसेन्स न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मेसर्स यादव लाइम फैक्ट्री, फैजाबाद का लघु उद्योग के रूप में स्थायी पंजीकरण उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1980 को हुआ था। दिनांक 30 अगस्त, 1980 को रु0 200 जिला परिषदीय कर एवं रु0 20 प्रतिशत लाइसेन्स फीस इकाई द्वारा जमा की गयी है। परिषदीय उपनियमों के उल्लंघन के कारण इकाई को जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा लाइसेन्स नहीं दिया गया।

34--श्रीमती किशोरी शुक्ला--

[छठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में चक्का बांध लिफ्ट कैनाल को चौड़ा किये जाने का कार्य तथा प्रस्तावित व्यय

35--श्री सत्य पाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गजीपुर में जमनियां तहसील के अन्तर्गत चक्का बांध लिफ्ट कैनाल को चौड़ा किया जा रहा है ? यदि हां, तो चौड़ा करने का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ? इस लिफ्ट कैनाल के ऊपर कितना पैसा अब तक व्यय किया जा चुका है तथा अभी और कितना कार्य करना अवशेष है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां। गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील के अन्तर्गत चक्काबांध लिफ्ट कैनाल (जिसका सही नाम जमानियां पम्प कैनाल है) को चौड़ा किया जा रहा है।

कार्य वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1986-87 तक पूरा करना प्रस्तावित है। इस योजना पर 3/82 तक 734·45 लाख व्यय हो चुका है। वर्ष 1982-83 में 60·00 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। 3/82 के बाद लगभग 1214·55 लाख रुपये के कार्य शेष रह जायेंगे।

इलाहाबाद जनपद में स्वीकृत नलकूप

36--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में इलाहाबाद जनपद में कितने नलकूप प्रस्तावित थे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1981-82 में 105 नलकूप स्वीकृत किये गये।

लखनऊ एवं गोरखपुर जिले के आर0 टी0 ओ0 कार्यालय में पंजीकृत बसें

37--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ एवं गोरखपुर जिले के आर0 टी0 ओ0 कार्यालय में वर्तमान समय में कितनी बसें पंजीकृत हुई हैं तथा उनका पंजीकरण किस-किस मार्ग के लिये हुआ है ? क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश पंजीकृत बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

लखनऊ एवं गोरखपुर जिले के आर0 टी0 ओ0 कार्यालय द्वारा दिनांक 1-1-1982 से 31-1-1983 तक कुल 48 बसें पंजीकृत की गयी थीं। बसों का मार्गवार पंजीकरण नहीं किया जाता है।

यह सच नहीं है कि इनमें से अधिकांश बसें राष्ट्रीकृत मार्गों पर अवैध रूप से चल रही हैं। वाहन स्वामियों द्वारा अवसर पाकर कुछ बसों को अनधिकृत रूप से चलाने के प्रयास किये जाते हैं जिसके लिये गाड़ियों की कड़ी चेकिंग की व्यवस्था है और उनका नियमानुसार चलान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दंडित भी किया जाता है।

श्री ए0 के0 शुक्ला की डिपो मैनेजर, बांदा के कार्यालय में सहायक द्वितीय के पद पर नियुक्ति की जांच

38--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम, झांसी क्षेत्र में पूर्व अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर वर्तमान कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी, श्री अनुरुद्ध पान्डेय ने श्री ए0 के0 शुक्ला को सिर्फ एक या दो माह का ही प्रशिक्षण करा कर कार्यालय सहायक द्वितीय के पद पर नियुक्त कर डिपो मैनेजर बांदा के कार्यालय में तैनात कर दिया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ?

इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच के उपरान्त यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम मकुरा, जनपद जौनपुर में दुखी हरिजन की नहर विभाग द्वारा अध्याप्त की गई कथित भूमि का मुआवजा

39--श्री जंगबहादुर--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम मकुरा, पो0 हवेली, तहसील व जनपद जौनपुर में जेटु, तिलक, लहुरी, बरसाती, निरंजन, फेरई, सागू, गुदरी व दुखी हरिजन की भूमि नहर विभाग द्वारा अध्याप्ति की गयी थी और दुखी परिजन को छोड़ कर अन्य को मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो दुखी को किन कारणों से मुआवजा नहीं दिया गया ? क्या शासन प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम मकुरा, प0 हवेली, तहसील व जनपद जौनपुर में दुखी हरिजन को छोड़ कर अन्य की भूमि नहर के लिए अध्याप्ति की गयी थी । अतः दुखी हरिजन को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम जनम सिंह, जिलेदार, प्रथम, मिर्जापुर से कथित अभ्यावेदन पर कृत कार्यवाही

40--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम जनम सिंह, जिलेदार, प्रथम मिर्जापुर का कोई अभ्यावेदन सचिव, सिंचाई विभाग को 27 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सचिव सिंचाई को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है

जिलेदारों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

41--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 के परिपत्र सं0 आर 10946/ई-41 पो0 एस0, दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 के द्वारा जिलेदारों की जो वरिष्ठता सूची परिचलित की गयी थी उनमें से कितने जिलेदारों की पदोन्नति उप राजस्व अधिकारी के पद पर हो चुकी है ? क्या उक्त सूची में क्रम संख्या 107 पर उल्लिखित श्री सत्यपाल की पदोन्नति उप राजस्व अधिकारी के पद पर हो चुकी है और उससे पहले क्रम संख्या 74 पर उल्लिखित श्री रामजनम सिंह जिलेदार की पदोन्नति अभी तक उप राजस्व अधिकारी के पद पर नहीं हुई है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के क्या कारण हैं और ऐसा करने में किन अधिकारियों/कर्मचारियों का हाथ रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत वरिष्ठता सूची में से 105 जिलेदार उपराजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये जा चुके हैं ?

श्री सत्यपाल की प्रोन्नति की जा चुकी है ? श्री राम जनम सिंह, जिलेदार की चरित्र पंजी में प्रविष्टयां अपेक्षित स्तर की न होने के कारण उपराजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया ।

श्री राम जनम सिंह को प्रोन्नति न देने में कोई अनियमिता नहीं हुई है ?

आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खंड 46 ग्राम बडौरा में नहर की खुदाई तथा चेन गेट लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि तथा बन्धे की मरम्मत की जांच

42—श्री खैरूल बशर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खंड 46 तरछा ग्राम बडौरा मगई नदी तकरीबन 5 कि0 मी0 नहर में केवल 500 मीटर तक खुदाई की गई है और काम पूरा दिखा कर सारे पैसे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

43—श्री खैरूल बशर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 46 नहर में चेन गेट लगाने के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था तथा इस स्केब पर बन्धा बनाने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 3 कि0 मी0 तक पुराने बन्धे की मरम्मत करके बाकी पैसा ठेकेदार और अधिकारी खा गए हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी जांच के बाद दोषी अधिकारी को सजा दिलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लिफ्ट सिंचाई खंड, बांदा के कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति

44—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई, बांदा में वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 में 30 अक्तूबर, 1982 तक कितने कर्मचारियों की नियुक्ति कार्य प्रभारित एवं नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत की गयी तथा कितने कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गयी ? नियुक्तियां तथा सेवा समाप्ति के क्या कारण थे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

लिफ्ट सिंचाई खंड बांदा में वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में (30-10-82 तक) 16 कर्मचारियों की नियुक्ति कार्य प्रभारित अधिष्ठान में एवं 192 कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित अधिष्ठान में की गयी। कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत 46 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयीं।

नियुक्ति राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर की गयी। सेवा समाप्ति केवल कार्य प्रभारित अधिष्ठान में आवश्यकता के आधार पर की गई।

झांसी क्षेत्र के बांदा डिपो में चोरी गए सामान की थाने में दर्ज रिपोर्ट

45—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 परि0 नि0, झांसी क्षेत्र के बांदा डिपो में वर्ष 1980 से आज अक्तूबर, 1982 तक डिपो के अन्दर एवं डिपो के बाहर से कितने ऐसे सामान चोरी हुए जिनकी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है तथा कितने ऐसे सामान की चोरियां हुईं जिनकी विभाग को लिखित जानकारी है ? यदि हां, तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव कहरका व गांव कंथेउली की सिंचाई हेतु कंथोली राजबाहा का निर्माण तथा सिविल हवाई पट्टी बढ़ाये जाने के प्रस्ताव हेतु नहर की जांच

46—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कहरका व गांव कंथेउली, परगना कोलअसला व तहसील व जिला वाराणसी, वाराणसी-जौनपुर पक्की रोड के पूरब व वाराणसी-फैजाबाद रेलवे लाइन के पश्चिम तथा सिविल एरोड्रम बाबतपुर वाराणसी के उत्तर स्थित हैं ? यदि हां, तो इन दोनों गांवों के लिए शारदा नहर की कौन-सी माइनर कहां से जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इन ग्रामों की सिंचाई हेतु कंथोली राजबाहा का निर्माण प्रस्तावित है, जो बाबतपुर राजबाहा के 32·2 कि0 मी0 ग्राम बड़ागांव से निकल कर बरसहनी ग्राम तक जाती है।

47—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कोई नहर का नक्शा बना है ? क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एरोड्रम का रनवे पश्चिम तरफ बढ़ने वाला है और बाबतपुर चौमुहानी के दक्षिण से वाराणसी-जौनपुर मार्ग पश्चिम तरफ बढ़ेगा ? यदि हां, तो पुनः उक्त नहर की जांच करायी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । नहर का नक्शा स्वीकृत है ।

माननीय सदस्य द्वारा इंगित दिशा की ओर हवाई पट्टी के बढ़ाए जाने के प्रस्ताव की जानकारी शासन को नहीं है । यदि उक्त हवाई पट्टी को बढ़ाया जाता है तो आवश्यकतानुसार पुनः नहर की जांच किए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

48--श्री राम आसरे वर्मा--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कटरा खुदागंज रजबहा नहर से सम्बन्धित पुलिया आदि का कथित निर्माण

49--श्री जगदीश सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कटरा खुदागंज रजबहा नहर से सम्बन्धित पुलिया आदि का कितना निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में स्वीकृत किया गया है और उसमें से कितना पूरा हो गया है तथा कितना शेष है ? शेष कार्य अभी तक पूरा न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । वर्ष 1980-81, 1981-82 में पुलिया आदि की कोई स्वीकृति नहीं हुई है । शेष कार्य पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नौगढ़ नहर, जिला वाराणसी को जल आपूर्ति न होने से धान की फसल को क्षति

50--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ नहर जिला वाराणसी जो धनरौल बांध से निकली है उसके टेल तक इस वर्ष पानी नहीं पहुंचाया गया जिससे धान की फसल सूख गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, सिलहट धनरौल फीडर से निकलने वाली कूड़ा रजबहा, जो वाराणसी जनपद के नौगढ़ ब्लाक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, की टेल पर खरीफ 1390 फ० में सिंचाई के लिए पानी की कुछ कठिनाई रही जिसके कारण कुल 2165 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 99·38 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल सूख गई ।

सिलहट धनरौल फीडर जिससे कूड़ा रजबहा निकलती है, में पानी नगवा बांध से उपलब्ध होता है । 1390 फसली के पूर्व अपर्याप्त वर्षा के कारण नगवा बांध में कम पानी एकत्रित हो पाया जिसके फलस्वरूप कूड़ा रजबहा में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो सका ।

नौगढ़ क्षेत्र के कूड़ा रजबहे की अल्पिकाओं को टेल तक जल आपूर्ति

51.--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिला वाराणसी में जरहर माइनर, नर्बदापुर माइनर, मरदुआ माइनर को ही पानी 25-9-82 को तथा इसके पहले दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार नौगढ़ नहर की टेल तक पानी ले जाने और सभी माइनरों को पानी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

नौगढ़ क्षेत्र के कूड़ा रजबहे की सभी अल्पिकाओं को टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री श्रीराम पांडे, चालक को मैकेनिक के पद पर प्रोन्नति

52.--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि सेवा प्रबन्धक झांसी ने अपने पत्रांक जे० आर०/स्वा० 182/1651, दिनांक 1-6-82 द्वारा एक चालक (श्री श्रीराम पांडे) को बिना तकनीकी जानकारी के मैकेनिक के पद पर प्रोन्नति कर दी है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री श्रीराम पांडेय की स्थानीय अधिकारियों की गठित समिति द्वारा तकनीकी जानकारी का टेस्ट लेने के उपरान्त ही मैकेनिक के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रोडवेज और प्राइवेट बसों की संख्या, आय तथा घाटा होने के कारण

53.--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों की अलग-अलग संख्या क्या है ? पूरे प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट बसेज कितने किलोमीटर सफर करती हैं ? दोनों बसेज की पर कि० मी० आमदनी क्या है ? सरकार को रोडवेज बसेज में घाटा होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा जिले की मांट और सादाबाद तहसील में ब्योही बिजाहरी नाले की खुदाई तथा निर्माण कार्य

54.--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की मांट और सादाबाद तहसील में खुद रहे ब्योही बिजाहरी नाला की खुदाई कितनी शेष है और खुदाई कार्य कब तक पूरा हो जायगा ? क्या सम्बन्धित क्षेत्र में उक्त नाले की बाढ़

एवं जल भराव से प्रतिवर्ष होने वाली अपार क्षति को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नाले को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और बरसात के पहिले पूरा कराने का प्रयास करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत नाले की लम्बाई 40 कि0 मी0 है जिसमें से मांट तहसील में 15 कि0 मी0 लम्बाई है जो लगभग पूर्ण रूप से खोदी जा चुकी है ।

शेष 25 कि0 मी0 लम्बाई सादाबाद तहसील में है जिसमें से 3 कि0 मी0 में कार्य पूर्ण हो गया है, 11·5 कि0 मी0 में कार्य प्रगति पर है तथा 10·5 कि0 मी0 में कार्य कृषकों के अवरोध होने तथा न्यायालयों में सात वाद होने के के कारण कार्य पूरा रुका पड़ा है ।

न्यायालय द्वारा बाढ़ग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मुकदमों के निस्तारण के उपरान्त तथा भूमि उपलब्ध होने पर शेष कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

जनपद चमोली में गोपेश्वर खेलकूद स्टेडियम का निर्माण

55—श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गोपेश्वर में खेलकूद का स्टेडियम कब तक निर्मित हो जावेगा ? निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है तथा शीघ्र निर्माण हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद चमोली में गोपेश्वर खेलकूद स्टेडियम के निर्माणार्थ 21·82 लाख रुपये के आगणन की स्वीकृति 10 मार्च, 1981 को दे दी गयी थी । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के उपरान्त 1 दिसम्बर, 1981 को अंतिम अभिनिर्णय घोषित किया गया था जिसके विरुद्ध सात खातेदारों ने जिला जज के न्यायालय में आपत्ति दायर की थी । उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 1982 को आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है । अतः अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त स्टेडियम का निर्माण शीघ्र सम्पन्न करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

नलकूप नं0 220 ए0 जी0 दहेमा, ब्लाक भीटी की बोरिंग तथा चालू न किये जाने के कारण

56--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 220 ए0 जी0 दहेमा ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद की बोरिंग सन् 1978 में हो गयी थी ? यदि हां, तो अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं । नलकूप संख्या 220 ए0 जी0 दहेमा, ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद की बोरिंग सन् 1980 के माह जनवरी में हुई थी । नलकूप के विद्युतीकरण हेतु

बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युत् विभाग को जनवरी, 1981 में भेजा गया किन्तु विद्युत् विभाग द्वारा प्रश्नगत नलकूप का अभी तक ऊर्जीकरण न किये जाने के कारण चालू नहीं हो पाया है ।

जिला फैजाबाद में मझुई और बिसुही नदियों के द्वाबे में नहर का सर्वे

57—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में मझुई तथा बिसुही और मड़हा नदियों के द्वाबे में नहर का सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता ने अकबरपुर डाक बंगले में कुछ लोगों से पूछ कर मझुही, बिसुही के बीच नहर को स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या जनता के अनुरोध पर मड़हा और बिसुही के द्वाबे में जाने वाली नहर को भी स्थगित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूरजपुर एवं मधुबन तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में अलग डिपो के निर्माण करने सम्बन्धी पत्र

58—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-82 बाबत सूरजपुर एवं मधुबन तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में बस यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बस रोकने तथा डिपो का निर्माण करने के सम्बन्धी कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अलग-अलग मांगें क्या थीं तथा उनको पूरा करने के क्या प्रयास किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । सदस्य महोदय के उक्त विषयक दिनांक 7-8-82 के चार अलग-अलग पत्र प्राप्त हुये हैं ।

उक्त पत्रों में अंकित प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) मधुबन-दोहरीघाट मार्ग पर स्थित ग्राम सूरजपुर में समस्त बसें रोकी जायं ।

(2) मधुबन में बस स्टेशन का निर्माण पूर्ण कराया जाय ।

(3) आजमगढ़ से झूसना होते हुए सुल्तानपुर व आजमगढ़ से फतेहपुर होते हुए बलिया के इब्राहिम पट्टी तक बस सेवा संचालित की जाय ।

(4) दोहरीघाट डिपो में स्टाफ एवं बसों फरनीचर की व्यवस्था की जाय ।

उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की जा चुकी है :--

(1) मधुबन-दोहरीघाट मार्ग पर स्थित ग्राम सूरजपुर में आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा संचालित सभी बसें रुकती हैं। कानपुर क्षेत्र की बसों को सूरजपुर में रुकने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर को निदेश दिये जा रहे हैं।

(2) मधुबन में बस स्टेशन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पुनः निदेश दिये जा चुके हैं।

(3) सुल्तानपुर-असना-घोसी मार्ग में एक बस सेवा आजमगढ़ तक संचालित हो रही है तथा आजमगढ़ से फतेहपुर होते हुये बलिया से इब्राहिम पट्टी तक बस सेवा संचालित हो रही है।

(4) दोहरीघाट डिपो में पर्याप्त स्टाफ एवं फरनीचर उपलब्ध करा दिया गया है। जहां तक बसों के जीर्ण-शीर्ण होने का प्रश्न है वर्ष 1982-83 में इस डिपो को 4 नई बसें आवंटित की जा चुकी हैं। इस डिपो की खराब बसों को मरम्मत कर उन्हें संचालित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सड़क परिवहन निगम को हुई आमदनी तथा घाटा

59--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज को सन् 1979-80 में प्रति कि0 मी0 क्या आमदनी आई और पूरे रोडवेज विभाग पर कितना घाटा हुआ ? 1981-82 में प्रति कि0मी0 क्या आमदनी हुई और कितना घाटा हुआ ? और उसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को सन् 1979-80 में 2·08 रु0 प्रति कि0 मी0 की संकलित आमदनी हुई और पूरे वर्ष में 100·86 लाख रु0 का संकलित लाभ हुआ। वर्ष 1981-82 में 2·82 रु0 प्रति कि0 मी0 आमदनी हुई और पूरे वर्ष में 267·94 लाख रु0 का घाटा हुआ। घाटे का प्रमुख कारण संचालन व्यय में वृद्धि होना है।

मथुरा जनपद में राल ड्रेन के रिमाडलिंग व खुदाई में कृषकों की अधिगृहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

60--श्री चन्दन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में राल ड्रेन के रिमोडिलिंग व खुदाई में गांव रनवारी के किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनको शासन द्वारा मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजे का कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

कानूनी औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण अभी तक मुआवका जेक वितरण नहीं हो सका है ।

भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा धारा 9 के अन्तर्गत आपत्तियों के निस्तारण के बाद मुआवजे के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । विभाग ने आवश्यक धनराशि सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास जमा करा दी है ।

परिवहन निगम में क्रय की गई बसों को सीतापुर डिपो को दिया जाना तथा कथित संचालन

61--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में रोडवेज में कितनी नयी बसेज खरीदी गयीं ? उसमें सीतापुर डिपो को कितनी दी गय तथा उनकी आज क्या हालत है ? क्या उन नयी खरीदी हुई बसों में सीतापु डिपो में कोई ऐसी बस है जो लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और कानपुर चलत थी और अब 7 महीनों में बस की कार्य क्षमता घटने के कारण उसक लखीमपुर, सीत पुर लखनऊ तक ही चलायी जा रही है ? यदि हां, तो इसक क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

परिवहन निगम में वर्ष 1981-82 में 643 बसें क्रय की गई उनमें सेर कोई भी बस सीतापुर डिपो को नहीं दी गई ; अतः प्रश्नगत बस सेवा सीतापु डिपो द्वारा संचालित नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में जनता धोती का यूपिका द्वारा क्रय तथा बुनकरों का माल यूपिका द्वारा खरीदे जाने की व्यवस्था

62--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बुनकरों (मल्लाव एवं गौस गंज) द्वारा तैयार जनता धोती यूपिका द्वारा कुछ माह पूर्व तक क्रय की जाती रही ? यदि हां, तो जनपद हरदोई के बुनकरों का माल यूपिका द्वारा खरीदने पर रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वस्त्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था कि आपसी प्रतिस्पर्द्धा समाप्त करने के लिए केवल हथकरघा निगम ही इस क्षेत्र में जनता वस्त्रों का क्रय करे ।

63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि यूपिका द्वारा उक्त क्षेत्र का माल न खरीदने के कारण बुनकरों द्वारा तैयार माल जमा हो गया है ? जिससे बुनकरों के समक्ष रोजी-रोटी की भीषण समस्या पैदा हो गयी है ? क्या इसकी जानकारी करके यूपिका द्वारा माल खरीदे जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । अब यह निर्णय लिया गया है कि यूपिका की सदस्य समितियों के करघों आदि की जांच करवाकर यूपिका द्वारा भी इस क्षेत्र में खरीदारी की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में नलकूपों की स्वीकृति, बोरिंग तथा निर्माण कार्य

64--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में 1981-82 तथा 1982-83 वित्तीय वर्ष में कितने ट्यूबवेल (नलकूप) स्वीकृत हुए, कितने की बोरिंग हुई और कितनों पर कार्य प्रारम्भ हो गया और कितने ऐसे ट्यूबवेल आदि 31 अक्तूबर, 1982 तक बकाया रह गये हैं जो कि सिंचाई का काम नहीं कर रहे हैं ? बकाया ट्यूबवेल कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीतापुर जनपद में वर्ष 1981-82 में 68 नलकूप स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 1982-83 में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत उक्त जनपद हेतु कोई नये नलकूप की स्वीकृति नहीं दी गई ।

वर्ष 1981-82 में 48 तथा वर्ष 1982-83 में 11 नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है । समस्त छिद्रित नलकूपों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन नलकूपों में से 2 नलकूपों का ऊर्जीकरण हो चुका है तथा ये सिंचाई कर रहे हैं । शेष नलकूपों पर कार्य प्रगति पर है । इन नलकूपों को वर्ष 1983-84 में जनपद प्लान में प्राविधानित धनराशि के अनुसार चलाने का प्रयास किया जायेगा ।

65--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[दिनांक 23-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 119 द्वारा उत्तरित ।]

सीतापुर डिपो में कार्यरत बसों की संख्या तथा खराब बसों की मरम्मत करने का प्रयास

66--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर डिपो में कितनी बसें इस समय कार्यरत हैं और कितनी बसें टूटी खड़ी हैं ? जनपद सीतापुर में 31 दिसम्बर 1980 तक कितनी बसें कार्यरत थीं और कितनी टूटी हुई थीं ? आज बसों की जो कमी 31 अक्तूबर, 1982 को डिपो में है, उसका क्या कारण है ? इस कमी को सरकार कब तक दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्तमान समय में सीतापुर डिपो में 56 बसों का बेड़ा है जिनमें से 38 बसें कार्यरत हैं तथा 18 बसें आफ रोड खड़ी हैं। इन 18 खराब खड़ी बसों में 6 बसें नीलाम हेतु हैं तथा शेष 12 बसें कार्यशालाओं में मरम्मत हेतु हैं।

31 दिसम्बर, 1980 को सीतापुर डिपो में 48 बसें कार्यरत थीं और इनके अतिरिक्त 13 बसें खराब हालत में थीं।

सीतापुर डिपो में बसों की कमी का मुख्य कारण यह है कि निगम की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक न होने के कारण वांछित संख्या में नई बसें क्रय करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है अतः पुरानी निष्प्रयोज्य बसों का प्रतिस्थापन समय से नहीं हो रहा है। नये संसाधनों के लिये प्रयत्न किया जा रहा है जिनके प्राप्त होने के उपरान्त निगम नई बसें क्रय कर इसे दूर करेगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट बसों को अनुबन्धित कर कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। खराब बसों को यथाशीघ्र मरम्मत कर उन्हें संचालित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

मथुरा जनपद के गोकुल कस्बे में लघु उद्योग खोलने की योजना

67--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के गोकुल कस्बे में कोई लघु उद्योग खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उद्योग का नाम क्या है और कब तक उक्त कस्बे में स्थापित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मथुरा जनपद के गोकुल कस्बे में सरकार की ओर से कोई सरकारी लघु औद्योगिक इकाई खोलने की योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि गोकुल एक धार्मिक स्थान होने के कारण यहां पर न तो कोई परम्परागत उद्योग है और न कारीगरों और कच्चे माल की उपलब्धता है।

जनपद फैजाबाद की मगनपुर माइनर, ब्लाक रामनगर की खुदाई का कार्य

68--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मगनपुर माइनर, ब्लाक रामनगर की खुदाई (निर्माण) का कार्य कब से शुरू किया गया है? क्या यह भी सही है कि उक्त माइनर की खुदाई अरसा 20 साल से अधिक समय से हो रही है? यदि हां, तो अब तक मगनपुर माइनर की खुदाई पूर्ण न कराये जाने का क्या कारण है? कब तक खुदाई का कार्य पूर्ण करा लिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मगनपुर माइनर, ब्लाक रामनगर की खुदाई (निर्माण) का कार्य माह अक्तूबर, 1965 में शुरू किया गया था। माह नवम्बर, 1965 से वर्ष 1978 तक माइनर की खुदाई का कार्य काश्तकारों के विरोध एवं न्यायालय में वाद के कारण स्थगित रहा। वर्ष 1979 में खुदाई का कार्य पुनः आरम्भ किया गया। माइनर के 8.60 कि0 मी0 से 8.80 कि0 मी0 तक 200 मीटर में निर्माण कार्य कृषकों के तीव्र विरोध के कारण अवशेष है, जिसको शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली में नवम एशियाई खेलों के दौरान गंगा नहर से कथित जल आपूर्ति

69--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हो रहे नवम एशियाई खेलों के दौरान जल की पूर्ति के लिए गंगा नहर का पानी किस तारीख से किस तारीख तक दिया गया ? उसके कारण कितने क्षेत्रफल जनपद बुलन्दशहर तथा अन्य जनपदों में रबी की फसल पलेवा नहीं हो सकी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिल्ली में हुए नवम एशियाई खेलों के दौरान जल पूर्ति हेतु गंगा नहर से कोई पानी नहीं दिया गया। इसलिए बुलन्दशहर तथा अन्य जनपदों में रबी की फसल के पलेवा पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर द्वारा सीपेज से प्रभावित भूमि की क्षति

70--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर के दोनों तरफ एक-एक मील ककराही से लेकर तेपुर तक कितने एकड़ जमीन सीपेज से प्रभावित हुई है, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कितने परिवार उजड़ गये हैं ? सीपेज को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है और वह योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी के बुनकरों हेतु आयात किया गया रेशम तथा उसका वितरण

71--श्री कैलाश टंडन--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 में रेशम के अभाव को देखते हुए वाराणसी के बुनकरों के वास्ते विदेश से कितना रेशम मंगाया गया और उक्त रेशम को बुनकरों को कैसे बांटा गया ? अब स्टाक में कितना रेशम बाकी बचा है ? बुनकरों को दिये जाने वाले रेशम का क्या भाव निर्धारित किया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनवरी, 1982 में उत्तर प्रदेश रेशम क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों को देने के लिए 9016 किग्रा0 आयातित रेशम मंगाया गया। इसमें से 6000 कि0ग्रा0 वाराणसी के बुनकरों के लिए निर्धारित किया गया था। वाराणसी के बुनकर क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर करघे की संख्या के आधार पर कार्ड वितरित किए गए और वाराणसी में बिक्री केन्द्र खोलकर बुनकरों को प्रति करघे पर एक से लेकर दो किग्रा0 रेशम दिया गया।

इस समय स्टाक में लगभग 1928 किग्रा0 रेशम बाकी बचा है।

बुनकरों को दिये जाने वाले रेशम का भाव 476 रु0 प्रति किग्रा0 (स्थानीय कर अतिरिक्त) की दर से निर्धारित किया गया था।

72---श्री प्रभू नारायण सिंह---

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

औद्योगिक कलाकार सहकारी समिति लि0, अलीगढ़ से सम्बन्धित सतर्कता विभाग द्वारा अधिगृहीत पत्रावलियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

73-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता विभाग ने दिनांक 27-5-81 को औद्योगिक कलाकार सहकारी समिति लि0, अलीगढ़ के प्रकरण के सम्बन्ध में उद्योग निदेशक कार्यालय से कुछ पत्रावलियां अधिग्रहीत की हैं, जिनका सम्बन्ध उप निबन्धक औद्योगिक सहकारी समितियों व उत्पादन अधीक्षक के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही को लम्बित करने से था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

अभी सतर्कता विभाग से किसी कार्यवाही की कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम नारायण वाला जिला, बिजनौर के किसानों की अधिग्रहीत भूमि सम्बन्धी मुआवजा

74-श्री धम्मन सिंह गहलौत---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नारायणवाला, परगना अफजलगढ़, तहसील नगीना, जिला बिजनौर की जो कृषि भूमि किसानों से धारा बांध बनाने के लिए 1966 में अधिग्रहीत की गई थी ? क्या उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया है और उनकी कब से लगान माफ की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सिंह राय भाले सुल्तान इन्टर कालेज हलियापुर जनपद सुल्तानपुर में अध्ययन रत हरिजन एवं अन्य छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

75–श्री विद्यासागर नौटियाल तथा श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सिंह राय भाले, सुलतान इन्टर कालेज, हलियापुर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत कितने हरिजन एवं अन्य छात्रों को छात्रवृत्ति 1982–83 में दी जा रही है ? क्या यह सही है कि कुछ छात्र जिन्होंने ग्यारहवीं कक्षा में वर्ष 1981 में प्रवेश लिया था, उन्हें छात्रवृत्ति न देने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा––

जी हां ।

श्री सिंह राय भाले, सुल्तान इन्टर कालेज हलियापुर, जनपद सुल्तानपुर के कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हरिजन एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को वर्ष 1982–83 में अब तक 39 हरिजन और 7 पिछड़ी जाति कुल मिलाकर 46 छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

वर्ष 1981 में अनुसूचित जाति के सभी 8 छात्रों को जिन्होंने ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लिया था नियमानुसार अनिवार्य छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई और धनराशि का भुगतान भी सम्बन्धित छात्रों को किया गया । पिछड़ी जाति के 10 छात्रों को जिनके आवेदन पत्र जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय में प्राप्त हुए थे, सभी को योग्यता के आधार पर अनावर्तीय सहायता प्रदान की गई ।

उ0 प्र0 में आदिवासियों के विकास सम्बन्धी योजना

76–श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार बताएगी कि उ0 प्र0 में आदिवासियों के विकास के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप व लक्ष्य है ?

श्री गुलाब सेहरा––

उ0 प्र0 में आदिवासियों के विकास के लिए योजना बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

सिंगरौली अनपरा जिला मिर्जापुर में अधिग्रहीत किसानों की जमीन तथा मुआवजे का भुगतान

77–श्री ऊदल––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली अनपरा, जिला मिर्जापुर के दक्षिणांचल में उद्योगों के विस्तार के लिए किसानों की कितनी जमीनें ली गई हैं तथा उनका मुआवजा तथा रहने का प्लाट अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के दक्षिणांचल सिंगरौली अनपरा में 4248.68 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई। प्रभावित किसानों को 1,48,42,146.76 रु0 प्रतिकर के रूप में बांटे जा चुके हैं। प्रभावित 1582 विस्थापित परिवारों को आवासीय भूमि दी जा चुकी है और अवशेष 110 विस्थापित परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

वाराणसी मंडल में मुसहरों की जीविका एवं रहने की व्यवस्था का सर्वेक्षण एवं योजना

78-श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सबसे पिछड़ी हुई जाति मुसहरों जिनकी जीविका एवं रहने की व्यवस्था नहीं है उसका पूरा सर्वेक्षण वाराणसी मंडल का करायेंगे ? और कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याणार्थ निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं शोध सर्वेक्षण इकाई कार्यरत है। उ0 प्र0 के पूर्वी जनपदों में निवास करने वाली मुसहर जाति के सर्वेक्षण हेतु कतिपय संस्थाओं/प्रवक्ताओं द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने पर कोई योजना बनाना सम्भव होगा।

दर्जा पांच तक पढ़े मुसहरों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी की सुविधा की मांग

79-श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जो मुसहर दर्जा पांच तक पढ़े हैं उन्हें चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

मुसहर जाति समस्त उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति घोषित हैं। अतः अन्य अनुसूचित जाति के लोगों की भांति मुसहर जाति के लोगों को भी नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

रामगंगा नदी की बाढ़ से राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद को हुई कथित क्षति

80--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बैवुल नदी में सितम्बर, 82 में बिना जिलाधिकारी, फतेहगढ़ को सूचित किए कई दिन तक पानी छोड़ा गया जिसके फलस्वरूप रामगंगा नदी में आई कृत्रिम बाढ़ से फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में जनधन एवं कृषि की भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो बिना सूचना के पानी छोड़ने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

बेगुल बांध से बेगुल नदी में माह अगस्त, 1982 के अन्तिम सप्ताह में पानी छोड़ा गया था, माह सितम्बर, 1982 में नहीं छोड़ा गया ।

बेगुल बांध फर्रुखाबाद जनपद से लगभग 150 किलोमीटर दूर है तथा बेगुल नदी फर्रुखाबाद जनपद की सीमा से काफी पूर्व ही रामगंगा नदी में मिल जाती है । इस अवधि में बेगुल बांध से छोड़े गए पानी की अधिकतम मात्रा केवल 3,208 क्यूसेक थी, जो कि रामगंगा नदी में आई बाढ़ की तुलना में नगण्य थी । इस कारण बेगुल नदी से छोड़े गए पानी की सूचना फर्रुखाबाद जनपद के अधिकारियों को नहीं दी गई और पूर्व में भी नहीं दी जाती थी । बेगुल नदी द्वारा छोड़े गए पानी से कोई क्षति नहीं हुई है ।

यहां यह भी सूचनीय है कि प्रश्नकर्ता ने बेंबुल नदी लिखा है, जबकि उत्तर बेगुल नदी मानकर दिया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम मसूरगंज में शकरपुर ड्रेन पर पुल निर्माण हेतु धनराशि

81--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित जहांगीरगंज वाया मसूरगंज बिड़हर, हसवर चन्डा मेन रोड पर ग्राम मसूरगंज में शकरपुर, ड्रेन पर पुल निर्माण हेतु 1975 से 1982 के बीच कोई प्रस्ताव रहा ? यदि हां, तो अब तक उक्त निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितना व्यय किया जा चुका है तथा पुल निर्माण की स्थिति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जनपद फैजाबाद में स्थित जहांगीरगंज वाया मसूरगंज में बिड़हर, हसवर चन्डा मेन रोड पर ग्राम मसूरगंज में चौधरीपुर ड्रेन के कि0 मी0 0-950 पर 1980 में एक पुल का निर्माण प्रस्तावित किया गया । शंकरपुर नाम की कोई ड्रेन इस क्षेत्र में नहीं है ।

पुल के निर्माण हेतु अभी तक धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुल निर्माण आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम डुन्हिया में घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु ठोकरों के निर्माण में अनियमितता

82--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डुन्हिया, परगना व तहसील एवं जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु ठोकरों के निर्माण हेतु क्रय की गई ईंट पत्थरों के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में

प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र मन्त्री को दिनांक 15 सितम्बर, 1982 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम के कटान से बचाव हेतु कुल कितने रुपये का ईंट पत्थर विभाग ने किस अधिकारी द्वारा कब क्रय किया ? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त ग्राम की सुरक्षा हेतु ठोकर निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ग्राम डुन्हिया के कटान से बचाव हेतु कुल 4.49 लाख रु0 का ईंट, पत्थर क्रय किया गया । यह सामग्री श्री विमल प्रसाद जैन, तत्कालीन अधिशासी/अभियन्ता, श्री सत्य प्रकाश पान्डेय, सहायक अभियन्ता द्वारा 2-2-1981 से 30-5-1981 की अवधि में क्रय की गयी ।

संदर्भित पत्र की प्राप्ति के पश्चात् इस मामले की जांच कराई गई । जांच में निर्माण सामग्री का कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम डुन्हिया में डम्पर वर्ष 1981 की बाढ़ से पूर्व निर्मित हुये थे । इससे वर्ष 1981 तथा 1982 की बाढ़ में ग्राम डुन्हिया की आबादी को कटान से सुरक्षा मिली है ।

जनपद फैजाबाद में शारदा सहायक 44 में फर्जी मस्टर रोल पर भुगतान के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

83--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 44, जनपद फैजाबाद में फरवरी व मार्च, 1982 में राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत लाखों रुपये फर्जी मस्टर रोल दिखाकर भुगतान एवं भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 6-10-1982 को सिंचाई मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 विभाग से कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की छानबीन हो रही है । जांच परिणाम में दोषी प्रतीत होने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम रज्जोपुर की हरिजन बस्ती में पानी निकासी की व्यवस्था

84--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रज्जोपुर विकास खंड टांडा जनपद फैजाबाद की हरिजन बस्ती से वर्षा के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 6-10-1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त हरिजन बस्ती से पानी निकासी की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम भड़सारी मे ड्रेन निर्माण

85--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भड़सारी ब्लाक व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद में गुआंव तालाब नं0 221 व अलैया तालाब भूमि नं0 376 व बड़ईरया तालाब भूमि नं0 387 में ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 5-10-1982 को सिंचाई मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ग्राम भड़सारी, ब्लाक व तहसील टांडा जनपद फैजाबाद में स्थित तथा प्रश्न में उल्लिखित तालाबों से बसन्तपुर नाम की ड्रेन प्रस्तावित है, जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।

उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा के विपणन प्रबन्धक श्री महेन्द्र सहाय की नियुक्ति का आधार

86--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि श्री महेन्द्र सहाय, वर्तमान मार्केटिंग मैनेजर, उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा अपने पद हेतु आवश्यक प्राविधिक योग्यता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो इस पद पर इनकी नियुक्ति किये जाने का आधार क्या है ? क्या सरकार इन्हें हटाकर इनके स्थान पर उचित प्राविधिक योग्यता रखने वाले किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0, आगरा से प्राप्त सूचनानुसार श्री महेन्द्र सहाय विपणन प्रबन्धक के पद हेतु निर्धारित अर्हतायें रखते हैं। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

देवरिया डिपो की रुद्रपुर जाने के लिए आरक्षित की गई बसें एवं आय

87--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया डिपो की कितनी बसें किसके आदेश से दिनांक 29-10-82 को रुद्रपुर जाने के लिए आरक्षित की गई थीं ? उससे कितनी आय हुई तथा बसें कितनी किलोमीटर चलीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

दिनांक 29-10-82 को देवरिया डिपो की 34 बसें अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी (आई), देवरिया की प्रार्थना पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर द्वारा चार्टर बुकिंग के आधार पर बुक की गई। इन बसों से कुल 60,788·60 रु0 की आय हुई और ये बसें कुल 17 हजार कि0 मी0 चलीं।

श्री श्याम लाल, शाप इंचार्ज, कानपुर द्वारा श्री महेन्द्र सहाय, वर्तमान मार्केटिंग मैनेजर के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

88--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 11-11-82 को श्री श्याम लाल, शाप इंचार्ज (लैम्को) गुमटी नं0 5, कानपुर ने श्री महेन्द्र सहाय, वर्तमान मार्केटिंग मैनेजर, उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम, आगरा द्वारा अनधिकृत रूप से रुपया वसूलने एवं दिनांक 11-11-82 को अशोभनीय व्यवहार करने संबंधी शिकायतें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन नि0, आगरा द्वारा लिखित रूप में भेजी गई? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई और जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निगम से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र इस विषय में नहीं मिला। श्री श्याम लाल द्वारा स्वयं प्रेषित शिकायती पत्र पर निगम के सामान्य प्रबन्धक द्वारा जांच की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में पत्थर के कार्य का लाइसेन्स तथा नवीनीकरण

89--श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में 1982-83 तक कितने लोगों को पत्थर का कार्य करने का लाइसेन्स दिया गया है और कितने लोगों के लाइसेन्स का नवीनीकरण किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर में वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्टोन महल अधिनियम, 1886 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को पत्थर का "लाइसेन्स" नहीं दिया गया क्योंकि उक्त अधिनियम, शासकीय-विज्ञप्ति सं0 901/18-12-एम-68/63, दिनांक 26 अप्रैल, 1979 के "राजपत्र" दिनांक 16 जून, 1979 में प्रकाशन की तिथि से "निष्प्रभावी" हो गया है तथा उसके स्थान पर उ0 प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 लागू कर दी गई है। चूंकि वर्ष (1982-83) में कोई "लाइसेन्स" स्वीकृत नहीं किया गया, अतः नवीनीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

उल्लेखनीय है कि जनपद मिर्जापुर में उ0 प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 लागू किये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकायें प्रस्तुत करके "स्थगनादेशों" के आधार पर कुल 2,894 लाइसेन्स धारक स्टोन महल अधिनियम, 1886 के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

देवरिया जिलान्तर्गत दोरांची नाले पर पड़िया पार ग्राम के निकट पुल बनाने की कार्यवाही

90—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत दोरांची नाले पर पड़िया पार ग्राम के निकट पुल बनाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दोरांची नाले पर जिस स्थान पर पुल की मांग की गई है उससे 4.15 कि0 मी0 ऊपर की ओर तथा 3.55 कि0 मी0 नीचे की ओर पुल बने हुए हैं।

ऐसी दशा में तथा वर्तमान में आवश्यक धन की कमी के कारण इस स्थान पर पुल बनाना संभव नहीं है।

राजकीय इंटर कालेज, गोपेश्वर (चमोली) हेतु स्वीकृत विद्युतीकरण योजना

91—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज, गोपेश्वर (चमोली) के लिए विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय एवं विद्यालय के अध्यापकों के आवास गृहों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युतीकरण हो जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। योजना स्वीकृत है। सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण अन्य कार्यों के साथ-साथ प्रश्नगत विद्यालय भवन/आवास भवनों का विद्युतीकरण अभी नहीं हो पाया है। सीमित संसाधनों/वित्तीय कठिनाइयों के परिपेक्ष में अभी यह बताना संभव नहीं है कि विद्युतीकरण का कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा।

जनपद मथुरा में गंगा नहर के चतुर्थ उप खंड में बहने वाले कुरसण्डा राजबाहा में कुलाबों की बारबन्दी

92—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच, जनपद मथुरा में गंगा नहर के चतुर्थ उप खंड में बहने वाले कुरसण्डा राजबाहा के कुलाबों की अभी तक बारबंदी नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? कब तक बारबन्दी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

कुलाबों की बारबन्दी कृषकों के प्रार्थना-पत्र पर ही अधिशासी अभियंता द्वारा की जाती है । अधिशासी अभियंता के कार्यालय में बारबंदी के लिए कृषकों से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । कृषकों द्वारा बारबन्दी के लिए प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री अभिमन्यु सचान, चालक की प्रशिक्षण पद पर प्रोन्नति

93--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अभिमन्यु सचान, चालक, झांसी को बिना किसी तकनीकी टेस्ट के चालक प्रशिक्षण के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया ? क्या यह सच है कि श्री सचान चालकों की वरिष्ठता सूची में नीचे थे ? यदि हां, तो इसके दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री अभिमन्यु सचान, चालक को एक क्षेत्रीय कमेटी द्वारा टेस्ट करने के बाद चालक प्रशिक्षक पद पर प्रोन्नति दी गई । यह सत्य है कि श्री सचान चालकों की वरिष्ठता सूची में नीचे थे किन्तु कमेटी ने अन्य चालकों की अपेक्षा इनको सबसे उपयुक्त पाया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप निर्माण खंड, आगरा में हरिजन कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र

94--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 का नलकूप निर्माण खंड, आगरा में हरिजन कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी द्वारा इसे पुलिस अधीक्षक, आगरा को दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 को भेजा गया ।

मेसर्स डी० सी० एम० द्वारा जापान की टोयटा मोटरकार कम्पनी के सहयोग से लाइट कामर्शियल वेहिकिल बनाने का कारखाना

95--श्री शंकर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जापान की टोयटा मोटरकार कम्पनी, उ० प्र० में डी० सी० एम० के सहयोग से कारें तथा अन्य मोटरें बनाने का कारखाना स्थापित कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मेसर्स डी0 सी0 एम0 द्वारा जापान की टोयटा मोटरकार कम्पनी के सहयोग से लाइट कामर्शियल वेहिकल बनाने का कारखाना सूरजपुर, दादरी, जिला गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है ।

मेसर्स डी0 सी0 एम0 को भारत सरकार द्वारा 15,000 लाइट कामर्शियल वेहिकिल (3 टन तक भारी की क्षमता वाले) वार्षिक बनाने हेतु आशय-पत्र प्रदान किया गया है ।

96--श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[दिनांक 16 फरवरी, 1983 को अतारांकित प्रश्न सं0 11 द्वारा उत्तरित ।]

राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश की आटो स्पिनिंग मिलें तथा उनमें कार्यरत कर्मचारी

97--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश की आटो स्पिनिंग मिलों की स्वीकृत संख्या अलग-अलग क्या है तथा उनके कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस समय क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि नियमतः कुल स्वीकृत संख्या का कितना प्रतिशत कर्मचारी रखा जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तहसील के बरवा टोला बन्धी व झारो खास बन्धी के नहर में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

98--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तहसील के बरवा टोला बन्धी व झारो खास बन्धी के नहर में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मरम्मत कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो अभी तक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है ।

कनहर सिंचाई परियोजना के दांयी तथा बांयी नहर का निर्माण कार्य तथा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

99--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना दांयी व बांयी नहर के लिए भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही किए

बिना ही उक्त नहर में पड़ने वाले काश्तकारों की भूमि खोदकर बर्बाद कर दी गई है तथा उक्त नहर में कई काश्तकारों का घर व वृक्ष खोद डाले गये हैं ? क्या सरकार का आदेश है कि काश्तकारों की सम्पत्ति का निर्धारित मुआवजा देने के उपरान्त ही उनके भूमि पर कार्य लगाया जाय ? यदि हां, तो इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कनहर सिंचाई परियोजना के दांयी तथा बांयी नहर का निर्माण कार्य भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही प्रारम्भ किया गया था, क्योंकि सम्बन्धित कृषकों ने स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपनी लिखित सहमति दे दी थी । कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कृषकों को फसल का मुआवजा वितरित कर दिया गया था तथा सम्बन्धित भूमि का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पिपरी को प्रेषित कर दिया गया था ।

नहर के समरेखन पर पड़ने वाले घरों तथा वृक्षों की खुदाई नहीं की गई है । प्रतिकर वितरण के पूर्व भी जब भूमि का स्वामित्व मिल जाता है तो स्थल पर कार्य लगाया जा सकता है । आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि काश्तकारों ने लिखित रूप से अपनी भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने की सहमति दे दी थी । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कटौली बंधी में नहर प्रणाली के विस्तार का सर्वेक्षण कार्य

100--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कटौली बांध के नहर प्रणाली के विस्तार का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद भी कार्य शुरू न कराने का क्या कारण है ? क्या इस वर्ष निर्माण कार्य शुरू करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कटौली बंधी में नहर प्रणाली के विस्तार का सर्वेक्षण कार्य माह जनवरी 1983 में पूरा हो गया है । भूमि उपलब्ध होने पर कार्य किया जायगा । अप्रैल, 1983 से कार्य आरम्भ होने की आशा है ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील की बभनी बंधी हेतु काश्तकारों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

101--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील की बभनी बंधी कब बनी है और उसमें कितने काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण की गयी है ? उन काश्तकारों को अब तक मुआवजा न मिलने का क्या कारण है ? क्या उन काश्तकारों के मुआवजा का भुगतान किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979-80 में कार्य पूर्ण किया गया । 90 काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण की गई ।

प्रश्नगत भूमि की धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 28-11-81 को हुआ तथा प्रतिकर परिपत्र के तैयार करने तथा अनुमोदन प्राप्त होने हेतु कार्यवाही के कारण काश्तकारों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है।

जी हां। प्रश्नगत भूमि के प्रतिकर के प्रपत्र पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायगी।

कनहर सिंचाई परियोजना हेतु अमवार व नगवां गांव की ली गयी भूमि, प्रतिकर का भुगतान तथा निर्माण कार्य की प्रगति

102--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर परियोजना में अमवार व नगवां गांव में जो अभियन्ता कालोनी बनायी गयी है उस भूमि को नियमानुसार अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का मुआवजा उसके मालिकों को न देने का क्या कारण है ? क्या उक्त भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

103--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना कार्य बजट के अभाव में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो पुनः कार्य जारी रखने के लिए कोई ठोस उपाय करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति में है।

मिहीपुरवा होकर बहराइच से बरेली/शाहजहांपुर आने-जाने वाली सीधी बस सेवा की मांग

104--श्री जटाशंकर सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले बुध के अता० प्र० सं० 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि सन्दर्भित कार्यवाही एवं निदेशों के बावजूद भी बहराइच से बरेली/शाहजहांपुर आने-जाने वाली समस्त बसें मिहीपुरवा बस स्टाप (रोडवेज) होकर एक दिन भी नहीं आयी-गयी और आज भी नहीं आ-जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मिहीपुरवा होकर बहराइच से बरेली/शाहजहांपुर आने-जाने वाली सीधी बस सेवा लगभग ढाई मास से बन्द है। इसका प्रमुख कारण बस बेड़े के बहुत पुराने होने के कारण वांछित संख्या में लम्बे रूट पर संचालन योग्य बसें उपलब्ध न हो पाना है।

अपर आगरा कैनाल डिवीजन, मथुरा में कथित सींचपालों की परीक्षा

105--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी-मार्च 1981 में अपर आगरा कैनाल डिवीजन मथुरा के अधिशासी अभियन्ता ने सींचपालों के पद हेतु होने वाली परीक्षा को स्थगित किया था ? यदि हां, तो स्थगित करने के कारण क्या थे ? अब यह परीक्षा कब होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। फरवरी, मार्च, 1981 में सींचपालों के पद हेतु कोई परीक्षा नहीं होने वाली थी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय नलकूप का निर्माण

106--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1981-82 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने राजकीय नलकूप लगाये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद में वर्ष 1981-82 में निम्न विधान सभा क्षेत्र में उनके सम्मुख अंकित संख्या में राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया।

1--165 हरैया	2
2--166 कप्तानगंज	4
3--167 नगरपुरब	7
4--168 बस्ती सदर	3
5--169 रामनगर	1
6--170 डुमरियागंज	2
7--171 इटवा	1
8--172 शोहरतगढ़	3
9--173 नवगढ़	..
10--174 बांसी	11
11--175 खेसरहा	4
12--176 मेंहदावल	2
13--177 खलीलाबाद	3
14--178 हैंसर बाजार	2
योग ..	45

परिवहन निगम क्षेत्र, झांसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्तमान कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कथित नियुक्ति

107—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 के माह नवम्बर, वर्ष 1982 के माह नवम्बर तक ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी संख्या है, जिनकी नियुक्तियां परिवहन निगम क्षेत्र झांसी में वर्तमान कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक झांसी ने अपने लिखित आदेश से की है ? क्या उक्त कर्मचारी किसी प्रतीक्षा सूची में रखे गये हैं ? यदि हां, तो नियुक्ति का क्या आधार है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1981 के माह नवम्बर से वर्ष 1982 के माह नवम्बर तक किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति झांसी के वर्तमान कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अपने लिखित आदेश से नहीं की है ।

गढ़वाल में दिये गये ट्रकों के नेशनल परमिट

108—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में गढ़वाल में ट्रकों के नेशनल परमिट दिये गये ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों को दिए गये हैं और वे व्यक्ति वहां के मूल निवासी हैं या नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

गढ़वाल सम्भाग के निम्नलिखित 10 व्यक्तियों को नेशनल परमिट दिए गए हैं जिनके पते प्रार्थना-पत्र के अनुसार निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री जसवीर सिंह बागला पुत्र श्री ए0 एस0 बागला, चोकरी, गढ़वाल ।

(2) श्री गुरबख्स सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह, बद्री नाथ मार्ग, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल ।

(3) श्री प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री ताराचन्द्र यादव, पटेल मार्ग, कोटद्वार, गढ़वाल ।

(4) श्री हरि मोहन सिंह परमार पुत्र श्री सूरत सिंह परमार, ग्राम व पो0 नौगांव, उत्तरकाशी ।

(5) श्री जितेन्द्र कुमार भाटिया पुत्र श्री हवेली राय भाटिया, गोविन्द नगर, कोटद्वार, गढ़वाल ।

(6) श्री अमर सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह, बद्रीनाथ मार्ग, कोटद्वार, गढ़वाल ।

(7) श्री गुरबक्स सिंह एन्ड सन्स, बद्री नाथ मार्ग, कोटद्वार, गढ़वाल ।

(8) श्री राधा कृष्ण महेश्वरी पुत्र श्री गंगा लहरी महेश्वरी, तिलवाड़ा, चमोली, गढ़वाल ।

(9) श्री एम0 एस0 अग्रवाल पुत्र श्री आर0 बी0 अग्रवाल, गोविन्द नगर, कोटद्वार, गढ़वाल ।

(10) श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, पटेल मार्ग, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल ।

उपरोक्त में से क्रम संख्या 2, 4, 5, 6 व 7 पर के व्यक्ति गढ़वाल सम्भाग के मूल निवासी हैं शेष वहां के मूल निवासी नहीं हैं ।

राजकीय महाविद्यालय कर्ण प्रयाग, चौबटाखाल तथा बेदीखाल के भवनों का कथित निर्माण

109—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग, चौबटाखाल तथा बेदीखाल जो क्रमशः जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में है, उनके भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1982–83 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में 31 मई, 1982 तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत महाविद्यालयों के स्थायी भवनों के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है । अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खंड टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल के कार्यरत अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच

110—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सिंचाई खंड टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल के 10–1–81 तक कार्यरत अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर आरोप पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप–पत्र शासन को प्राप्त हो गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

111—श्री शंकर सिंह—

[दिनांक 16–2–83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 89 द्वारा उत्तरित ।]

फिरंगीपुर वाया हिथरी माइनर, फैजाबाद में माइनर निर्माण हेतु कार्यवाही

112—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरंगीपुर वाया हिथरी माइनर, ब्लाक टान्डा, फैजाबाद से माइनर निर्माण हेतु कार्यवाही

की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त माइनर निर्माण की स्थिति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

माइनर की कुल प्रस्तावित लम्बाई 3 कि0 मी0 में से 1·8 कि0 मी0 का निर्माण पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

भगतपुर माइनर की खुदाई एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

113--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामप्रीत यादव, श्री राजनारायण यादव, ग्राम प्रधान टंडवा फरीदपुर का प्रार्थना-पत्र भगतपुर माइनर की खुदाई एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त माइनर की खुदाई एवं मरम्मत का कार्य पूरा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

10·2 कि0 मी0 लम्बी भगतपुर माइनर के कि0 मी0 8·6 से 8·8 रीच को छोड़कर शेष लम्बाई में खुदाई हो चुकी है । माइनर की 200 मीटर की लम्बाई में कृषकों द्वारा अवरोध के कारण खुदाई का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है । खुदाई पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

श्री राम लाल वर्मा, अमीन सिंचाई निर्माण खंड बस्ती द्वारा विभागीय भूमि पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही

114--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल वर्मा, अमीन, सरजू नहर प्रथम सिंचाई निर्माण खंड, बस्ती में कई वर्षों से कार्यरत हैं और ग्राम गड़गौड़िया, बस्ती सदर में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें विभागीय जमीन में अपना निजी मकान बना लिए हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी इसकी जांच कराकर इन्हें दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री राम लाल वर्मा, अमीन, सिंचाई निर्माण खंड, बस्ती में दिनांक 4-9-78 से कार्यरत हैं । ग्राम गौड़िया, बस्ती सदर में निर्माणाधीन कालोनी की विभागीय भूमि में उक्त अमीन ने मकान निर्माण हेतु नींव डलवाई थी ।

यह अनाधिकृत निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है । श्री राम लाल वर्मा, अमीन के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

देवहट ड्रेन का निर्माण तथा किछौछा के पास बसखारी, जलालपुर मेन रोड के ट्रेन क्रासिंग पर पुल चौड़ा करने की कार्यवाही

115--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलराम वर्मा, उपाध्यक्ष लोकदल बसखारी टांडा, फैजाबाद द्वारा दिनांक 22-9-1982 को प्रार्थना-पत्र देवहट ड्रेन की अधूरी खुदाई को पूर्ण करने के सम्बन्ध में एवं किछौछा के पास बसखारी जलालपुर मेन रोड के (ड्रेन) पर स्थित पुल चौड़ा कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-10-1982 का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अपूर्ण ड्रेन का निर्माण पूर्ण कराने के साथ पुल को चौड़ा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

देवहट ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

किछौछा के पास बसखारी जलालपुर मेन रोड के ट्रेन क्रासिंग (कि0 मी0 0.8) पर स्थित स0 नि0 वि0 द्वारा पूर्व निर्मित पुल चौड़ा करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम करौदी लाल की प्रस्तावित ड्रेन

116--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजीत यादव का प्रार्थना-पत्र 26-9-1982 बाबत ग्राम, करौदी लाल, परगना बिडहर, तहसील टांडा, फैजाबाद के ड्रेन निकाल कर शंकरपुर ड्रेन में मिलाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-10-1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन का निर्माण कराकर शंकरपुर ड्रेन में मिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शंकरपुर नाम की कोई ड्रेन इस क्षेत्र में नहीं है । अतः प्रश्नगत ड्रेन को इससे मिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

करौंदी लाल ग्राम के ताल से हथिना ताल ड्रेन प्रस्तावित है, जो चौधरीपुर ड्रेन में मिलेगी ।

नलकूप खंड एटा के श्रमिकों की समस्याओं से सम्बन्धित कथित-पत्र

117--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का नलकूप खंड एटा के श्रमिकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र दिनांक 28-11-1982 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

श्रमिकों के सम्बन्ध में दिनांक 28-11-1982 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

मैग्नासाइट एण्ड मिनरल्स लिमिटेड चंडाक, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा ब्लास्टिंग के दौरान अवरुद्ध किया गया सार्वजनिक यातायात तथा वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की मांग

118--श्री चारुचन्द्र ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स लि0 चंडाक, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा पिथौरागढ़ चंडाक बांस मार्ग को विस्फोट (ब्लास्टिंग) के दौरान सार्वजनिक यातायात के लिए रोका जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी को विस्फोट (ब्लास्टिंग) के दौरान यातायात को रोकने के लिए शासन ने अनुमति दी है ? यदि नहीं, तो वे किसके आदेश से उक्त मार्ग पर यातायात रोकते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह.-

मैग्नेसाइट एन्ड मिनरल्स लिमिटेड, चंडाक जनपद पिथौरागढ़ द्वारा अपने खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के दौरान चंडाक-बांस मार्ग को (अपरान्ह पांच बजे से पांच तीस तक) सुरक्षा की दृष्टि से रोका जाता है । मेटलीफेरस माइन्स रेगुलेशन 1961 के नियम 164 के अन्तर्गत खननकर्त्ता का यह दायित्व है कि ब्लास्टिंग के स्थान से 300 मीटर की परिधि में सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्तियों को आने से रोके ।

119--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त विस्फोट (ब्लास्टिंग) के दौरान यदि यातायात को दिन भर में समय-समय पर रोका जाना आवश्यक है तो क्या सरकार कोई वैकल्पिक मार्ग पिथौरागढ़ चंडाक-बांस के लिए बनायेगी क्या सरकार वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की स्थिति में जो खर्च होगा उसे उक्त कम्पनी मैग्नेसाइट एण्ड मिनिरल्स लि0 चंडाक, पिथौरागढ़ से मुआवजे के रूप में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ब्लास्टिंग के दौरान मात्र आधा घंटे के लिये सायं 5 बजे से 5.30 तक ही केवल उक्त मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से रोका जाता है । दिन भर में उक्त समय के अलावा ब्लास्टिंग नहीं की जाती है । चूंकि पिथौरागढ़ चंडाक मार्ग पर कोई विशेष यातायात नहीं रहता है अतः अलग से मोटर मार्ग बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

मेग्नासाइड एन्ड मिनिरल्स लि0 चंडाक, पिथौरागढ़ को मैग्नेसाइट निकालने हेतु लीज पर दी गयी भूमि तथा बाहर भेजा गया कच्चा व पक्का माल

120—श्री चारु चन्द्र ओझा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मेग्नेसाइट एन्ड मिनिरल्स लि0 चंडाक, पिथौरागढ़ को कितनी भूमि मेग्नेसाइट निकालने के लिए दी, कितने वर्ष के लिए लीज पर दी गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेग्नेसाइट एन्ड मिनरल्स लि0, चंडाक, पिथौरागढ़ को 511.68 हेक्टर भूमि में मेग्नेसाइट निकालने हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 24 जनवरी, 1994 तक लीज स्वीकृत है ।

121—श्री चारु चन्द्र ओझा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मेग्नेसाइट एन्ड मिनिरल्स लि0 चंडाक, पिथौरागढ़ ने कितना टन कच्चा माल (रा मेटीरियल) कितना टन पक्का माल(बर्न मेटीरियल)वर्ष 1980–81 व 1981–82 में निकालकर पिथौरागढ़ से बाहर भेजा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स लि0, चंडाक, पिथौरागढ़ द्वारा निम्नलिखित कच्चा एवं पक्का माल वर्ष 1980–81 व 1981–82 में निकाल कर पिथौरागढ़ से बाहर भेजा गया है :—

कच्चा माल—

	1980–81	1981–82
	15106.865 मी0 टन	7406.165 मी0 टन
पक्का माल	6183.095 मी0 टन	6086.450 मी0 टन

122—श्री राम चरण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

राजकीय इंटर कालेज, देवायल, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

123—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज, देवायल विकास खंड सल्ट, तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण एवं मरम्मत

हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद कितने वर्षों से रिक्त हैं तथा कब तक रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत विद्यालय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 14 लाख रु0 के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थल विकास कार्य के लिए 0·50 लाख स्वीकृत है। वर्तमान भवन की मरम्मत के लिए 0·24 लाख स्वीकृत है।

प्रश्नगत विद्यालय में रसायन विज्ञान विषय का एक पद 4-4-1981 से जीव-विज्ञान विषय का एक पद 10-8-82 तथा सी0 टी0 वेतनक्रम में अन्य विषयों के 6 पद दिनांक 12-4-82 से रिक्त हैं। ये पद शीघ्र भर दिए जायेंगे।

गाजीपुर नगर में गंगा नदी के किनारे कच्चे एवं पक्के घाटों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की योजना

124—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर में गंगा नदी के किनारे कुल कितने घाट पक्के एवं कच्चे हैं तथा क्या प्रतिवर्ष बाढ़ से इन घाटों का कटाव एवं क्षति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक घाटों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की योजना तैयार कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन के उरई-चुर्ख मार्ग पर परिवहन निगम की बस में पुलिस गार्ड की मांग

125—श्री शंकर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 7वें बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 71 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के उरई-चुर्ख मार्ग पर अराजक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाओं के कारण जो बस सेवायें बन्द कर दी गई थीं, उनकी रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस मार्ग पर चलने वाली बसों पर सशस्त्र पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उरई-चुर्ख मार्ग पर परिवहन निगम की बस में अराजक तत्वों द्वारा कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई अपितु चुर्ख थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक दरोगा व चार सिपाही मार डाले गये और एक धनाढ्य व्यक्ति का बालक, आई0 आई0 टी0 के प्रधानाचार्य, व एक आनरेरी मजिस्ट्रेट श्री पालीवाल का अपहरण कर लिया गया।

उक्त इस आतंक पूर्ण कार्य के कारण जनता भय ग्रस्त हो गई और सवारियां मिलना बन्द हो गई । निगम बस भी भयभीत हो गये, जिसके कारण बस सेवा बन्द कर देना पड़ी अतः निगम की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रश्न नहीं उठता । इस मार्ग पर संचालित बसों पर सशस्त्र पुलिस की ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी ।

उपरोक्त घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक, उरई से सशस्त्र पुलिस गार्ड की मांग इस बस सेवा के लिए की गई थी, किन्तु उन्होंने गार्ड की व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की ।

शारदा सहायक नहर के निर्माण में ग्राम गडौरा के ग्रामवासियों की ली गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

126--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गडौरा-मझौरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का शारदा सहायक नहर के निर्माण में ली गई भूमि के मुआवजे में वृद्धि के सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 मार्च, 1982 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, सम्बन्धित ग्रामवासियों को नियमानुसार देय प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । जहां तक प्रतिकर में वृद्धि का सम्बन्ध है भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्रतिकर बढ़ाने का अधिकार जिला जज में निहित है, जिसकी सूचना ग्रामवासी एवं प्रश्नकर्त्ता को दी जा चुकी है ।

जनपद वाराणसी में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

127--श्री बनवारी राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1981-82 में जनपद वाराणसी में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? तथा किन-किन विकास खंडों में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गई है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विकास खंड, सुरियावां में किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं में कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

वर्ष 1981-82 में वाराणसी जनपद के लिये विशेष योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 4 व 5 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिये 2,10,000 रु0 की धनराशि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी और परिषदीय विद्यालयों के लिए 9,786 रु0 की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के निर्वाचन पर स्वीकृत की गई थी । इस जनपद में अधिकृत सूची के अनुसार अनुसूचित जन जातियां नहीं निवास करती हैं, अस्तु उनके लिये धनराशि स्वीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं है । शिक्षा

अधीक्षक, नगर पालिका, वाराणसी से 29 अनुसूचित जाति के छात्रों की सूची प्राप्त होने पर 1,740 रु0 की धनराशि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी द्वारा अब तक वितरित की गयी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है। उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी से वितरण सूची प्राप्त न होने के कारण अभी किसी विकास खंड में धनराशि वितरित नहीं की जा सकी है।

समस्त अवशेष धनराशियों को एक सप्ताह में वितरित कर देने के लिए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी, वाराणसी को जारी कर दिये गये हैं।

तहसील सिधौली से नैमिषारण्य तक संचालित बस सेवायें

128—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली से जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल नैमिषारण्य को जाने के लिए प्राइवेट बसों की व्यवस्था है ? क्या प्राइवेट बसों की व्यवस्था को समाप्त करके रोडवेज बसें चलाई जायेंगी तथा मेला अमावस्या के लिए स्पेशल व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

सिधौली-मिश्रिख-नैमिषारण्य मार्ग मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 68-डी (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत हो चुका है। सिधौली से नैमिषारण्य दो अप एवं दो डाउन तथा लखनऊ से नैमिषारण्य वाया सिधौली एक अप व एक डाउन परिवहन निगम की बस सेवायें संचालित हैं। मेला अमावस्या के लिए यात्रियों की आवश्यकतानुसार विशेष बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जायेगी।

जालौन जनपद के उरई-चुर्खी मार्ग पर चलने वाली दो बसों से आय

129—श्री शंकर सिंह—

प्रथम सत्र 81 के 7वें बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के उरई-चुर्खी मार्ग पर चलने वाली दो बसों की अलग-अलग माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1982 की आमदनी क्या है ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि वह बसें अभी तक नहीं चलाई गयीं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवहन निगम की एक अप व एक डाउन बस सेवा उरई से चुर्खी तक नहीं अपितु चुर्खी से उरई होते हुए कानपुर तक संचालित थी जिसकी माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1981 में औसत आय प्रति कि0 मी0 क्रमशः रुपया 2.83, 2.71 तथा 2.65 थी।

यह सेवा वर्षा काल में चुर्खी से 6 कि0 मी0 पहले बवई तक ही संचालित की जाती थी क्योंकि बवई से चुर्खी तक का मार्ग कच्चा है।

शसस्त्र पुलिस गार्ड न मिलने एवं वर्तमान में बसों की कमी के कारण यह सेवायें संचालित नहीं की जा रही हैं ।

जनपद बदायूं की कृषि असिंचित जमीन को सिंचित करने की योजना

130—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की कितनी कृषि असिंचित जमीन को सिंचित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि जनपद बदायूं में कोई नहर निकालने की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग हेतु टायरों की खरीदारी में गोलमाल सम्बन्धी शिकायती-पत्र

131—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग के लिये टायरों की खरीदारी में गोलमाल के सम्बन्ध में 7 मार्च, 1982 को श्री घनश्याम राय, युवक कांग्रेस (ई0), आजमगढ़ ने मुख्य मन्त्री को एक शिकायती-पत्र लिखा था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और क्या इसकी जांच कराई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद-दिल्ली-गढ़ रोड पर चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाने की मांग

132—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गाजियाबाद-दिल्ली गढ़ रोड पर चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाए जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह मार्ग एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है और इस पर बसों की संख्या में वृद्धि दिल्ली प्रदेश सरकार की सहमति से ही हो सकती है । दिल्ली प्रदेश से विभिन्न मार्गों पर बसें बढ़ाने आदि के सम्बन्ध में विचारविमर्श हो रहा है ।

मथुरा-वृन्दाबन को तीर्थ स्थान घोषित करने की मांग

133—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, वृन्दावन को तीर्थ-स्थान घोषित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

मथुरा वृन्दावन को तीर्थ-स्थान घोषित करने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । इस विषय पर जनता से कुछ पत्र अवश्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें मथुरा, वृन्दावन को तीर्थ-स्थानों की सूची में सम्मिलित करने की मांग की गयी है ।

दिनांक 1 मार्च, 1983 को आय-व्ययक पर चर्चा के समय श्री भीखा लाल के भाषण में कही गयी बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैंने प्रश्नों के सम्बन्ध में एक औचित्य का नोटिस दिया था ।

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह विशारद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न रखने से पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय भीखा लाल जी बड़े नेता बनते हैं और सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं कल उन्होंने अपने भाषण में. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा आपको नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

आप बैठें ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मेरी इस पर बहुत आपत्ति है । यह भ्रष्टाचार को छिपाने की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अखबार में यह बात आई है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

यह बहुत आपत्ति की बात है ।

श्री बदन सिंह--

इस प्रकार यह आरोप लगा रहे हैं। (कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे) यह गलत बात है

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

विशारद जी, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं, संक्षेप में बतायें।

श्री भगवती सिंह विशारद--

कल जब सामान्य चर्चा पर माननीय भीखा लाल जी बोल रहे थे उन्होंने एक एसिस्टेंट इंजीनियर के बारे में कहा था।

(व्यवधान)

उनका चांदी का जूता बहुत दूर तक चलता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री भीखा लाल--

यह कौन सी बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

मैं निर्णय दे रहा हूं, आप कृपया बैठें। जब कल चर्चा सामान्य प्रशासन पर चल रही थी उस समय कोई बात माननीय भीखा लाल जी ने कही थी तो उसी समय आपको बात उठानी चाहिए थी, उसका नोटिस देना चाहिए था। इसलिए मैं उसका नोटिस नहीं ले रहा हूं। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, माननीय भोला लाल जी ने स्वास्थ्य मन्त्री जी के बारे में रिमार्क किया आप प्रोसीडिंग मंगा कर देख लें और उसे निकाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष.--

जब इस प्रकार का प्रश्न आया था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय मौजूद थे और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था ।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैंने प्रश्नों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया था उसको जरा सुन लें ।

श्री अध्यक्ष --

बाद में सुनूंगा ।

ग्राम सभा समोगर, तहसील खास (आगरा) की 60 बीघा जमीन पर हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के पट्टेदारों को अभी तक कब्जा न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष --

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई थीं उसमें से मैंने 5 सूचनायें स्वीकार की हैं । एक श्री विजय सिंह राना की, दूसरी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की, तीसरी श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसेन, श्री राम गोविन्द में से एक और पांचवीं श्री किरन पाल सिंह की हैं, बाकी को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यधिक लोक महत्व का मामला सदन एवं शासन के समक्ष रखना चाहता हूं कि आगरा जिले की तहसील खास के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा समोगर की 60 बीघा जमीन जो जमुना नदी के दूसरी ओर है, के पटटे दिनांक 25-10-75 को हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए थे और तहसील रिकार्ड में इन पटटेदारों के नाम दाखिल खारिज भी हो गया है । पर इस जमीन पर इन पटटेधारियों को आज तक कब्जा नहीं मिला है । इस जमीन पर जदपुरा तहसील एतमादपुर गांव के श्री घनपाल और श्री रामगोपाल पुत्र गण पहुंचीलाल ने लाठियों व बन्दूकों से जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । इस सम्बन्ध में बराबर जिलाधिकारी को सूचित किया गया है और तहसीलदार आगरा व तहसीलदार, एतमादपुर अपने स्टाफ के साथ वहां दो बार गये किन्तु कब्जेदारियों से लम्बी रिश्वत लेकर ज्यों के त्यों वापस लौट आए और यही कारण है कि इस अवैध पटटेधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं हुई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम सभा समोगर, तहसील, खास (आगरा) की 60 बीघा जमीन पर हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के पट्टेदारों को अभी तक कब्जा न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतः मैं मा0 मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हरिजनों को कब्जा दिलाने की घोषित नीति के अंतर्गत ग्राम समोगर के हरिजनों व पिछड़ी जाति के लोगों को कब्जा दिलायें और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।

नयागांव हरिजन बस्ती (इलाहाबाद) को निकट भविष्य में डूबने से बचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके द्वारा सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

इलाहाबाद नगर में पुराना वार्ड नं0 7 नयागांव हरिजन बस्ती शिवकुटी रोड रेलवे लाइन के किनारे कच्चे खपरैल की हालत में बसी हुई है । आजादी के पूर्व की यह बस्ती आज भी मलिन बस्ती में नहीं ली गई है । जबकि अभी कुछ वर्षों में ही इसके दोनों तरफ इंजीनियरिंग कालेज तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके उसके संपूर्ण पानी का बहाव व निकास इस बस्ती में डाल दिया गया है । शिवकुटी रोड की पुलिया टूट गई है । गत वर्ष थोड़ी सी वर्षा में आधा गांव डूब गया था । इसके चारों तरफ बड़े पक्के नाले और शिवकुटी रोड की पुलिया का निर्माण यदि इसी सत्र में न कराया गया तो किसी भी समय थोड़ी सी वारिश होने पर भी पूरे गांव को डूब जाने के भारी खतरे से बचाना मुश्किल होगा ।

अतः सरकार के मांग है कि तत्काल नगर महापालिका इलाहाबाद को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दें ।

पर्वतीय जिलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं स्कूलों में शिक्षकों के अभाव से शिक्षण कार्य में अवरोध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

अध्यक्ष महोदय, मैं उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सदन में उठाना चाहता हूं ।

पर्वतीय जिलों में इस शिक्षा क्षेत्र में बड़ी ही बेचैनी फैली हुई है । इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर डिग्री कालेजों, इंटर कालेजों और हाई स्कूलों में न तो प्रधानाचार्य हैं और न ही निर्धारित विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं । इन कमियों के कारण पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी हानि हो रही है जबकि मार्च, 1983 की वार्षिक परीक्षायें आरम्भ होने वाली हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—]

प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी शासन की है। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। अतः इस विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा दिलाई जाय।

मलगांव थाना सरायमीर (आजमगढ़) स्थित कब्रिस्तान से होकर नहर निकालने की प्रस्तावित योजना से व्यापक असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, ग्राम मलगांव, थाना सरायमीर, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना कब्रिस्तान है इस कब्रिस्तान से होकर नहर विभाग के लोग जबरदस्ती नहर निकालना चाहते हैं। ज्ञात हुआ है कि इस सम्बन्ध में जब नहर विभाग के अधिकारीगणों से सम्पर्क किया गया तो पता चला कि उसी ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों ने नहर के अधिकारीगणों से सांठ-गांठ कर रखी है और वह असामाजिक तत्व यह चाहते हैं कि इस विषय को लेकर के किसी तरह की उत्तेजना उत्पन्न हो जाए ताकि इन असामाजिक तत्वों का मतलब हल हो जाये दूसरी तरफ इस ग्राम के आस-पास के अल्पसंख्यक वर्गों में इस विषय को लेकर व्यापक रूप से असंतोष उत्पन्न हो गया है। इन सारी बातों से आजमगढ़ के जिलाधिकारी को भी सूचित किया गया और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों ने अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्रार्थना भी की है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्ग का यह कहना है कि जिस क्षेत्र से सबसे पहले नहर निकालने का नक्शा तैयार किया गया था उसी स्थान से इस नहर को निकाला जाय तो यह कब्रिस्तान बच जायेगा। इस प्रकार इन असामाजिक तत्वों के कारण यह वाद उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर मा0 सदन के माध्यम से मा0 गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद बुलन्दशहर में चेचक का प्रकोप एवं उसकी रोकथाम न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जनपद बुलन्दशहर में आज कल पिछले दो दिनों से चेचक का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रारम्भ में चेचक का रोग कहीं-कहीं बच्चों में ही शुरू हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे यह रोग बड़ों में भी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। प्रत्येक घर में एक दो मरीज बूढ़े जवान व बच्चे इस रोग से ग्रस्त पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन तथा जिला स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति से अभी तक अपनी आंखें फेरे हुए हैं। मान्यवर, चेचक का रोग छुआ छूत का रोग है। यह धीरे-धीरे शहर से गांवों की तरफ भी फैलता जा रहा है। जिला स्तर पर इस रोग की रोक थाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस रोग के तीव्र गति से बढ़ने के कारण समस्त जनता में भय व आतंक का वातावरण बनता जा रहा है। यदि समय रहते इस चेचक रोग को रोकथाम व निदान के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाया गया तो इसके गंभीर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिससे भारी जनक्षति होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद बुलन्दशहर में तीव्र गति से फैल रहे चेचक रोग को अविलम्ब रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम तत्काल उठायें तथा इस रोग से ग्रस्त रोगियों को रोग के निदान के वास्ते पूरा प्रबन्ध करें।

प्रश्नों के सम्बन्ध में कतिपय औचित्य के प्रश्न

*श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दिया है। 14-10-82 को मैंने विधान सभा सचिवालय में एक प्रश्न दिया था अपने जनपद के मुख्य नगर गाजीपुर के बाढ़ आदि से कटाव की रक्षा के बारे में। जिसको मान्यवर ने अतारांकित प्रश्न के रूप में 20-12-82 को स्वीकार कर जवाब के लिए भेजा था। 16-2-83 के लिए यह स्थगित किया गया था। करण 26 में यह व्यवस्था है कि एक बार जो प्रश्न स्थगित किया जा चुका है, वह दुबारा स्थगित नहीं किया जाएगा और उसके लिए शासन बाध्य है कि वह उसकी सूचना सदन में दें। लेकिन आज भी जो सूचना उसके बारे में हमको मिली है, वह यह है कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप हमें नियमों के अन्तगत संरक्षण देते हुए इस लोकमहत्व के प्रश्न का सरकार से जवाब दिलायें।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, कल आपने मेरे लिए भी कहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें, इनकी बात का जवाब हो जाए। जो राम नारायण जी ने कहा है यह बात सही है कि जो हमारे नियम हैं, उसके आधार पर यदि एक बार प्रश्न स्थगित हो जाता है तो दुबारा भी सवाल आता है और उस समय भी वही उत्तर दिया जाता है, तो वह नियम 26 के विरुद्ध है। मैं मंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि वह इसे देखें, जो इस प्रकार का प्रश्न है दो बार स्थगित किया जाता है तो तिबारा उसको लेने की कोई पद्धति नहीं है। लेकिन शासन द्वारा आने वाले समय में इसका उत्तर दे दिया जाएगा, इस बार गलती हुई है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, आज के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 30 को देखें, मैंने प्रश्न किया था--"क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 एम0 श्रीवास्तव,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपी नाथ वर्मा--]

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-3-83 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?" इसका यह उत्तर देते हैं--"जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है और शिकायती-पत्र के आरोपों की जांच करा ली गयी है ।" पर इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि क्या जांच कराई है, उसके क्या नतीजे आए हैं, उसको ऊंची जगह बिठा दिया गया है या रिवर्ट कर दिया गया है, आदि ? तो इस तरह से सदन को मंत्री जी ने गुमराह किया है । अतः आप व्यवस्था दें कि इस पर दुबारा कैसे सही और पूरा उत्तर आए ?

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह प्रश्न औचित्य का तो बनता नहीं है, चूंकि जो नियम 300 है, उसकी परिधि में यह किसी तरह से आता नहीं है । लेकिन एक सूचना से माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए हैं, तो जिस वक्त प्रश्न आया था अतारांकित था तो दुबारा प्रश्न कर सकते हैं और यदि तारांकित था तो सप्लीमेंटरी के द्वारा यह बात साफ हो सकती थी, औचित्य के प्रश्न में इसका उठाना उचित नहीं है । आपने मान्यवर, आदेश दिए हैं कि प्रश्नों के बारे में ऐसी समस्या पैदा हो जाती है, तो एक बैठक जिसमें मुख्य मंत्री भी हों, शीघ्र बुला ली जाए और आपने इस पर आदेश भी दे दिए हैं कि दो-एक दिन में ही यह बुलाई जा रही है तो उसमें सारी बातें तय हो जायेंगी कि कोई कोड आदि बन जाए, जिससे उनकी अधिक से अधिक सन्तुष्टि प्राप्त हो जाया करे ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने नियम 301 में एक दिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो संसदीय कार्य मंत्री ने बात कही है, मैंने भी उस बात पर बल दिया है । यह विषय टल रहा है और इधर और उधर के माननीय सदस्यों में प्रश्नों को लेकर असन्तोष पैदा हो रहा है । तो हो सके तो आज ही इसके लिए तिथि की घोषणा कर दें ।

लेकिन यह बात सही है कि सरकार टेक्निकल बातों को लेकर जान-बूझकर प्रश्नों को ऐसा ठुकराती है कि प्रश्न करना निरर्थक हो जाता है । इसलिए मान्यवर, इसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आज ही या कल हम उठने से पहले उसकी व्यवस्था करेंगे । यह जो प्रश्नों के बारे में, दिन-रात सूचना प्राप्त होती है, उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं शीघ्र ही इस पर निर्णय दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 17-2-83 को दी गयी उर्दू टीचर्स की भूख हड़ताल विषयक नियम 301 की सूचना का अन्तरिम उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 301 में जो प्रश्न यहां उठाये जाते हैं, उनके अन्तरिम उत्तर एक हफ्ते में आ जाना चाहिए। 17 तारीख को जो मैंने प्रश्न उठाया कि उर्दू के टीचर्स, जूनियर हाई स्कूल के भूख हड़ताल की थी, अभी तक 17 तारीख से लेकर आज तक 15 दिन हो गये, लेकिन अभी तक उसका कोई अन्तरिम उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। श्रीमन्, कहां तक इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, क्योंकि ये लोग तो आपके आदेशों की अवहेलना करने में तुले हुए हैं। तो इस पर श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, बार-बार ऐलान होने के बावजूद, फिर भी उन आदेशों की अवहेलना होती है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो हमें प्रश्नों के बारे में विचार करके निर्णय लेना है, उसमें सभी नेताओं को आमंत्रित करूंगा और नियम 301 के बारे में भी उसमें रख दूंगा।

उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

यह मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन द्वारा 1 मार्च, 1983 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे माह मार्च, 1983 के तृतीय सप्ताह में उक्त निर्वाचन हेतु कोई तिथि निर्धारित करनी थी। तदनुसार मैंने शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1983 की तिथि निर्धारित की है। अतः उक्त निर्वाचन अब शुक्रवार, 18 मार्च, 1983 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन-पत्र नियमानुसार गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 1983 को मध्याह्न 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। नाम निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक् से भेजा जायगा।

अब तक प्राप्त नाम निर्देशन निरस्त समझे जायेंगे।

श्री शंकर सिंह द्वारा अपनी विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मद संख्या 4, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में मुझको कुछ कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अपने विशेषाधिकार की कोई नोटिस इधर भेजी थी ?

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, हमारी सूचना सबसे पुरानी है । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपने कक्ष में मुझको यह आश्वासन दिया था कि जब आप उसमें निर्णय देंगे, तो उससे पहले मुझे सुन लेंगे । उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । लेकिन मान्यवर, हमारा प्रश्न सबसे पुराना पड़ा हुआ है । आखिर कौन सी इसमें परेशानी है कि उनका आज तक निर्णय नहीं हो पा रहा है । आप भी मान्यवर, इसको देख रहे हैं । आपके पूर्व भी मिश्रा जी थे, उन्होंने भी गौर किया। मान्यवर, उसमें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है । उससे यह सिद्ध होता है कि जो सरकार है, जो कुछ आप जानकारी करना चाहते हैं, उसका उत्तर देने में सरकार कतरा रही है । जो इसके विशेष अधिकारी हैं, वह इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं । तो मान्यवर, यह अलग विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है जो इतने समय तक सूचना नहीं दी है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह सबसे पुराना प्रश्न है आप इस पर निर्णय दें । पिछले दिनों आज से एक महीने पहले मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो माननीय नेता विरोधी दल ने इन्टरवीन किया था और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर या 10 रोज के अंदर आप तय कर दें । अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो एक तरफा निर्णय ले लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जैसा माननीय शंकर सिंह ने कहा, हमारी इच्छा थी कि आप स्वयं निर्णय देने में सक्षम हैं और आज कर दें । मैंने यह भी कहा था कि आप चाहें तो टाइम दे दें और अगर एक हफ्ते के अंदर सूचना नहीं आती है तो स्वयं निर्णय लें । मान्यवर, यह सबसे पुराना मैटर हो गया है । जानबूझ कर शासन और एस0 पी0 जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

शासन की सूचना मुझको प्राप्त हो गई है । इसको मैं देख रहा हूं । उसके बाद मैं शंकर सिंह जी को अपने कक्ष में बुलाऊंगा । यदि यह संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं सदन का विचार जानने के बाद अपना निर्णय दे सकूंगा ।

कोतवाली, फैजाबाद में फर्जी रिपोर्ट लिखवाने से उत्पन्न असंतोष के

सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम सुन्दर गिरि, भूतपूर्व प्रधान मुगीशपुर द्वारा श्री झगरू राम यादव व कुछ अन्य को ग्राम मुगीशपुर में भूखंड संख्या 280 में से कुछ भूमि का पट्टा आवास हेतु फार्म 49च पर वर्ष 1974 में किया गया था । वर्ष 1978 में श्री झगरू राम यादव ने पट्टे पर दी गई भूमि पर कच्चा निर्माण कार्य करवाया, जो वर्ष 1980 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया । वर्ष 1982 में घटना के कुछ दिन पूर्व उक्त भूमि पर भवन निर्माण पुनः प्रारम्भ किया । नव निर्वाचित प्रधान श्री हृदय राम ने विरोध किया परन्तु श्री झगरू राम यादव ने मकान बना लिया । दिनांक 8 अक्तूबर, 1982 को ग्राम प्रधान मुगीशपुर'

श्री हृदय राम ने थाना इनायत नगर आकर यह आरोप लगाये कि उक्त निर्माण अवैध हुआ है और वे अपने अन्य साथियों के साथ मकान को गिरा देंगे। इस सूचना पर जिला अधिकारी फैजाबाद के आदेशानुसार परगनाधिकारी सदर द्वारा मामले की जांच की गई उनकी जांच से उपरोक्त सभी प्रदेशन के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी (सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी अर्थात् परगनाधिकारी) द्वारा अनुमोदित नहीं थे अतः पट्टे जायज नहीं पाये गये। इस सम्बन्ध में धारा 122-बी भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जो तहसीलदार बीकापुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

2—श्री श्याम सुन्दर गिरि द्वारा भी उक्त भूखन्ड संख्या 280 पर एक मकान का निर्माण कराया जा रहा था जिसके सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, बीकापुर के न्यायालय में धारा 145 जा0 फौ0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

3—श्री झगरू राम यादव निवासी मुगीशपुर, थाना इनायत नगर, फैजाबाद ने दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 को लिखित सूचना दी कि श्री हृदय राम, ग्राम मुगीशपुर व उसके 9 अन्य सहयोगी प्रातः 8 बजे उसके घर आये और घर गिराने लगे। उसके व घर वालों के मना करने पर अभियुक्तगण ने उसके परिवार के सदस्यों को मारा पीटा हजारों का नुकसान किया तथा उसकी दुकान का समान भी उठा ले गये। थाने में लिखित सूचना देने के पूर्व श्री झगरू राम ने पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उक्त घटना का उल्लेख करते हुए यह भी कहा था कि इसमें क्षेत्रीय विधायक श्री मित्रसेन यादव का हाथ था।

4—उपर्युक्त सूचना पर थाना इनायत नगर में दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 को एक अपराध धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत हुआ जो विवेचना से धारा 395/397/440 भा0 दं0 वि0 का पाया गया। इस सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव को सक्षम न्यायालय से वारंट प्राप्त करके दिनांक 2 नवम्बर, 1982 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1982 को प्रेषित किया गया। पुनः दिनांक 20 नवम्बर, 1982 को अन्य अभियुक्त जिन्होंने न्यायालय में आत्मसम्पर्ण किया, के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1982 को भेजा गया। इस मामले के एक अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

5—दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 को ही रात्रि में श्री आनन्द कुमार पांडे अध्यक्ष युवक ब्लाक कांग्रेस (आई) कमेटी, मिलकीपुर, फैजाबाद ने थाना कोतवाली में एक लिखित सूचना दी कि उसके मुगीशपुर स्थित कार्यालय पर श्री मित्र सेन यादव विधायक व 15 अन्य नामजद तथा 500 और अज्ञात व्यक्ति लाठी, बल्लम, फरसा, कट्टा व बन्दूक से लैस होकर आये और कार्यकर्ताओं को मुक्के, थप्पड़ से मारा पीटा, कार्यालय का झण्डा व अभिलेख आदि उठा ले गये तथा श्री अजय सिंह की जेब से 150 रु0 नकद छीन लिये। तदोपरान्त मार डालने की धमकी देते हुए चले गये और बाद में झगरू यादव के यहां डकैती डाली।

6—उपर्युक्त सूचना पर थाना कोतवाली में एक अपराध धारा 395 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत हुआ। विवेचना से अपराध सिद्ध हो जाने पर सक्षम न्यायालय से वारंट प्राप्त करके श्री मित्रसेन यादव को दिनांक 2 नवम्बर, 1982 को गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। इस घटना के कुछ अन्य अभियुक्तों द्वारा बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उनके विरुद्ध

[श्री गुलाब सेहरा--]

भी आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । घटना के शेष अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

7--श्री मित्रसेन यादव आदि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ के आदेशानुसार जमानत पर छूटे हैं ।

8--यह कहना कि विधायकों की फर्जी गिरफ्तारी की गई, सही नहीं है ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से ही यह जाहिर होता है कि माननीय मित्रसेन के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश थी। मान्यवर, मामला झगरू राम से शुरू होता है और यह आनन्द कुमार पांडे पर आकर रुक जाता है । पहले तो झगरू राम ने अपने मकान को गिराये जाने की सूचना थाने में दी और उसके बाद में सूचना जाती है आनन्द कुमार पांडे की तरफ से , तो, माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो दो घटनायें, अलग-अलग हुई हैं, जिनका जिक्र बयान में किया गया है, उनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई हैं, जो मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया, उसका समय अलग-अलग क्या था ?

श्री गुलाब सेहरा--

पहली एफ0 आई0 आर0 अपराध संख्या 233/82 के अन्तर्गत है, इसमें सूचना का समय दिया है 11 बज कर 10 मिनट और दूसरी एफ0 आई0 आर0 का समय दिया है 10 बजे रात ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बयान में ही इस बात को माननीय मन्त्री जी ने माना है "तदोपरान्त मार डालने की धमकी देते हुए चले गये और बाद में झगरू यादव के यहां डकैती डाली" । मान्यवर, इस तरह से झगरू यादव की घटना बाद में हुई और आनन्द कुमार पांडे, जो दफ्तर कांग्रेस (आई0) की थी, उसकी घटना पहले हुई । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसमें जो एफ0आई0आर0 लाज हुई वह आनन्द कुमार पांडे द्वारा पहले लाज कराई गई थी या झगरू राम द्वारा पहले लाज कराई गई, आनन्द कुमार पांडे द्वारा किस समय लाज कराई गई और झगरू राम द्वारा किस समय लाज कराई गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, झगरू राम ने यह रिपोर्ट 26 अक्तूबर, 1982 को 11 बज कर 10 मिनट पर लाज कराई और दूसरे आनन्द कुमार पांडे में सूचना का समय 26 अक्तूबर, 1982, समय रात्रि 10 बजे दिया है ।

*श्री मीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो घटना है, उसकी दो रिपोर्टें की गयीं । माननीय मन्त्री जी ने बताया कि झगरू राम यादव ने 11 बज कर 10 मिनट पर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें हृदय राम प्रधान और 9 अन्य साथी का जिक्र था लेकिन उसमें मित्रसेन का कहीं जिक्र नहीं है और यह रिपोर्ट लिखित उसने दी। दूसरी रिपोर्ट पांडे जी 10 बजे रात्रि में कराते हैं, उसमें माननीय मित्रसेन को नामजद कराते हैं और यह भी कहते हैं कि झगरू के मकान में भी मित्रसेन ने डकैती डाली, जब कि झगरू इसे नहीं कहता। इस तरह से लगता है कि सुपरिटेंडेन्ट द्वारा झगरू पर दबाव डालकर लिखवाया गया कि मित्रसेन थे, ताकि मित्रसेन का नाम खिंच आये। मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है, एक विधायक से सम्बन्धित है, उनको राजनीतिक आधार पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इन गम्भीर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मन्त्री जी इस पूरे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

अगर ऐसी भावना माननीय सदस्यों की है कि यह गम्भीर मामला है और शासन इसे गम्भीर समझता है, तो सी0 आई0 डी0 की जांच कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसे सी0 आई0 डी0 को भेज दूंगा।

[12 बजकर 50 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पहली सूचना श्री सरदार सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री विजय सिंह राना, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री राधेयपाल पटेल, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री किरनपाल सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द, श्री अकबाल हुसैन की कानपुर में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विद्यासागर नौटियाल की केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि के उपयोग के बारे में धोखाधड़ी के सम्बन्ध में है, उससे आगे श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की नगर विकास एवं आवास विकास योजनाओं के नाम पर छोटे किसानों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है, उससे आगे श्री जटाशंकर सिंह की लखनऊ में होटल कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है, उससे आगे श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की जनपद गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में है, उससे आगे श्री राम आसरे वर्मा, श्री परमाई लाल, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री खैरुल बशर की जनपद हरदोई की वस्त्र निगम द्वारा संचालित सूती मिल में भ्रष्टाचार से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है, उससे आगे श्री हरगोबिन्द वर्मा की लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। इसमें मैंने सुनने के लिये तय किया है पहली सूचना सरदार सिंह की और जो विद्या सागर नौटियाल की है इस पर भी सुनूंगा। इसकी ग्राह्यता पर नेता लोग 2 मिनट में अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मैं नेता तो नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, जैसा हाउस तय करेगा । मान लीजिये 15-15 माननीय सदस्य बोलेंगे तो आप प्रस्ताव लायें और सदन तय कर ले मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

आप फिर खड़े हो गये यह गलत बात है । आपको नियमों का पालन करना चाहिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

बहुत सी बातें उस कुर्सी से भी हो जाती है जो उस कुर्सी को शोभा नहीं देती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं । हमको सदन ने चुना है जिस दिन सदन यह कहेगा कि आप वहां न रहे मैं एक सेकेन्ड के लिये नहीं रहना चाहूंगा । आप आक्षेप नहीं लगा सकते हैं यह अच्छी बात नहीं है । सदन अगर हटाना चाहता है तो एक सेकेन्ड में मैं हट जाऊंगा । मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं । मैं 27 साल से एम0 एल0 ए0 हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

अगर मेरी किसी बात से आपके जजबात मजरूह हुए हैं और आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ है तो उससे मुझे बेहद अफसोस है । मैं किसी तरह से आपकी दिलशिकनी या आपकी तौहीन नहीं चाहता हूं । उम्र के लिहाज से भी मैं ऐसा नहीं कर सकता आपके और मेरे दर्मियान उम्र का लम्बा फासला है लेकिन एक शिकायत रही है अच्छा हुआ आप नाराज हुये और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल गया । मान्यवर, मेरा हक है और इस नाते नहीं कि मैं सदन का सदस्य हूं और हक के एतबार से सब बराबर हैं । आपसे छोटा होने के नाते भी मेरा हक बनता है अपनी बात कहने का, मैं जो भी सवाल करता हूं उसका सही जबाब नहीं आता मंत्री लोग बात को काटते और घुमाते हैं और आप दुबारा मौका नहीं देते । जाहिर है कि जब प्रश्न का जबाब नहीं आयेगा तो नाराजगी होगी और गुस्सा भी आएगा । मैं आपका संरक्षण चाह रहा था कि अभी कल ही आपने मेरठ के दंगों के बारे में मेरे प्रश्न पर मुझे समय दिया मैंने प्रश्न किया लेकिन उसका उत्तर नहीं आया और आपने दूसरे माननीय सदस्य को समय दे दिया । इससे तकलीफ होती है । वैसे अगर आप कहें तो मैं कभी खड़ा ही न हुआ करूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं है । आपस में आप लोग निर्णय कर लें...।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं कानपुर का विधायक हूं इसलिए मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग दो तीन, चार माननीय विधायक, आपस में तय कर लें: जो बोलना चाहते हैं । केवल ग्राह्यता के सम्बन्ध में ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष पीठ से आदेश हुआ कि नेता विरोधी दल बोल लें और लोक दल के लोग इस तरह का अविश्वास प्रकट कर रहे हैं अपने नेता के ऊपर । तो क्या यह अव्यवस्था नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं-नहीं । यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

*श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कानपुर के ठाकुर गुलाब सिंह के परिवार के 9 लोगों की हत्या के सम्बन्ध में जो आप को कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है, मेरा प्रस्ताव ग्राह्यता की सभी शर्तों को परिपूर्ण करता है । घटना कल की है और एक निश्चित विषय तक सीमित है । तो मान्यवर, इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह छिपा हुआ है कि इस घटना में मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी याददास्त के अनुसार यह प्रथम अवसर है जब कि माननीय सदन में कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित बजट पर चर्चा चल रही हो और इस तरह से लोमहर्षक घटना घटित हुई हो । इस घटना में 17 वर्ष की उम्र से लेकर के चार माह की एक मासूम बच्ची तक की हत्या की गई है । यद्यपि पुलिस और जिले के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे लेकिन वे केवल एक कल्पित बिन्दु तक सोच रहे हैं और उनका संदेह केवल यह है कि पुलिस का, कि इस घटना में शायद गुलाब सिंह ने ही हत्या की हो । पुलिस के इस दृष्टिकोण से वहां के ग्रामीण, ग्राम प्रधान व दूसरे अन्य लोग पुलिस के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और रोष व्यक्त कर रहे हैं । रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि अंग्रेज का जमाना अगर होता तो सारा राज खुल गया होता । सारे रहस्य से परदा खुल गया होता । गांव के लोगों का ऐसा सोचना हम लोगों के लिए महान लज्जा और शर्म की बात है । आज प्रदेश की जो स्थिति है कानून और व्यवस्था की कि उसमें गांवों के लोग यह सोचने लग गये हैं कि वर्तमान सरकार अक्षम है और वह यह कहने लग गये हैं कि अंग्रेज का जमाना अच्छा था । अगर अंग्रेज का जमाना होता तो सारा राज खुल गया होता । यह बहुत ही लज्जा और शर्म की बात है हम लोगों के लिए ।

(व्यवधान)

यह एक ऐसी घटना दुःखद घटी है जिस पर मान्यवर सदन में चर्चा होना बहुत आवश्यक है और इसलिए होना आवश्यक है कि कल जरूर माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय सदन में बताया था और....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 1 बजे अपराह्न)

[श्री मोती लाल देहलवी--]

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ अपुष्ट जानकारी भी दी थी। आज उन्होंने पूरी जानकारी देने का आश्वासन भी दिया होगा आपके सामने। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह जानकारी आज देंगे कि वास्तविक अभियुक्त पकड़ लिया गया है या प्रकाश में आ गया है। हम लोगों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी। अगर वह यह जानकारी न दे सके तो इनके पास हम जानते हैं, घिस-पिटा एक वाक्य रहेगा कि हमारी पुलिस तत्परता से छानबीन कर रही है और अभियुक्त को कठिन से कठिन दंड दिया जायेगा, सख्त से सख्त सजा दी जायेगी, बक्शा नहीं जायेगा। तो मान्यवर, हम लोग इस तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिये आपसे मेरा विशेष प्रार्थना है, यह सत्ता पक्ष के एक विधायक के क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस गम्भीर घटना पर, लोमहर्षक घटना पर, जिसमें 4 मास की बच्ची गड़ासे से काटी गयी हो, चर्चा करने का जरूर अवसर दें जिससे रहस्यों की उद्घोषण हो सके।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह दुखद घटना वर्तमान मुख्य मंत्री के काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। पहली कछपुरा में....।

श्री राजेन्द्र सिंह--

सेशन के प्रारम्भ होने के बाद से।

*श्री रियासत हुसैन--

जी हां। सेशन के प्रारम्भ होने के बाद से दूसरी महत्वपूर्ण दुखद घटना है। इसका लोक महत्व इसलिये और बढ़ जाता है कि कल जब पुलिस के आइटम पर बहस हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस तरफ को इशारा किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना अगर मेरी जान देकर, खून देकर, भी रोकी जा सके तो मैं अपनी जान देने के लिये तैयार हूं। हम क्यों इस पर चर्चा चाहते हैं। श्रीमन्, यह ट्रेडीशन बना देते हैं। इसके पहले कि तथ्य सामने आयें वह एक अजीब थ्योरी सामने ला देते हैं। मुख्य मन्त्री ने कहा कि स्टेटमेन्ट कल दूंगा। एक थ्योरी आ गयी कि गुलाब सिंह सबको मारकर कुंयें में डूब गया होगा, तालाब में कूदकर मर गया होगा। इन्क्वायरी शुरू हो गयी कि गुलाब सिंह कहां है। एक नयी पुलिस की थ्योरी आ जाती है, सारा प्रशासन उस थ्योरी पर अमल करना शुरू कर देता है। असल तथ्य पीछे रह जाते हैं। एक तथ्य यह भी है कि गुलाब सिंह ने एस0 पी0 को दरख्वास्त दी थी कि वहां के प्रधान से उसकी जान का खतरा है, उसकी जान की हिफाजत की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसलिये इस घटना का महत्व बढ़ जाता है । मैं मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा जरूर करायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हमारा जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है उसको देखने की कृपा करें कई बार इस तरह की घटनायें हो चुकी हैं । कछपुरा में, मुरादाबाद में, हर रोज इस तरह की निर्मम घटनायें हो रही हैं । इस घटना के पीछे इतनी दर्दनाक और निर्मम हत्यायें हुई जिनकी मिसाल नहीं मिलती । रात को सोते समय 4 महीने की बच्ची को स्तनपान कराते हुए हत्या कर दी गयी । समाचार-पत्रों में जो फोटो प्रकाशित हुई है उससे मन उद्वेलित हो जाता है । यह सरकार असामाजिक तत्वों का सामना करने में पूरी तरह असफल रही है । कल मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वह आत्म-हत्या करने के लिये तैयार हैं । आत्म हत्या से काम नहीं चलेगा, हम तो उनके पुरुषार्थ को देखना चाहते हैं ।

मान्यवर, इस घटना के सन्दर्भ में और इसकी पृष्ठ भूमि में, जो अपराध-शील व्यक्ति हैं उनको इनका संरक्षण प्राप्त है इसलिये उनके ऊपर कोई कारगर कार्यवाही करने में ये असमर्थ हैं, कोई भी परिस्थिति को नहीं बता पा रहा है । मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास जो गृह विभाग है, उसे वह अलग कर दें । पुलिस ने अपनी एक कहानी गढ़ दी कि शायद गरीबी की वजह से उसने परिवार वालों को मार दिया । अगर ऐसा है तो यह एक बड़ा कलंक है कि हमारे प्रदेश में गरीबी की स्थिति हो जाने के कारण लोग अपने परिवार वालों तक को मार दे रहे हैं, यह भी एक गम्भीर मामला है । इस प्रकार इसमें परस्पर विरोधी बातें हो गई हैं इसलिये आवश्यक है कि इसमें चर्चा हो ताकि तथ्य सामने आ जायें, इस पर सरकार की बातें भी सुनना चाहते हैं । मान्यवर, आपके पूर्व दृष्टान्तों को, जब सामान्य चर्चा चल रही हो, आज गृह विभाग की चर्चा तो नहीं है, आज तो हमें बिजली पर बोलने का मौका मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार कर लें । वक्तव्य से काम चलने वाला नहीं है और आप वक्तव्य के लिये अनुमति दे देंगे । मान्यवर, यह एक अहम् मसला है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार कर लें ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस बजट सेशन में जितनी गम्भीर घटना यह हुई है और प्रकाश में आयी है और कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष इसकी महत्ता को समझते हैं फर्क इतना है कि विरोध पक्ष इस पर चर्चा चाहता है और सत्ता पक्ष भी इस घटना पर दहल उठा है । अगर सत्ता पक्ष दहल न उठा होता तो माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहने के लिये विवश नहीं होते कि वे आत्म-हत्या करने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि वे भी इसकी महत्ता को समझते हैं । दूसरा इस घटना में 5 बच्चे और कुल 9 लोग मारे गये ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बार-बार माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिये आत्म-हत्या शब्द का प्रयोग किया जा रहा है । मान्यवर, माननीय मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुईद अहमद—]

मन्त्री जी इस कुर्सी पर बैठकर आत्म-हत्या करने का अपराध नहीं करेंगे। आत्म-हत्या करना एक अपराध है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इससे पूर्व कहा गया कि गुलाब सिंह ने ही शायद मारा है। यह तो बिल्कुल असम्भव है। वह एक इतना दब्बू आदमी था कि शायद आज तक उसने किसी के ऊपर लकड़ी तक नहीं उठायी है, इससे यह सम्भव नहीं है कि उसने सारे परिवार को गरीबी के कारण तबाह कर दिया। मान्यवर, अगर उससे गरीबी नहीं देखी जाती तो वह स्वयं आत्महत्या कर लेता लेकिन इन 9 व्यक्तियों को नहीं मारता। मान्यवर, इसके पीछे एक राज यह बताया जा रहा है कि उसकी लड़की को छेड़ने का एक मुकदमा माननीय न्यायालय में भी चल रहा है। कुछ लोग उसकी जवान लड़की को छेड़ा करते थे। मान्यवर, उसका 20-22 हजार रुपए फिक्स डिपाजिट में है तथा उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। मान्यवर, इस घटना की महत्ता को देखते हुए इस सदन के कार्य को रोककर इस पर चर्चा करायें ताकि जिसकी वजह से सारे प्रदेश का दिल दहल उठा है, वास्तविकता को समझ लें।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्य संचालन नियमावली में नियम 56 ऐसी ही गम्भीर स्थितियों में चर्चा करने के लिये रखी गई है। एक इतनी गम्भीर घटना इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था के लिये जबरदस्त चुनौती है। कल ही इस आदरणीय सदन ने इस सरकार को 1 अरब 70 करोड़ रुपए प्रशासन चलाने के नाम पर दिए हैं और आज एक दिन बाद इस घटना ने उसके ऊपर एक प्रश्न चिह्न लगा दिया है। अभी तक शासन की ओर से समाचार-पत्रों में जो थ्योरी आयी है वह अविश्वसनीय है। यह सरकार निर्दोष और निरपराध लोगों के जान-माल की हिफाजत करने में अक्षम एवम् विफल रही है।

चूंकि अब हमको अवसर नहीं मिलेगा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विचार करने का, हम दूसरे विषयों को ले रहे हैं। इसलिये इस असाधारण धारा के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रोककर नियम 56 में बहस करायें क्योंकि जब कछपुरा की घटना हुई तो मुख्य मन्त्री और गुलाब सेहरा साहब ने कहा कि निजी झगड़ा था और उसके बावजूद भी जब घटना हुई तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने विवेकानुदान कोष से मदद की। यह कानपुर की घटना है, जो कि लखनऊ से नजदीक हुई। घटना की जानकारी हो गयी थी लेकिन शासन का एक भी मन्त्री घटनास्थल पर नहीं गया, जिससे इस सदन के सामने शासन का और मन्त्रि मन्डल का सही वक्तव्य नहीं आ सकेगा, वही घिस-पिटा वक्तव्य देंगे जो पुलिस द्वारा दिया गया होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर से प्रशासन का नियंत्रण समाप्त हो गया है। यह घटना प्रदेश के प्रशासन तन्त्र की विफलता का नमूना है। मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। वैसे तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की लेकिन परम्परा यह रही है कि जिस माननीय सदस्य की सूचना पहले रही है नियम 56 के अन्तर्गत, उसको पहले मौका दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सदन के माननीय सदस्यों ने तय किया है कि एक-दो व्यक्तियों को ही...

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, इसी विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सब को तो नहीं सुन सकते।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, कानपुर जनपद में जो कल रात एक घटना घटी है, अभूतपूर्व घटना है, इससे संगीन घटना कभी नहीं घटी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मुख्यमन्त्री जी को यह बात मालूम थी, सारी सरकार को इस बात की जानकारी थी, गृह विभाग के बजट पर माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन इस घटना को उन्होंने सदन से छिपाये रखा, जब नेता विरोधी दल ने जानकारी दी, तभी उन्होंने बताया। एक बच्चा जो अपनी मां के साथ स्तन पान कर रहा था...

श्री अध्यक्ष--

यह सब बता दिया गया है। आप ग्राह्यता के बारेमें बतायें।

श्री किरन पाल सिंह--

पुलिस ने कह दिया है कि यह घटना गुलाब सिंह नें अपने बच्चे और बीबी को मार कर की है। ऐसा भी कहीं हुआ है कि एक व्यक्ति अपने बच्चों और बीबी को अपने हाथ से मार दे। पुलिस को इस बात की जानकारी थी। पुलिस में रिपोर्ट की गयी थी, गुलाब सिंह ने कहा था कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। कांग्रेस के एम0 पी0 श्री राम नारायण पाठक ने भी कहा है। पुलिस ने समय रहते हुए गुलाब सिंह के परिवार की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस यह कहती है कि गुलाब सिंह ने अपने बच्चों को भुखमरी से तंग आकर मारा है। लेकिन उसकी माली हालत इतनी कमजोर नहीं थी कि वह ऐसा कृत्य करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में यह घटना घटी है। जब गृह विभाग का बजट चल रहा था...

श्री अध्यक्ष--

आप दोहरायें नहीं। बैठें।

श्री किरन पाल सिंह--

कल मुख्य मंत्री को यह घटना मालूम थी कि घटना घट चुकी है। मेरी मांग है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हमारे साथी पहले इस पर काफी कुछ कह चुके हैं, केवल एक बात कहूंगा अपनी बात को अपने साथियों से सम्बद्ध करते हुये कि यदि

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

नियम 56 की कोई उपयुक्तता माननीय मंत्री जी के नजदीक नहीं है तो इसको निकाल दीजिए, अगर कोई और ऐसा विषय बन सकता हो तो उसे बता दें क्योंकि यह बहुत ही प्रकाण्ड पंडित हैं नियम 56 आखिर कहां पर और कब लागू होगा उसे बता दें क्योंकि अभी तक इतने गम्भीर-गम्भीर विषय आये लेकिन उन पर किसी एक पर भी यह नियम 56 एप्लाई नहीं हुआ । (शोर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, रोजाना इस प्रकार की घटनाएं आज कल घट रही हैं । अपने इतिहास में भी इस प्रकार की घटनाएं न पहले कभी पढ़ने को और सुनने को मिली तथा शासन इस ओर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री जसवन्त सिंह जी आप बैठें, आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं और आपको पहले भी सुना जा चुका है ।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट शोर एवं व्यवधान के बीच कुछ बोलते रहे, जिसे सुना नहीं जा सका ।)

श्री जसवन्त सिंह जी आप कृपया बैठ जाइये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह जो भी बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, हमारे अपने अन्तःकरण की कुछ बातें हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला आया है जो गृह विभाग से भी सम्बन्धित है और शांति एवं व्यवस्था से भी । चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो या चाहे उधर के सभी के मन इस मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी जो नेता सदन भी हैं, का न होना इतना लज्जा जनक एवं सिर को शर्म से झुका देने वाली बात है और मान्यवर, नियमों में भी हैं कि जब माननीय नेता सदन या कोई अन्य मंत्री इस में हों और उनसे सम्बन्धित जब कोई प्रश्न आए तो उनके स्थान पर कोई दूसरा मंत्री जवाब नहीं दे सकता है बगैर किसी विशेष परिस्थिति या अप्रत्यासित स्थिति में । नियमों में मान्यवर, सन्फ है । और मान्यवर, जब नियम 56 की सूचना हम देते हैं तो उसकी दो प्रतियां आपको देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रति माननीय नेता सदन को अथवा गृह सचिव को जाती है इससे यह स्पष्ट है कि उनको जानकारी इस बात की थी कि आज सदन में एक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रश्न पर चर्चा होने वाली है, इसलिए उन्हें सदन में आज कम से कम अवश्य उपस्थित रहना चाहिए था लेकिन यह उपस्थित नहीं है, यह बहुत ही चिंता जनक एवं कलंक की बात है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनके लिए । इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का यह निर्देश दें कि वह सदन में अवश्य उपस्थित हों वरना हम लोगों को आज मजबूर हो कर इस बात को लेकर बगावत पर उतरना पड़ेगा और इस लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, जब तक कि नेता सदन हमारे बीच आ नहीं जाते हैं ।

(व्यवधान)

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, अभी तो माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री का उपस्थित न रहना बड़े ही खेद एवं लज्जा जनक बात है और उन्हें यहां पर न रहकर वहां मौके पर जाना चाहिए और माननीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनको सदन में उपस्थित रहना चाहिये तो मैं आदरणीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस वक्त मौके पर कानपुर गए हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

विजय सिंह राना, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

(1 बजकर 20 मिनट पर)

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री मुईद अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं कि राजेन्द्र कुमार गुप्त ने सदन को गलत बयानी करके गुमराह किया है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

अगर यह सवाल है कि असली मुख्य मंत्री नहीं हैं तो नकली मुख्य मंत्री उत्तर देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, क्या फायदा शोर मचाने से ?

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, यह घटना बड़ी गम्भीर है । बजाय इसके कि किसी प्रकार का राजनैतिक रूप देने के या किसी प्रकार का इससे फायदा उठाने के मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और कोई भी इसे पसन्द नहीं करेगा । जो भावनायें थीं, जो खेद था, जो अफसोस था और जो कसक माननीय नेता विरोधी दल ने और सभी माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं, जो भी इस सदन में उपस्थित हैं सभी ने इस पर अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उससे मुझे भी दुख है ।

अनेक सदस्य--

दुख कहां है ? उधर के लोग तो ताली बजा रहे थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, कौन सा ऐसा कठोर दिल होगा जो इस बात को सुन कर प्रभावित न हो । जो बातें यहां कही गयीं उनको मैंने बड़े धैर्यपूर्वक सुना । इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो इस समय तक तथ्य इस घटना के सम्बन्ध में हमारे सामने आये हैं उसको माननीय सदस्यों तक पहुंचा दिया जाय साथ ही साथ यह भी आवश्यक है...

(व्यवधान)

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस गम्भीर प्रश्न के सम्बन्ध में जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय स्पाट पर जा चुके हैं, निरीक्षण के लिए । तो जब माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर निरीक्षण के लिए गए हुए हैं इस समय तो फिर इस सदन में केवल पुलिस द्वारा जो शासन को सूचना मिली है, उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री का सदन में रखना कहां तक उचित है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्रीमन्, मैंने इनसे नहीं पूछा है, मैंने आपसे व्यवस्था चाही है । यदि इन्होंने यहां पर यह घोषणा न की होती कि मुख्य मंत्री जी स्पाट पर गए हुए हैं तो फिर हम यह व्यवस्था की बात न उठाते । यह निश्चित है कि जब मुख्य मंत्री जी वहां गए हैं तो लौट कर भी जरूर आयेंगे और अपने साथ कोई सूचना भी लायेंगे तो उस सूचना से सदन को अवगत कराना क्या उचित नहीं होगा जो संसदीय कार्य मन्त्री पुलिस के द्वारा दिए गए तथ्यों से सदन को अवगत कराना चाहते हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक परम्पराओं का सम्बन्ध है, कोई चर्चा आती है तो उस पर शासन की ओर से सूचना दी जाती है । जो इस समय तक उनकी सूचना प्राप्त हुई है, अगर उनके पास कोई सूचना है तो वह बतला रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी जब लौट कर आते हैं और जो सूचना वह लाते हैं तो उनकी सूचना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सूचना में विरोधाभास हुआ तो क्या होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 61 की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अगर सभी सदस्य एक साथ बोलने लगेंगे तो कैसे यहां की कार्यवाही चलेगी ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि इस गम्भीर घटना को हम लोगों ने नियम 56 के अन्तर्गत उठाया है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। एक सूत्र सरकार का है जिसके द्वारा सूचना वह दे सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी गये तो जरूर हैं, लेकिन जो लिखकर उनको मिलेगा वही वह यहां पर पढ़ेंगे। एक वर्जन यह है और दूसरा वर्जन इनका आना चाहिए। जिससे यह मालूम हो सके कि घटना की जिम्मेदारी किस पर है। पुलिस दोषी है या नहीं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई अथवा नहीं, इसकी पूरे प्रदेश को जानकारी हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा करावें। जनता की समस्याओं पर हमें बहस करने का अधिकार है, वह समाप्त हो जायेगा, अगर आप चर्चा नहीं करायेंगे। इसलिए मैं चर्चा के पक्ष में हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अभी तो आप बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक नया विन्दु प्रस्तुत कर रहा हूं। आप नियमावली का नियम 61 देखें। नेता सदन यहां पर काम कर रहे हैं, इसमें कुछ फर्क हो सकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सही मानते हुए कि वह चले गये हैं...

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

माननीय, अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम 61 को देख लिया है। इसमें नहीं लगता है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री के बिना चर्चा नहीं हो सकती है और यह कह रहे हैं कि बिना मुख्य मंत्री के चर्चा करायी जाय।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रस्ताव को 4 बजे लिया जा सकता है। 4 बजे आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको देख लिया है, आप बैठें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

उन्होंने अपना वर्जन दे दिया । अब ऐसा कौन सा नियम है कि दूसरी तरफ का वर्जन यह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ? आप उसको सुने बगैर कैसे निर्णय दे सकते हैं ? मुझे आपका संरक्षण चाहिए ।

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राना जी, यह आपको शोभा नहीं देता है । आप नये सदस्य नहीं हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आप चर्चा करावें, जिससे सही तथ्य सामने आ जायं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बोल चुके हैं । निर्णय मुझे देना है । आप बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा करने का अधिकार है । मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान करा दें और अगर हम बहुमत में हों तो चर्चा करावें, इनको सुनने की क्या जरूरत है ।

श्री मोहन सिंह--

केवल 12वां हिस्सा प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए । आप वोट करायें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

इनको सुनने की क्या जरूरत है । ये तो कल कह ही चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, नियमानुसार प्रस्ताव लाने के लिए कुल संख्या का 12वां हिस्सा होना चाहिए ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि इस घटना से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि इससे प्रभावित न हुआ हो । हमें इस बात को देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस गुत्थी को सुलझाया जा सके । जो बातें माननीय नेताओं ने उठायी हैं, माननीय मोती लाल जी ने उठाई है कि पुलिस ने अपना फैसला दे दिया है और उसमें गुलाब सिंह की कोई हरकत है, यह सत्य नहीं है । किसी प्रकार का कोई निर्णय पुलिस ने अभी नहीं दिया है । मामले की तफतीश जारी है ।

एक डाग स्क्वेड वहां भेजा गया था जो कि गुलाब सिंह की कमीज को सूंघने के बाद 500 गज की ट्रेक तक गया और उसके बाद वह रुक गया। आगे नहीं गया। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष या फैसला न तो पुलिस ने किया है...

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपा करके बैठ जायं। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मेरा निवेदन यह है कि हम पूरा विवरण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री क्या-क्या प्रकरण दिखा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं से यह अपील और निवेदन करूंगा कि जब वे कोई बात कहते हैं तो हम लोग शांतिपूर्वक उनकी बात को सुनते हैं और अगर यही प्रक्रिया पड़ जायेगी कि आप अपनी बात कह दें और हमारी बात न सुनें तो यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल अपने सम्मानित सदस्यों को अनुशासित करें। हमारी बात सुनें। मैं कहना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के लिए माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय मोहन सिंह जी ने एक टेक्निकल बात उठायी। मैं उसका जवाब दूंगा और जो तथ्य हैं.....

श्री राजेन्द्र सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। यह नियम 56 का एक प्रश्न आया है। हम लोगों ने कहा कि इस पर ग्राह्यता के क्या-क्या बिन्दु हैं। वह हमने आपके सामने रखे। आप भी उन्हीं विषयों को रख रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि इस पर विचार हो और भी उस पर कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो जाय। बात साफ हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कृपया केवल इसकी ग्राह्यता पर ही बोलें कि इसको 56 में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, चूंकि उधर से कुछ टेक्निकल बातें कही गई हैं इसलिए मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, आप नियमावली का नियम 58 (5) देखें, उसमें लिखा है "प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।" कल इस पर यहां पर चर्चा हो चुकी है। मुख्य मंत्री जी ने कल इस विषय पर अपने वक्तव्य में कहा था...

(व्यवधान)

फिर भी मानवता को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर यह ग्राह्य नहीं है लेकिन विषय की गंभीरता

[श्री अम्बार रिजवी--]

को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा के लिए आप कोई समय निर्धारित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें । मैंने सबकी बात सुन ली है ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होकर कुछ कहने पर)

अब हम आगे चले गये हैं । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

श्रीमन्, मैं एक ऐसे प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह बात प्रकाश में आयी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र से मिलने वाली सहायता का दुरुपयोग किया है । कुछ समय पहले भी इस बात की अखबार में खबर छपी थी । 2-3 दिन पहले और स्पष्ट रूप से यह बात छपी है । उक्त सहायता का उपयोग गांवों में बंधा बनाने के लिए, हरिजन और निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए, पेयजल योजना के लिए या जिन-जिन कामों के लिए दिया गया था उन कामों में न करके सरकार के निर्माण विभागों ने मनमाने ढंग से किया है । जब केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर गया तो उसने आपत्ति की । इसमें केन्द्र की सरकार जितना पैसा देती है उसका पचास प्रतिशत प्रदेश की सरकार को अपना खर्च करना पड़ता है । वह अंश इस सरकार ने नहीं दिया । पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपया अनुपयुक्त रह गया । इस वर्ष भी 50 करोड़ रुपया अनुपयुक्त रहने वाला है । इस सरकार की हालत यह है कि जिस काम के लिए पैसा दिया गया उस काम के लिए इस सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया । यह सरकार इस विधान सभा को, प्रदेश की जनता को और केन्द्र की सरकार को बराबर धोखा देती चली आ रही है । इस बारे में केन्द्रीय सरकार के, एक प्रवक्ता ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका मतलब होता है धोखाधड़ी । अंग्रेजी में शब्द 'फ्राड' इस्तेमाल किया है । जब एक आम व्यक्ति फ्राड करता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम किया जाता है, जब यह सरकार फ्राड करती है तो सरकार के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, क्रमबद्ध ज्ञान का नाम विज्ञान है और क्रमबद्ध धोखाधड़ी का नाम है कांग्रेस (आई०) की सरकार । बजट सेशन चल रहा है । 100 करोड़ रुपया जो केन्द्र ने दिया उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना अंश देना था वह इस सरकार ने नहीं दिया । केन्द्र की सरकार के सामने इस प्रदेश की सरकार ने गलत नक्शा पेश किया । जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1982 तथा अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, इन दो तिमाही का कार्य विवरण का नोट जो समय से जाना चाहिए था वह नहीं गया, वह जनवरी में गया जिसके कारण 18 करोड़ रुपया फरवरी के अन्त में रिलीज हुआ । इस सरकार को इस फ्राड के कारण फौरन बरखास्त कर देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया केवल ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें ।

* श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव कल होटल कर्मचारियों पर हुये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है । मान्यवर, अभी-अभी प्रथम प्रस्ताव के समय जो तथ्य प्रकाश में आया है उससे भी ऐसा आभास होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी है और दूसरी ओर गरीब निरीह जनता पर पुलिस अत्याचार कर रही है । अपनी जायज मांगों को रखने का हर नागरिक को अधिकार है । जनता से मौलिक अधिकारों का हनन इनकी लाडली पुलिस कर रही है । वे गरीब होटल कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को ले कर एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री के यहां उनके आवास पर जा रहे थे । तो पुलिस ने उनकी न्यायोचित बातों को सुनने से रोक दिया और बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर दिया । मैं ग्राह्यता पर आ रहा हूं । इनकी पुलिस शांति और व्यवस्था को स्थापित नहीं करती बल्कि ये पुलिस के मात्र सहारे पर उसके लाठी गोली पर जी रहे हैं । स्पष्ट रूप से देखा जाय तो इनके शासन में माननीय विधायक सुरक्षित नहीं हैं, इनके शासन में बुद्धिजीवी वर्ग सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है । अभी-अभी मेरे जनपद में 28 तारीख को...

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं यह इसका विषय नहीं है कि आपके जनपद में क्या हो रहा है ।

श्री जटा शंकर सिंह--

पुलिस ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट-6 के कोर्ट में घुस कर जो लोग जमानत करा रहे थे, उनकी पिटाई की ।

श्री अध्यक्ष---

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री जटा शंकर सिंह--

पुलिस की ज्यादती बराबर बढ़ती जा रही है । यह लोक महत्व का विषय है कि प्रशासन की व्यवस्था खतम हो गयी है । अभी बहराइच में जो घटना हुई..

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, होटल कर्मचारियों जैसे निरीह लोगों पर लाठी चार्ज किया और निर्दोष 70-70 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सिखचों में डाल दिया तो इससे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जटाशंकर सिंह--]

यह तथ्य सामने आ गया है कि पुलिस के सहारे यह शासन चलाना चाहते हैं जनता की आवाज दबा रहे हैं और इस प्रकार जुल्म के बल पर शासन कर रहे हैं। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है यह घटना कल ही घटित हुई है इसलिए अविलम्बनीय है। मेरा प्रस्ताव है कि सदन का बाकी कार्य स्थगित कर मेरे प्रस्ताव पर प्रथम प्रस्ताव के साथ चर्चा कराई जाय।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपने इससे पहले जो प्रस्ताव हुआ तथा इस पर एक साथ कहने का आदेश दिया है। माननीय विद्यासागर नौटियाल जो विद्या के स्वयं सागर हैं, ने जो सूचना आपके माध्यम से दी है वह बिलकुल सही नहीं है, सत्य से परे है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने, जो इन्होंने हवाला दिया उसके बारे में बताना चाहता हूं उन्होंने जो बात कही उसका सम्बन्ध प्रदेश की समस्त जनता से है तो जनता को मालूम होना चाहिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो पत्र आया है-एम-13011/21/82-एन0 आर0 इ0 पी0, दिनांक 25-2-83 जिसमें 18.43 करोड़ रुपया, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर इस फाइनेंशियल इयर के लिये उत्तर प्रदेश को मंजूर किया गया है।

दूसरा शब्द इन्होंने फ्राड का इस्तेमाल किया मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मैं उनको चुनौती तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा वे विद्या के सागर हैं तो उनके करीब भी नहीं फटकता हूं। तो जो वह बता रहे थे कि पत्र में फ्राड लिखा है मैं चाहूंगा कि उस पत्र का आप स्वयं अवलोकन कर लें अगर उसमें लिखा हो तो हमारी गलती है और अगर नहीं लिखा है तो फिर इस तरह की सूचना देना कहां तक उचित है और उनकी जानकारी नहीं है जिस चीज को उन्होंने स्वयं नहीं देखा हो और उसे इस माननीय सदन में उठायें...

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

पहले मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा था कि ग्राह्यता के उपर टेक्निकल बातों पर आप हमारी तरफ ज्यादा जोर आज दे रहे हैं तो मैं आपका ध्यान नियम 57 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि अविलम्बनीय लोकमहत्व और निश्चित विषय पर होना चाहिये। तो जो सत्यता पर आधारित न हो, सत्य से परे हो वह लोक महत्व का नहीं हो सकता है। जो माननीय नौटियाल साहब ने कहा एन0 आर0 इ0 पी0 का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो बताना चाहता हूं कि पहला एलाटमेंट जो किया गया वह 81-82 का 66.80 करोड़ है उसमें से 51.93 करोड़ रुपया 15-2-83 तक यूटिलाइज हुआ है दूसरी 82-83 की किश्त 7.26 करोड़ की है। जो अन्तिम इंस्टालमेन्ट थी वह भारत सरकार ने 25 तारीख को दिया। उसका खंडन समाचार पत्रों में निकला है, लेकिन उनकी आदत है कि खंडन नहीं पढ़ेंगे और आरोपों को पढ़ेंगे। तो मैं सफाई देना चाहता हूं कि जैसे श्री मोतीलाल देहलवी कह चुके हैं कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था जहां आवाज को दबा दिया जाता था, तो वैसा यह शासन नहीं करता है। इसलिए मान्यवर, इसमें ग्राह्यता का प्रश्न नहीं बनता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

फ्राड केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने कहा है जो नेशनल हेराल्ड 28-2-83 में निकला है, यह अखबार मेरी पार्टी नहीं चलाती है, जिसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह अखबार से न पढ़ें, आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो खंडन को न पढ़ने की बात कही है, तो मैंने उसको पढ़ा है । उसमें कहीं नहीं लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने फ्राड करना नहीं कहा है । मान्यवर, मंत्री जी को मेरे नाम से एतराज है तो मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं :--

हम कहां के दाना हैं, किस हुनर में यकता हैं,
बे सबब हुआ गालिब, दुश्मन आस्मां अपना ।

श्री अध्यक्ष--

जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें श्री हर गोविन्द वर्मा की सूचना के सम्बन्ध में शासन का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है ।

सर्वश्री राम आसरे वर्मा, परमाई लाल, गोपीनाथ वर्मा और खैरल बशर की सूचना के सम्बन्ध में पहले ही नियम 301 में स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है ।

श्री जटा शंकर सिंह को सुन लिया गया है ।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सूचना के सम्बन्ध में नियम 301 में पहले ही स्वीकार की जा चुकी है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल और श्री जटा शंकर सिंह की सूचना को नियम 56 में मैं अस्वीकार करता हूं ।

जहां तक पहली सूचना का सम्बन्ध है जो सर्वश्री सरदार सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री विजय सिंह राना आदि की है इसमें चूंकि शासन के लोग, मुख्य मंत्री जी मौके पर गए हैं, पूरा विवरण इनके पास इस समय नहीं है, यदि इनको बुलवाकर निर्णय अभी ले लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा, इसलिए इसमें डेढ़ घंटे की चर्चा को मैं स्वीकार करता हूं । इस पर मंत्री जी बतायें कि आज रखेंगे या कल चर्चा रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो निर्णय आपने किया उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अपना क्षोभ व्यक्त करने का मैं अधिकार रखता हूं । मैंने पहले ही कहा था कि यह बजट सत्र अशुभ है । पहली फरवरी और 28 फरवरी इस शासन को अशुभ

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

हुई और प्रदेश के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है ? इसलिए नियम 56 में प्रस्ताव को स्वीकार करें। बेकार में समय बरबाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मान्यवर, एक अरब 70 करोड़ रुपया ला एण्ड आर्डर पर शासन बेकार खर्च करने जा रहा है, इसलिए यह रुपया देना ठीक नहीं है और इसलिए कल कटौती का प्रस्ताव रखा था लेकिन वह बहुमत में है इसलिए उसको पास करा लिए। मान्यवर, आपसे भी संरक्षण हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने साथियों सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह ने अपने दल के सदस्यों के सहित सदन का त्याग किया। उनके दल के कुछ सदस्य नारे लगाते हुये बाहर गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपकी व्यवस्था को जहां तक समझ पाया हूं, आपने इसको नियम 56 में स्वीकार किया है, लेकिन उस पर डेढ़ घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं। कार्य-स्थगन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और प्रतिपक्ष का एक संसदीय अधिकार है। इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस पर अभी आप व्यवस्था रोक दें...

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप मुख्य मंत्री को सुन लें, फिर आप अपना निर्णय दें....

(व्यवधान)

यह जो शासन का रुख है, चर्चा की सूचना मिलने के बाद....

श्री अध्यक्ष--

(व्यवधान)

यह उसको स्वीकार करते हैं तो उससे सदन का क्या लाभ होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खंडुल बश --

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

कोई चीज जो खैरूल बशर बोल रहे हैं, लिखी नहीं जाएगी, मैं उनको आज्ञा नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम असरे वर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अभी जो कार्य-स्थगन की सूचनायें दी गई थीं, उनमें एक सूचना बड़ी अहम थी, जो मेरे और तीन चार अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से थी, जिसके बारे में आपने बताया कि यह नियम 301 में स्वीकार की जा चुकी है । तो मैं जानना चाहता हूं क्यों कि इस नियम 301 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं पढ़ी गई है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बता दें हमें, यदि ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो मैं फिर उस पर निर्णय विचार करके ले लूंगा । जो मेरे सामने है, उसको देखकर अभी मैंने आपको बताया है ।

श्री खैरूल बशर--

मेरी सूचना को कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार न किये जाने के विरोध में मैं भी इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री खैरूल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अम्मार रिजवी--

आज मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां गये हैं । उनको आने में विलम्ब हो सकता है और फिर सारी सूचनाएं एकत्र करनी हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि कल सदन के बाद आप इस पर चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, कल बजट के बाद इस पर चर्चा होगी ।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-7-ऊर्जा विभाग

*श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,22,75 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

आज यह बात सभी मानते हैं कि अगर हमें प्रदेश में प्रगति लानी है, तो हमें विद्युत उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, विद्युत को जगह-जगह पहुंचाना होगा,

[श्री सुनील शास्त्री--]

जिससे कि हमारे कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले पूर्ण रूप से इस सुविधा को प्राप्त कर सकें और प्रगति के रास्ते पर चलें। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस समय जो विद्युत उत्पादन क्षमता है--ईस्टाल्ड कैपिसिटी है हमारे प्रदेश में वह 3,694 मेगावाट है। इसमें से 2,482 मेगावाट थर्मल से उत्पादित होती है और और 1,212 मेगावाट हाइडिल के विद्युत गृहों से उत्पादित होती है। मान्यवर, इस दिशा में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा जहां 1981-82 में कुल उत्पादन विद्युत का तापीय एवं जलीय 11,348 मिलियन यूनिट हुआ, हमने उसे इस वर्ष फरवरी माह के अन्त तक 11,452 मिलियन यूनिट कर दिया है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो तापीय विद्युत का रिकार्ड उत्पादन था, पिछले वर्ष 5 दिसम्बर, 1982 को 32·2 मिलियन यूनिट था, उसे इस वर्ष हमने 18 जनवरी, 1983 को पार किया और 34·2 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया। पीका टाइम जनरेशन जिसका रिकार्ड पिछले वर्ष किया गया था 1,639 मिलियन यूनिट, उसे भी हमारे काबिल इंजीनियर्स ने पार किया। 18 जनवरी, 1983 को 1,739 मिलियन यूनिट किया। यह सब साबित करता है कि किस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार विद्युत जैसे महत्वपूर्ण विभाग की ओर ध्यान दे रही है और विद्युत उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर था, जो पिछले वर्ष 40.1 प्रतिशत था, उसे इस वर्ष फरवरी के अन्त तक हम उसे 41·5 प्रतिशत कर चुके हैं। हमारे बड़े-बड़े जो थर्मल पावर हाउसेज हैं, एशिया का सबसे बड़ा विद्युत थर्मल पावर ओबरा का जो ऐवरेज प्लांट लोड फैक्टर 38·6 परसेन्ट था, इस वर्ष अब तक जो प्लांट लोड फैक्टर है, 43·2 है। इसी प्रकार पनकी में भी 48·7 परसेन्ट पिछले वर्ष रहा। इस वर्ष फरवरी के अन्त तक 49·8 हो गया है।

मान्यवर, यही नहीं, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। पूरी तरह से जागरुक है कि किस तरह से हम विद्युत के उत्पादन को बढ़ायें और इस दिशा में हमारी बहुत सी नई-नई योजनाएं चल रही हैं। यहां पर मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि परीक्षा में हमारी 220 मेगावाट की एक तापीय परियोजना चल रही है और हमें आशा है कि माह 83 के अन्त तक वहां पर पहली मशीन चालू हो जायगी। आनपारा (ए), मिर्जापुर में हमारी 3 मशीनें 210 मेगावाट कैपसिटी की लग रही है, । जून, 84 तक पहली इकाई चालू कर दी जायगी। टाण्डा परियोजना, जिला फैजाबाद में 4 मशीनें 110 मेगावाट की लग रही है, कुल क्षमता यहां पर 440 मेगावाट की होगी। उसके लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए पहली इकाई अक्तूबर, 84 तक हम उम्मीद करते हैं कि यहा पर चालू हो जायगी। इसके साथ-साथ हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से ऊंचाहार में एक परियोजना चालू कर रहे हैं। पहली मशीन हमारी जून, 85 में आ जायगी। मान्यवर, एक और सफलता हमको प्राप्त हुई है। आनपार (बी) परियोजना, जहां पर हम 1,000 मेगावाट क्षमता की मशीन वहां पर लगायेंगे। वहां पर हमें जापानीय येन क्रेडिट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस दिशा में हमारी केन्द्रीय सरकार जापानी सरकार से वार्ता कर रही है और आशा है कि हमें इस दिशा में बहुत जल्द सफलता प्राप्त हो जायगी।

मान्यवर, यहां पर मैं हमारी जो जलीय विद्युत योजनायें हैं उनके बारे में भी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने 3,515

मिलियन यूनिट बिजली हाइडिल पावर हाउसेस से जनरेट किया है । इस वर्ष फरवरी तक 3,880 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट की गयी है । इसके अतिरिक्त हमारे जो छिब्रो और चीलो विद्युत गृह हैं जिनका नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में लिया जाता है वहां पर भी हमने रिकार्ड जनरेशन किया है । पिछले वर्ष 120 एवं 100 मिलियन यूनिट पावर जनरेट हुआ और इस वर्ष वहां पर क्रमशः 128 तथा 104 मिलियन यूनिट पावर जनरेट हुआ है । यह अगस्त के आंकड़े हमने बताये हैं । मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हिमालयन रेंज में जो नदियां हैं उनके माध्यम से 20 हजार मेगावाट से अधिक जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है । इस दिशा में हमने प्रयास किया है और 1,212 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं । इस बात को ध्यान म रखते हुये हमने कई-कई परियोजनायें वहां पर प्रारम्भ की हैं । इस समय खोदरी, मनेरी भाली-1, मनेरी भाली-2, लखवार व्यासी, विष्णु प्रयांग, टिहरी डैम पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है । कुछ धनाभाव के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है लेकिन प्रयास जारी है । हम केन्द्र सरकार से और सब लोगों से इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह योजनायें समय से पूरी हों । मान्यवर, माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्टस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस दिशा में राज्य विद्युत परिषद् ने सराहनीय कार्य किया है । इस समय 16 माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्टस जिनकी कैपेसिटी 7,730 कि0 वा0 है, लगाने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है । इस में से 4 माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्टस पर कार्य प्रारम्भ किया है और आशा है कि 1986 के अंत तक चारों माइक्रो हाइडिल स्टेशन कार्य करने लगेंगे ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ हमने इस बात का प्रयास किया है कि जो केन्द्र ने हमारे यहां तापीय विद्युत् परियोजनायें प्रारम्भ की हैं, उनमें भी हम पूरी तरह से उनको सहयोग दे रहे हैं । इस दिशा में सिंगरोली पावर हाउस एन0 पी0 टी0 सी0 के माध्यम से लगाया जा रहा है । इसमें 2 मशीनें 200 मेगावाट, कुल 400 मेगावाट क्षमता की कार्य कर रही हैं और 42.5 प्रतिशत जो हमारा शेयर है वह हमें प्राप्त हो रहा है । इसके साथ-साथ हमारी माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, ब्रिटेन गयीं तो वहां बातचीत हुयी । उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश में एन0 पी0 टी0 सी0 के माध्यम से रिहंड पावर हाउस 1,000 मेगावाट का मिला है । इसमें से 42.5 परसेंट जो हमारा शेयर है वह हमें मिलेगा । इसी प्रकार से मान्यवर, नरौरा एटामिक पावर हाउस का कार्य तेजी से चल रहा है और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में उत्पादन शीघ्र होने लगेगा । एन0 एच0 पी0 सी0 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के माध्यम से बन रहे हैं । इस दिशा में भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 88 मेगावाट है, धौली (गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 280 मेगावाट का है, गौरी गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 120 मेगावाट कैपेसिटी का है, तो इन तीनों योजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है और एन0 एच0 पी0 सी0 द्वारा 18 महीनों के अंदर कार्य प्रारम्भ होने पर पूरा करेंगे । इसमें हम लोगों को 50 परसेंट शेयर मिलेगा । मान्यवर, जहां पर हमने विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है वहां पर अधिक से अधिक बिजली हम अपने कंज़ूमर्स को दें, अपने प्रदेश के लोगों को दें उस दिशा में भी सराहनीय कार्य हुआ है । फरनेस आयल कंजम्पशन में, जो तेल खर्च होता है उसमें काफी कमी लाये हैं । 1980-81 की

[श्री सुनील शास्त्री--]

अपेक्षा 1981-82 में फरनेस आयल कंजप्शन में 49,065 किलो लीटर आयल कम खर्च हुआ है । इसकी कीमत 15 करोड़ रुपये होती है ।

मान्यवर, यहां पर मैं एक बात और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो ऐरियर्स हैं, जो हमारी बिजली की बकाया धनराशि है वह काफी बड़ी रकम है ।

(समय 2 बजे अपराह्न)

इस समय जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हैं, उसके अनुसार नवम्बर, 1982 के अन्त तक कुल ऐरियर्स हमारा जो उपभोक्ताओं पर है, वह 123 करोड़ 6 लाख रुपए के करीब है । इसमें से जो हमारे घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर 24 करोड़ 39 लाख रुपया बकाया है, लघु उद्योग वालों पर करीब 16 करोड़ 1 लाख रुपया बकाया है, बड़े उद्योग वालों के ऊपर करीब 17 करोड़ 57 लाख रुपया बकाया है और कृषि के क्षेत्र में, जो हमारे नलकूप है और दूसरे कृषि के कार्य हो रहे हैं, जिसके लिए हम बिजली दे रहे हैं, उनके ऊपर 40 करोड़ 39 लाख रुपया बकाया है । मान्यवर, इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसमें भी अपना पूर्ण सहयोग सरकार को दें, ताकि जो हमारी बकाया धनराशि है, उसका भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो सके । मान्यवर, अगर आज यह बकाया धनराशि हमें उपलब्ध हो जाय, तो हम दो बड़ी-बड़ी मशीनों के लिए, 200-200 मेगावाट की, आर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

मान्यवर, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया है । इस दिशा में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में, जहां 1 लाख 12 हजार, 561 गांव हैं, इनमें से हम लोगों ने अब तक 50 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है । मान्यवर, यही नहीं 1991-92 तक हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्रामीण अंचलों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जायेगा । हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां बिजली पहुंची है, जहां भी बिजली दी है, वह पर अधिक से अधिक मात्रा में हम बिजली अपने ग्रामीण अंचलों के लोगों को दें । इस दिशा में मैं यह बताना चाहूंगा कि जहां हम लोगों ने 50 हजार 4 सौ 77 गांवों का विद्युतीकरण किया है, वहीं हम लोगों ने 20 हजार 2 सौ 73 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया । यही नहीं, हम लोगों ने अब तक 4 लाख 29 हजार 7 सौ 23 नलकूपों का भी ऊर्जीकरण किया है । हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा लक्ष्य इस वर्ष निर्धारित है, 4 हजार गांवों का विद्युतीकरण, 27 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण, 36 हजार निजी नलकूपों का, इसमें जहां तक गांवों और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है, उसे हम अवश्य पूरा कर लेंगे । जहां तक निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का सवाल है, साधन की कमी के कारण हम 36 हजार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम अधिक से अधिक निजी नलकूपों को बिजली दें ।

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश में 22 लाख 37 हजार 2 सौ 15 उपभोक्ता हैं और इस वर्ष भी धीरे-धीरे इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है, 54 हजार के करीब उपभोक्ता अक्तूबर, 1982 तक बढ़ गये हैं । हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अन्त तक करीब 1 लाख, 12 हजार, 7 सौ, 85 उपभोक्ता हमारे बीच और

बढ़ जायेंगे । मान्यवर, इन सब बातों को, जो मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, मैं इन बातों को अच्छी तरह से समझता हूं कि विद्युत् व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों में कुछ रोष है, उनकी शिकायत है कि जो हमारा विद्युत् का वितरण है उसमें कुछ कमी है और उसके कारण सही मात्रा में बिजली जो उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, वह सब उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है । मान्यवर, इस दिशा में हम लोगों ने विशेष बल दिया है कि ट्रांसमिशन्स के जो हमारे कार्य हैं, लाइन बिछाने के कार्य हैं, उसमें तेजी लायी जाय । इस समय हमारे प्रदेश में 1,157 सर्किट किलोमीटर की लाइन्स 400 के0 वी0 सब स्टेशन के माध्यम से बन रही हैं । न्यूज 220, 132, 33/11 सब-स्टेशन के माध्यम से काफी लम्बी लाइनें हमारे पूरे प्रदेश में बिछायी गयीं । मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने विद्युत् वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 37 डिस्ट्रिब्यूशन सर्किल्स की स्थापना उत्तर प्रदेश में की है ।

इन 37 डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्किल में 188 हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवीजन हैं, जिनकी इक्जीक्यूटिव इंजीनियर देख–रेख करते हैं । इनके माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि सही मात्रा में हमारी बिजली जगह–जगह पहुंच रही है ।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जो हमारा यह प्रयास है कि 83 की अन्त तक 9 से 10 घंटे तक बिजली की आपूर्ति कृषि क्षेत्र में

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए ।)

की जाय । इसके साथ ही साथ अरबन एरियाज में बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं है । आज किसी भी उद्योग पर विद्युत् की कटौती नहीं है । फरनेसेज और रोलिंग मिल को साढ़े 12 घंटे बिजली दी जा रही है । यहां इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हमारे उत्पादन में जो गिरावट आती है कभी हमारी मशीन खराब होती है और इसका दूसरा कारण अच्छा कोयला न मिलना है । हमारे यहां जो कोयला आता है उसमें से बहुत सी ऐसी खानों से कोयला आ रहा है जिसकी क्वालिटी खराब है । इसके कारण जो उत्पादन क्षमता है, हम अपनी उत्पादन क्षमता के हिसाब से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । काफी गिरावट आ जाती है । लेकिन इसकी तरफ भी हमारी सरकार केन्द्रीय कोयला विभाग से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको अच्छा कोयला मिले और हमारा उत्पादन बढ़े । हमारे राज्य विद्युत् परिषद् ने केन्द्रीय सरकार के कोयला विभाग को लिखा है क्वालिटी को और अच्छा करने के लिये वेरीफिकेशन प्लान्ट कोलमाइन्स में लगाने की व्यवस्था की जाय । हम लोग इस बात का प्रयास की हमारे जो पावर हाउस हैं पनकी, ओबरा और हरदुआगंज इनका रेनोवेशन किया जाय और इसके लिये 1982–83 में 17 करोड़ रुपया दिया गया था । इस वर्ष 1983–84 में यह धनराशि बढ़ाकर 23 करोड़ कर दी गई है । हमारा यह प्रयास है कि हम पनकी, ओबरा और हरदुआगंज की मशीनों को रेनोवेशन करें, ताकि यह अधिक उत्पादन कर सके और हमारा उत्पादन बढ़ सके । ओबरा के लिये हमने यू0 एस0 ए0 की एजेन्सी है, जिसका विश्व में चर्चा है एम0एस0 यूनाइटेड इंजीनियर्स को दिया है उनकी रिपोर्ट वगैरह और रिकमेन्डेशन भी प्राप्त हो गयी है । काम शुरू होने जा रहा है । ओबरा में रसियन यूनिट के एक्सपर्ट को बुलाया गया है और वह कार्यवाही कर रहे हैं । हरदुआगंज के लिये गिलबर्ट कामनवेल्थ को यहां के मशीनों के नवीनीकरण के लिये कहा गया

[श्री सुनील शास्त्री--]

है और वह स्टडी कर रहे हैं । इस वर्ष विद्युत् परिषद् निदेशालय को शक्तिशाली बनाने के लिये काफी निर्णय लिये गये थे जिस पर पूरी तरह कार्य कर रहे हैं । जहां पहले 5 क्षेत्रीय कार्यालय थे और 21 जोनल कार्यालय थे, वहां बढ़ाकर 7 रीजनल आफिस प्रस्तावित किये गये हैं और 27 जोनल आफिस किये गये हैं । 7 में 5 कार्यालय स्थापित किया है और 27 में से 15 कर दिया गया है । इन सब बातों को माननीय सदस्यों के सामने इसलिये मैं रख रहा हूं ताकि वह अवगत हो सकें कि विद्युत् जैसे महत्वपूर्ण चीज पर जिसकी आवश्यकता हर समय रहती है उस पर प्रदेश सरकार कितना ध्यान दे रही है और कितना प्रयास कर रही है । प्रदेश सरकार दिन प्रति दिन विद्युत् में सुधार ला रही है और विभाग अपनी पूरी क्षमता का उत्पादन कर सके इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--उर्जा विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, ये धरम पाल जो हैं । नये मुसलमान हुये हैं । प्याज ज्यादा खाते हैं । अभी मन्त्री जी ने बड़े विस्तार से विद्युत् विभाग के बारे में सदन को अवगत कराया, लेकिन मान्यवर, आप इस पर गौर कर लें 3 साल से जब से कांग्रेस शासन है, इस विभाग की पतवार रखने वाला नहीं है । दो बार तो मुख्य मन्त्री, मुझे एक बात बता दें, कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

कितना समय आप चाहते हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

एक घण्टा ।

श्री अधिष्ठाता--

उसका आधा कर दीजिये ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, दो बार मुख्य मन्त्री लोगों ने अपने पास ही इस विभाग को रखा था और अब भी यह विभाग मुख्य मन्त्री के पास है और जैसा आप देख रहे हैं इतना महत्वपूर्ण विभाग होते हुए भी मुख्य मन्त्री जी, जो विद्युत् मन्त्री हैं, सदन में नहीं हैं । कितनी अहमियत यह सरकार इस विभाग को दे रही है ।

(व्यवधान)

कभी कानपुर जायेंगे, कभी दिल्ली जायेंगे और इस सरकार को देखने का समय नहीं रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप शान्ति बनायें रखें। आप सुनें उनकी बात को।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, 11 सितम्बर, 1959 को इस विभाग की स्थापना हुई थी और तब उम्मीद की गई थी कि विद्युत् परिषद् के गठन के बाद इसके कामों में तेजी आयेगी और जनता को बिजली प्रचुर मात्रा में मिलेगी और कल-कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थापित होने लगेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। विद्युत् प्रतिष्ठान में 3 हजार करोड़ की पूंजी लगी हुई है और मान्यवर, दो-ढाई साल के अन्दर, जब से यह शासन दुबारा बना है, लगभग 15 सौ करोड़ का घाटा हो गया है। दो साल के अन्दर केवल 873 करोड़ का घाटा हुआ है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 सौ करोड़ का घाटा केवल दो-ढाई साल में हुआ था और दो-ढाई साल के अन्दर इस विभाग ने, इस परिषद् ने 873 करोड़ का घाटा दिया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 78-79 के समय में जिस समय जनता पार्टी शासन में थी, उस समय केवल इस विभाग को 6 करोड़ का घाटा हुआ था और अब यह बढ़ते-बढ़ते घाटा इतना बढ़ गया है कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी हालत क्या है।

37 सौ मेगावाट की इसकी क्षमता है और उत्पादन 14-15 मेगावाट हो रहा है। इसका मतलब 39 प्रतिशत आज अपनी क्षमता का, अधिष्ठापित क्षमता का, इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का, यह जनरेशन कर रहा है, बिजली पैदा कर रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 1977-78 में जब कि 48 प्रतिशत और 49 प्रतिशत जनरेशन था और आज यह कहते हैं कि 12 फीसदी हमने बढ़ा दिया है। तो बढ़ाने के बाद यह हालत चल रही है कि आज यह इतना बड़ा प्रतिष्ठान जो कि अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 39 फीसदी विद्युत् उत्पादन कर रहा है।

(2 बज कर 20 मिनट)

आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीन सालों में इन्होंने कितना प्रयास किया, कितनी बिजली पैदा की, कितने उद्योग इस प्रदेश में लगवाये। मान्यवर, 17 प्रदेशों में विद्युत् परिषद् हैं, उनमें आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का स्थान 12वें स्थान पर है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया यह बड़े गौरव की बात है। कभी इस संस्था को विद्युत् उत्पादन के लिये स्वर्ण पदक मिला था। इसकी कार्य क्षमता में 1974 से गिरावट शुरू हुई और 1977 आते-आते तीन सालों में तो इसकी पराकाष्ठा ही हो गई। 1974 से 1977 तक जो यह हुआ इसको मान्यवर, आप देखें। 1978-79 में इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 20-20 घंटे, 21-21 घंटे बिजली दी गई यह मेरा कहना नहीं है। सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी का कहना है। जनता शासन के दौरान इतनी बिजली दी गई। आज जो स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है, किसी भी माननीय सदस्य से छिपी नहीं है चाहे वह इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के हों।

इन्होंने उद्योग बंधु के द्वारा इस प्रदेश में उद्योग लगाने की बात की। एक ही टेबुल पर सब हो जायेगा, बिजली भी मिल जायेगी और सभी साज-सज्जा का सामान उपलब्ध हो जायेगा। आज 14 उद्योग ऐसे हैं जो उद्योग

[श्री रेवती रमण सिंह--]

बंधु द्वारा लगाये गये हैं और चल नहीं पा रहे हैं। इनकी इन्सटाल्ड कैपसिटी 5700 मेगावाट है और इन्होंने 5400 मेगावाट के कनेक्शन दे रखे हैं। जरा ध्यान दीजिये। पैदा करते हैं 1400 मेगावाट, कनेक्शन देते हैं 5400 के। माननीय मन्त्री जी मैं कहना चाहता हूं यद्यपि आपका विभाग नहीं है, पहले आप थे, कृपया इन तथ्यों को जो आपके विभाग के अधिकारी हैं, उनको आप समझाइये कि इससे प्रदेश को बड़ी हानि हो रही है और विद्युत् परिषद् की साख जनता में घटती जा रही है। 6ठीं योजना के अन्तर्गत 3130 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और बड़े जोर-शोर से था कि मुख्य मन्त्री जी दिल्ली से योजना आयोग से 150 करोड़ रुपया ज्यादा ला रहे हैं। मिला कितना विद्युत् परिषद् को हमारी परियोजनाओं के लिए केवल 2153 करोड़ रुपया। इसी से अन्दाजा लगा लीजिये कि कितनी अहमियत देते हैं इस विद्युत् विभाग को। आज जब बिजली की कमी है, गांव में बिजली नहीं है, उसके बावजूद भी जो पैसा लगाया है उसका यह हिसाब है। यह सरकार अगर अभी भी न चेती तो हमारी योजनाओं पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने चर्चा की कि 1,12,561 गांवों में से इन्होंने 50 हजार गांवों को बिजली पहुंचा दी है। यह 36 सालों का आंकड़ा है। जब 36 सालों में 50 हजार गांवों में बिजली पहुंच पायी तो भी हरिजन बस्ती में केवल 20 हजार गांवों में ही पहुंची। यह सरकार हरिजनों को प्राथमिकता देने का दावा करती है। मान्यवर, आप सोचें बाकी जगह कब पहुंचेगी। पिछले सालों की उपलब्धि यह रही है। यह मेरा कहना नहीं है यह एनुवल प्लान प्लानिंग डिपार्टमेंट आफ उत्तर प्रदेश का है। यह एनुवल प्लान डिपार्टमेंट आफ उत्तर प्रदेश की है। 5 हजार गांवों को बिजली देना प्रस्तावित किया गया था लेकिन 600 गांवों को ये बिजली दे पाये। यह इनका कार्यान्वयन है, यह इनकी उपलब्धि है और यह इनका कार्यक्रम है। मान्यवर, आप इसे स्वयम् समझ सकते हैं। मान्यवर, इन गांवों में, जो शेष गांव बचे हैं, 5 लाख 5 सौ करोड़ रुपये के संसाधनों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इनकी जो प्राथमिकता है उसमें गांव नहीं आते हैं, इनको गांवों से कोई मतलब नहीं है। इनकी प्राथमिकता में किसान और हरिजन से इनका कोई वास्ता नहीं है। मान्यवर, आप भी देखें यह जो पुस्तिका मिली है विद्युत् परिषद् की, इसमें प्रस्तावित है कि 3500 गांवों में बिजली लगायी जायेगी। जरा आप गौर करें। पिछले साल प्रस्तावित किया था कि 5 हजार गांवों में बिजली देंगे, वह घटाकर 35 सौ पर पहुंचा दिया है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो आदेश देते हैं उनका पालन क्यों नहीं होता है या जो स्कीमें हैं उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं होता है। आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहूंगा कि आप एक गांव में विद्युतीकरण करते हैं और उसके जो पूरवे होते हैं उसमें आप बिजली नहीं लगा पाते हैं। आप लिखते हैं कि फलां ग्राम में विद्युतीकरण हो गया है यह अधूरा काम हुआ। उस पर जो हरिजन बस्तियां हैं उसके लिए आपका नियम है कि हरिजन बस्ती में तीन पोल लगाये जायेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है। अगर आप हरिजन का उद्धार करना चाहते हैं तो तीन पोलों में बिजली नहीं मिल पाती है। माननीय मंत्री जी आप तो जानते ही हैं कि एक-एक गांव में तीन-तीन, चार-चार हरिजन बस्तियां होती हैं, इसमें

प्राविधान है कि केवल दो हरिजन बस्तियों में लगाया जायगा, बाकी दो का क्या होगा, उनके यहां बिजली कैसे लगेगी, इस पर आप विचार करें और इस अधिनियम को बदलें । इसे बदलवाकर जिस गांव में बिजली नहीं लगी है उसमें पूरी बिजली लगाने का प्राविधान करें, खम्भों की संख्या को बढ़ायें, उसके पैसे को बढ़वा दिया जाय ताकि पूरी हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हो सके ।

मान्यवर, प्रदेश में 26 सौ मेगावाट उच्चतम विद्युत उत्पादन है जो 51-52 मिलियन आता है । प्रति दिन की आवश्यकता को सामने रखते हुए इसके समक्ष हम कुल 14-15 सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन जो 31-32 मिलियन प्रतिदिन कर पा रहे हैं । जो उच्चतम उत्पादन बताया गया है यह बिजली पिछले साल जनवरी की है । माननीय मंत्री जी आप तो जानते ही हैं कि यह सिर्फ एक दिन का होता है जो पूरे समय तक कायम नहीं रहता है, इससे आप पूर्ण रूप से अवगत हैं । आप इसे देखें, आपका जो यह प्रस्ताव आया है इसमें कहां उसको पूरा करने के लिए कोशिश की गई है । आप कह रहे हैं कि कटौती नहीं है । यह जरूर है कि आपने एनाउन्स नहीं किया है कटौती का । हमारे समय में, हमने कटौती का एनाउन्स रोज अखबारों के जरिये से और रेडियो के जरिये से प्रसारित किया था । आज कमी है । माननीय मंत्री जी और उधर के माननीय सदस्य भी इसे समझते होंगे कि आज देहातों में बिजली की आपूर्ति 10 घंटे नहीं हो पा रही है, बड़ी मुश्किल से किसान को देहात में 4-5 घंटे बिजली की आपूर्ति हो पा रही है वह भी अविरल गति से नहीं, उसमें भी ट्रिपिंग हो जाती है । माननीय मंत्री जी आप तो गांवों के बारे में जानते हैं । किसी किसान ने खेत में पानी लगाया है, ट्रिपिंग हो गई, तो पानी वहीं रह जाता है । दुबारा बिजली जब आयगी, तब शुरुआत होगी ।

कुछ अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 1978 में यह आदेश था परिषद् ने जो0 ओ0 भी इशू किया था कि जितना भी प्रदेश की लिफ्ट कैनालें हैं, सबको 20 से 24 घंटे बिजली दी जाय और कोई गतिरोध नहीं किया जायगा । मुझे अचम्भा हो रहा है आप कहते हैं कि बिजली की कमी नहीं है । आप इलाहाबाद जिले को भी जानते हैं, करछना तहसील को भी जानते हैं । वह स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का क्षेत्र रहा है । 3 साल से वहां पर ओला, सूखा और बाढ़ आने के कारण काफी नुकसान हुआ है, आज जब फसल के लिए पानी चाहिए, तो नहरों में पानी नहीं है । विद्युत की कटौती कानपुर से पहले ही कर दी जाती है । इसी तरह से पूरे प्रदेश की स्थिति है । क्यों नहीं आप शहरों की बिजली दो घंटे के लिए बन्द कर देते, क्यों नहीं इंडस्ट्री में कटौती कर देते । पिछले साल का उत्पादन देखा कि 4 लाख टन उत्पादन प्रदेश में कम हुआ । अगर यही स्थिति रही तो अच्छी फसल होने के बावजूद भी 2/3 नष्ट हो जायगी । आप विभाग से यह पूछिये कि कटौती कैसे करते हैं, जब जी0 ओ0 है किसानों को बिजली देने की बात है, फिर भी जब मन हुआ बिजली दी । पिछले एक महीने से लगातार जब चाहिए तो कहते हैं कि 14 घंटे दी गयी, 20 घंटे दी गयी, 12 घंटे दी गयी । मैं कहना चाहता हूं कि 12 घंटे बिजली देने से लिफ्ट कैनाल नहीं चल पायेंगी । यह केवल करछना तहसील (इलाहाबाद) की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्यूबवेलों को 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है । आज आप किसानों से पूछें कि क्या हालत है । सरकार ट्यूबवेलों के आंकड़े मंगा लें, पता चल जायगा ।

[श्री रेवती रमण सिंह—]

जो टयूबवेल लगे हुए हैं, उनको बिजली विभाग के लोग कनेक्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिंचाई विभाग के लोग उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, बीच में किसान मारा जा रहा है। किसान क्या करे। आप जो पैसा देय हो रहा है, उसे दिलवा दें। 2000 टयूबवेल पूरे प्रदेश में बेकार पड़े हुए हैं बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़े हैं।

कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं। आपने फरमाया इंडस्ट्री में कोई कटौती नहीं है, 10-12 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 28 तारीख के 'पायनियर' में छपा है कि प्रेस वालों को केवल 25 प्रतिशत बिजली मिल पा रही है। 'नार्दन इंडिया पत्रिका' में छपा है कि गाजियाबाद की इंडस्ट्री बन्द हैं, उनको 15 दिनों से बिजली नहीं मिल पा रही है। आप कहते हैं कुछ, दिखायी कुछ पड़ता है, विभाग के लोग बताते कुछ हैं। आप मुख्य मंत्री जी से आदेश लेकर इस प्रदेश का दौरा करके देख लें, मेरे कहने में यथार्थ है या नहीं।

मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। पर कैपिटा अधिष्ठापित क्षमता हमारे प्रदेश में 33 वाट है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 48 वाट्स हैं। पंजाब में 52, हरियाणा में 89 वाट्स, गुजरात में 65 वाट्स तथा महाराष्ट्र में 64 वाट्स हैं। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारा प्रदेश आज कितना पीछे है। आज पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में तामिलनाडु में उन्होंने अपने गांवों का विद्युतीकरण कर लिया है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? मान्यवर, पंजाब, हरियाणा, केरल तथा तामिलनाडु ने अपने यहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है और महाराष्ट्र, आंध्रा व कर्नाटक ने 61 प्रतिशत विद्युतीकरण किया है। इस प्रकार 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो इस ओर काफी अग्रणी हैं और हमारा नीचे से तीसरा स्थान है। दूसरे मान्यवर, विद्युत की दरों में वृद्धि कर दी गयी है लगभग 70 करोड़ रुपये की। इसके कारणों में बताया गया कि वेतनमान पुनरीक्षित करने, फुर्नेस आयल व कोयले की दरों में वृद्धि के कारण यह बढ़ोत्तरी हुयी है और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि आपने अपने समय में क्या किया, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 78 में दरों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी हमारे जमाने में नहीं की गयी, बल्कि जब यह विद्युत परिषद् वाले हमारे सामने रेट बढ़ाने के लिए प्रोपोजल लाए तो हमने उससे इंकार कर दिया बल्कि किसानों के उपयोग की बिजली के दाम जो 15 रु0 प्रति हार्स पावर उस समय थे, उसे कम करके 12 रु0 प्रति हार्स पावर कर दिया था और इंडस्ट्रीज वालों के रेट अवश्य बढ़ाए जिसे वे आसानी से दे सकते थे और जो दे नहीं सकते थे, उनका नहीं बढ़ाया लेकिन आपके पास जब विद्युत परिषद् वाले बढ़ोत्तरी का प्रोपोजल लाते हैं तो आप बिना सोचे समझे उस पर दस्तखत कर देते हैं और इस वक्त आप किसानों से बजाये 12 रु0 प्रति हार्स पावर के साढ़े 22 रु0 वसूल रहे हैं और घरेलू बिजली के रेट्स आप देखें कि किस तेजी से दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, आफिसों में काम करने वाले, जो रु0 5-6 सौ, 7 सौ और हजार दो हजार पाने वाले हैं, उन पर किस कदर इसका भार बढ़ता जा रहा है और यही नहीं भारतवर्ष के पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा कास्टली बिजली यहीं पर है। इसके आंकड़े हमारे पास हैं।

केरल में 57 पैसा प्रति यूनिट।

दिल्ली में 29 ,, ,,

बिहार में 53 ,, ,,

बंगाल में 57 ,, ,,

आन्ध्र	43 पैसे	प्रति यूनिट
गुजरात	42.16	,,
महाराष्ट्र	38	,,
उड़ीसा	37	,,
पंजाब	42	,,
राजस्थान	44	,,
तामिलनाडु	38	,,

मान्यवर, यह सोचने की बात है कि आखिर इन प्रदेशों में यह बिजली इतनी सस्ती क्यों है आखिर उनके यहां भी महंगाई है, समस्याएं हैं, फिर भी हमसे सस्ती बिजली है उनके यहां। इसी प्रकार कमर्शियल बिजली के बारे में भी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट्स हाई हैं, इनके भी आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश	85 पैसे	प्रति यूनिट
बिहार	63	,,
मध्य प्रदेश	66	,,
तामिलनाडु	73	,,
दिल्ली	53	,,
गुजरात	56	,,
आन्ध्र	90	,,

तो मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश केवल एक ऐसा प्रदेश है, जहां कि बिजली हमारे यहां से ज्यादा महंगी है बाकी सारे प्रदेशों में हमारे यहां से सस्ती है।

श्री धरमपाल—

सामान महंगा है।

श्री रेवती रमण सिंह—

सामान तो हर जगह महंगा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहीं भी यह जिक्र नहीं किया कि विद्युत् परिषद् के खर्च में कमी की है। मैं आपको बतलाता हूं जो खर्च 1978-79 में 54 करोड़ था वह आज 1982 में 94 करोड़ 59 लाख का हो गया है। पिछले 9 महीने में विद्युत् परिषदों की मीटिंग्स में केवल 50,000रु0 चाय और बिस्कुट के नाम पर खर्च हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया ।

श्री रेवती रमण सिंह--

बस मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

वास्तव में मुझे खेद है कि मैं आपकी विद्वता का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा हूं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

बस मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, इस तरह से आप देखें तो आपको जनरेशन के बारे में मैंने पहले ही बतला दिया है, इन्होंने कहा था कि हम उत्पादन, वितरण और ट्रान्समिशन को अलग करेंगे लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है । जब तक आप उत्पादन और वितरण को अलग नहीं करेंगे, जब तक उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन पर आप कन्ट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, 5 तापीय विद्युत् परियोजनाओं में काम चल रहा है । टांडा में 4×110 की इकाई है । उसे आनी थी 1-6-82 को (2) फिर 12-1982 को, (3) फिर 6-1983 में, (4) फिर 12-1983 में जो कि अभी तक कोई नहीं आयी है । परेक्षा में 100×2 (1) मार्च, 1982 में आनी थी, (2) दिसम्बर, 1982 में आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आयी । अनपारा में, (ए) 3×210 को आना था, 6-1982 को (2) को आना था 12-1982 को और (3) को आना था 6-1983 को जो कि अभी तक नहीं आयी । आनपारा (बी) में अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ है । ऊंचाहार का काम भी बहुत धीमी गति से हो रहा है जो कि समय तक पूरा नहीं हो सकेगा । मैं बतलाता हूं कि बगल में सिंगरौली है वहां जो बना है तो वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया और आपका आधा ही बन कर रह गया है ।

जब विद्युत् परियोजना का काम जो शुरू हुआ है उसका पता ही नहीं है कि वह कब पूरा होगा । इसके साथ ही मैं मान्यवर, मंत्री जी को अपने चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं । जब तक आप बोर्ड का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक कोई काम सुचारु रूप से हो पाना सम्भव नहीं है और न कोई काम आप बोर्ड के द्वारा कर पायेंगे क्योंकि मुख्य मंत्री जी के आदेश को भी बोर्ड वाले नहीं सुनते हैं।

एक मामला नट और बोल्ट के सुधार से सम्बन्धित है जब तक आप यहां के कारखानों से इस सामान को नहीं खरीदेंगे तब तक यह समस्या आपकी बनी ही रहेगी। जिले में जहां सामान बनता है आप वहां से परचेज करते नहीं हैं और फरीदाबाद से खरीद रहे हैं लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में कारखाने लगे हुए हैं उनसे नहीं खरीदते हैं । इसका नतीजा यह है कि साल भर से आपने वहां से कुछ सामान नहीं लिया है । विद्युतीकरण हो रहा है ग्रामीण आंचल में और सामान आपका जा रहा है लखनऊ से । इसका परिणाम यह होगा कि वह कारखाने बन्द हो जायेंगे यदि आप इस पर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ।

माननीय मंत्री जी का एक सर्विस कमीशन बना है जो कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का है, उस पर बैन लगा हुआ है । मैं पूछता हूं कि फिर वह सर्विस

कमीशन काहे का ? साल भर में 400 इंजीनियर्स हो गये हैं जिनका चयन विभाग भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं । लेकिन लाखों रुपया खर्च होता है सर्विस कमीशन पर । मैंने मस्टर रोल बन्द कर दिया था, ओवर टाइम बन्द कर दिया था । मेरा कहना है कि आप अपने खर्च में कटौती करें । केवल एक बात मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने भाषण में यह मैं कह दें कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है । आज प्रदेश में स्थिति बड़ी भयावह हो रही है । आप एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ काम करें । जो आंकड़े आपको मिलते हैं, वह इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे और यह प्रदेश हर साल पिछड़ता चला जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता––

7 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है ।

*श्री जैराज गौतम––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री राज कुमार राय––

मेरा एक निवेदन है कि आप चाहे समय 5 मिनट ही दें, परन्तु अधिक से अधिक लोगों को बोलने का अवसर प्रदान करें ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है सभी को 5 मिनट का समय दिया जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, अगर माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख पावेंगे तो उनके बोलने से क्या फायदा । 5 मिनट का समय देकर जो ढइया का क्रम रखा है, ठीक नहीं है । आप चाहे कम ही लोगों को बोलने का अवसर दें, परन्तु समय अधिक दें जिससे वे अपने पूर्ण विचार रख सकें । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं । मुझे बोलना नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता––

यह आपके बोलने पर है । जैसा आप बोलेंगे, आप थोड़े समय में भी अपने विचार रख सकते हैं ।

श्री जैराज गौतम––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप इसको मेरे समय में न जोड़ें । मान्यवर, विद्युत् जैसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । यह बहुत सही है कि अगर प्रदेश को विकास पर ले जाना है तो हमको विद्युत् का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना होगा । मान्यवर, लेकिन महान जो मजदूरों का नेता था, उसने कहा था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जैराज गौतम]

कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोवियत रूस इकुअल टु सोसलिज्म । इतना महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में उस पर कैसे कहा जा सकता है । मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 10 घंटे बिजली दी जा रही है जिससे किसानों के खेतों को पानी मिल सके और साथ ही उत्पादन बढ़ सके । यही नहीं इसको देखते हुए हमारे जो नलकूप हैं उनको ऊर्जाकरण भी किया जा रहा है । किसानों को सिंचाई की असुविधा न हो इसलिए जो कैनाल हैं उनको बिजली पूर्ण रूप से दी जा रही है ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि 20 हजार से अधिक हरिजन बस्तियों में शासनादेश के अनुसार विद्युतीकरण किया गया है । यह सराहनीय कार्य हुआ है । इसके लिए मैं विद्युत बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितना भी कार्य हुआ है वह कम है उसको अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के लिए जो तीन हजार रुपए आवंटित किए गए हैं उसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर देना चाहिए । मैं समझता हूं कि पांच हजार रुपए हो जाने पर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें जो तीन पोल्स मिलते हैं उससे हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं मिल पाती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप 3 हजार के बजाय 5 हजार कर दें । दूसरी बात यह है कि मैं सुल्तानपुर की गाजीपुर विधान सभाई क्षेत्र से चुनकर आता हूं । वहां पर एक अखंडनगर ब्लाक मुख्यालय है जहां पर पिछले आठ सालों से एक सब-स्टेशन लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है । उसके लिए पोल्स भी लग चुके हैं । तीन किलोमीटर की दूरी तक पोल्स आ चुके हैं लेकिन अभी तक वहां पर सब-स्टेशन नहीं बना है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस अखंडनगर ब्लाक मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड की पोलियेस्टर यूनिट लगी हुई है । उसके लिए पांच लाख का भवन भी बना है जिसमें बिजली की कमी की वजह से वह बन्द है । यदि वहां पर उसके लिए बिजली दे दी जाय तो वहां के बेरोजगार महिलाओं और नौजवानों को रोजी मिल सकती है और स्थानीय लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है । तीसरी बात यह है कि वहां पर बिजली की कटौती तो नहीं है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ट्रिपिंग होती है । इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि नए ट्रांसफारमर्स लगाए जायं, नए केबिल्स लगाये जायं जिससे यह समस्या दूर हो सकती है । चौथी बात यह है कि बहुत से गांवों में दूर दराज के इलाकों में बिजली की लाइन बहुत दूर से दी गई है जिसकी वजह से बीच-बीच में कटौती होती है और किसानों को जितनी बिजली मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जब सब-स्टेशन वहां पर बन जायेगा तो ये सब कमियां दूर हो जायेंगी । 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर सब-स्टेशन इसके लिए स्थापित किया जाय तो मैं समझता हूं कि जो कठिनाई है वह दूर हो सकती है पांचवीं बात यह है और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, फिर निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर भारी बोझ बढ़ता जा रहा है इस बढ़ती हुई बिजली की कीमत से । पहले 15 रुपए प्रतिहार्स पावर की दर थी जोकि अब साढ़े बाईस रुपया हो गयी है । यह एक गम्भीर समस्या है किसान के सामने । मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस बढ़ी हुई बिजली की कीमत को निश्चित रूप से कम करेंगे जोकि प्रदेश की जनता के हित में है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप 7 मिनट बोल चुके हैं, कृपया बैठ जायं ।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, मैं नट-शेल में कह रहा हूं । आप सिनेमा घरों, कारखानों और कोल्ड स्टोरेज के लिए जो बिजली देते हैं वह चौबीसों घंटे देते हैं और उसके स्थान पर गांवों में आप 10 घंटे और 12 घंटे ही बिजली दे पाते हैं । इसका कारण यह है कि हमारे बिजली के बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे कल कारखानों के मालिकों से मिले रहते हैं और सिनेमा घरों के मालिकों से मिले रहते हैं जिससे बिजली की चोरी होती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और जो रेड की स्थिति है जहां लोग नलकूप लगाते हैं वहां पर वे बिजली की चोरी करने लगते हैं । इस लिए जो आपके रेड्स होते हैं उनकी संख्या कम है ।

मेरी प्रार्थना है कि रेड्स को और बढ़ाया जाये ताकि बिजली की चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके और जो व्यक्ति बिजली की चोरी करते हुए पकड़े जायं उन पर हैवी जुर्माना किया जाय तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया । सबसे पहले तो मैं इस सरकार के इस कार्य की घोर निन्दा करता हूं कि उसने किसानों की बिजली की दर को बढ़ाया । जब जनता सरकार थी तो उसने उस समय चले आ रहे बिजली के रेट को जो 15 रुपए प्रति हार्स पावर थ, घटकर साढ़े 12 रुपए कर दिया था । जब बाद को यह सरकार आयी तो उसने फिर उसे 15 रुपया कर दिया और उसके बाद उसे बढ़ाकर साढ़े 22 रुपए कर दिया । इसके औचित्य को उचित ठहराते हुए सरकार ने यह कहा है कि बिजली बोर्ड के घाटे एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है । सरकार बिजली बोर्ड के घाटे को किसानों के ऊपर बोझ डालकर पूरा करना चाहती है । सरकार के इस क्रिमिनल एटीच्यूड के प्रति मैं अपना रोष व्यक्त करना चाहता हूं ।

मान्यवर, बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का एक बेमिसाल नमूना है । पहले पुलिस विभाग को सबसे भ्रष्ट विभाग समझा जाता था, अब बिजली बोर्ड पहले नम्बर पर आ गया है । जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में अब है, उतना पुलिस में भी नहीं होगा । ट्रान्सफारमरों तथा अन्य बिजली के सामान की जो चोरी होती है उसमें कर्मचारियों का भी हाथ होता है । जो इस विभाग में ठेकेदार होते हैं, इस विभाग के कर्मचारी उनसे मिले रहते हैं और ये ठेकेदार चोरी गए सामान को, ट्रान्सफार्मर आदि को पुनः ठीक करवाकर, बिजली बोर्ड के हाथ बेच देते हैं ।

मान्यवर, इनके विद्युत् केन्द्रों पर जो कोयला आता है उसका ठीक-ठीक हिसाब नहीं रखा जाता । कोयला कहां से चला यह तो जानकारी इनको रहती है, पर रास्ते में कहीं उसकी चोरी हुई या नहीं हुई, जब अपने स्थान से चला तो पूरा चला या नहीं, फिर जब विद्युत् केन्द्र पर आया तो पूरी मात्रा में आया या नहीं, इसका कोई परीक्षण कोई भी स्तर पर नहीं होता है । काफी कोयले का घपला इस प्रकार होता है । जब विद्युत् विभाग से ट्रान्सफार्मर या अन्य को

[श्री किरन पाल सिंह]

उपकरण सप्लाई किए जाते हैं तो उसको एम0 बी0 रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, लेकिन जो माल पुराना वापस आता है उसको कहीं किसी स्तर पर दर्ज नहीं किया जाता। इस घपले के कारण भी काफी नुकसान इस विभाग को उठाना पड़ता है।

अब मैं एक अन्य निहायत सच्ची बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी सदस्य के जिले में हो सकता है बिजली 10 घंटा जाती हो, 24 घंटे भी हो सकता है जाती हो, पर मेरे बुलन्दशहर में 5-6 घंटे से अधिक बिजली की सप्लाई नहीं होती है। बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला जिला है, परन्तु वहां पर विद्युत् की सप्लाई सबसे कम है।

आज मान्यवर, गेहूं की बाली निकल रही है, फसल तैयार होने को है लेकिन बिजली की यह हालत है कि कहीं पर 6 और कहीं पर 5 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है इससे किसान के साथ अन्याय हो रहा है। यहां पर 10 घंटा बिजली देने के आदेश की बात की जाती है लेकिन हमारे यहां जो एस0 इ0 श्री एन0 पी0 सिंह हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं हैं। हमें दिन में जहां बिजली दी जायेगी वहां 6 घंटा बिजली और जहां रात में दी जायेगी वहां आठ घंटा बिजली देने के आदेश हैं। मैं माननीय बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अति आवश्यक है कि किसान को फसल के लिए चाहे उद्योगों को बिजली काटनी पड़े कम से कम 18 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फसल को भारी क्षति होगी। अगर आप मेरी बात को सच न समझें तो आप किसी अधिकारी को भेज कर जांच करवा लें कि मेरी बात कहां तक सच है। आप जब वहां जाकर देखेंगे तो मेरी बात सच पायेंगे।

आपके छिबरो में चार यूनिट में से 3 यूनिट्स ध्वस्त पड़ी हैं। उनको ठीक करने का कोई प्रबन्ध नहीं होता है। आपका विभाग पता नहीं क्या करता रहता है। आपकी जो तमाम बिजली की लाइन हैं वह पुरानी हो चुकी हैं उनसे तीन तरह से खतरा पैदा हो गया है: एक तो जानमाल को खतरा रहता है, दूसरा उस पर जो वोल्टेज है नहीं जाता है और तीसरा उस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। (लाल बत्ती होने पर) चूंकि बहुत सी बातें हैं समय थोड़ा है इसलिए इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो इस बिजली के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आज हमारे लिए बिजली एक आवश्यक वस्तु है जो एक जमाने में लग्जरी समझी जाती थी लेकिन आज आवश्यकता है। हमारे प्रदेश और देश में भी चाहे वह कृषि हो चाहे उद्योग हो या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे विकास कार्यक्रम हों उनके लिए बिजली का होना आवश्यक है । इसके बिना विकास संभव नहीं है ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश देश में क्षेत्रफल के हिसाब से 9 प्रतिशत है तथा जनसंख्या के हिसाब से 16 प्रतिशत करीब बैठता है । इतने बड़े प्रदेश में बिजली के उत्पादन तथा दूसरे काम को सही तरीके से चलाना आसान बात नहीं है । यह मानना पड़ेगा कि पहले से बिजली का उत्पादन काफी बढ़ चुका है, मैं आंकड़े दे सकता हूं । 79-80, 80-81 81-82 के मेरे पास आंकड़े हैं । 1978-79 में 10·30 मिलियन यूनिट उत्पादन था आज वह 11,648 मीलियन यूनिट है । यह बात अपनी जगह पर सही है जो हमारे उत्पादन की क्षमता है 3 हजार 700 है लेकिन उतनी बिजली हम पैदा नहीं कर रहे हैं । इस समय हमारी क्षमता का करीब 50 परसेन्ट उत्पादन हो रहा है । हम हिमालयन रेज से 20 हजार मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं और कोयले से 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं । यह बात अपनी जगह पर सही है कि हमारे यहां बिजली बोर्ड में 33 सौ इंजीनियर और एक लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके बावजूद सही तरीके से बोर्ड में काम नहीं हो रहा है । इस बोर्ड में 69-70 में 60 करोड़ का घाटा हुआ जो आज 426 करोड़ हो गया है तो हम इसे कहां तक बरदास्त करेंगे । हमें इस बात को देखना होगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन गलती कर रहा है ?

(समय 3 बजे अपराह्न)

जो छोटे लोग काम करना चाहते हैं उन्हें इनाम देना पड़ेगा और गलत काम करने वालों को सजा देनी पड़ेगी ।

मान्यवर, जो ब्रेकडाऊन हो रहे हैं उसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े पावर हाऊसेज हैं और जो 50 मेगावाट वाले पावर हाऊसेज हैं जहां ब्रेकडाऊन होने से सारे प्रदेश में नुकसान होता है तो इसको रोकने के लिये एक अलग यूनिट बनायें और ब्रेकडाऊन हो तो उसको वह देख सकें और ठीक कर सकें ।

मान्यवर, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि हमें बिजली के अतिरिक्त स्रोत देखने होंगे जिसके लिये मेरा सुझाव है कि बायोगैस, विंडमिल, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम आदि की योजनायें शासन को चलाना होगा ताकि वह बिजली पैदा करके बिजली की कमी को प्रदेश में पूरा कर सकें ।

इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि हमारी जो योजनायें हैं उनको टाइम बाउन्ड करें और देखा जाय कि हमारे संसाधन कितने हैं और उनके अनुसार योजनायें चलायें तो सही काम हो सकेगा ।

धन्यवाद ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि मुझे आपने उर्जा विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सभी मा0 सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि चिटबाजी कम करें और जो दलों के सचेतक हैं वे नाम भेज दें तो उस क्रम से बोलने के लिये कहें या फिर जो खड़े होंगे उनको मैं अपने विवेकानुसार पुकारा करूंगा और वही बोलेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय सुनील शास्त्री जी पता नहीं कैसे भूले भटके विद्युत विभाग में चले आये । मैं उनको याद दिला दूं कि जब शास्त्री जी के पास उर्जा विभाग था तो उन्होंने अपने जमाने में मैनपुरी जिले के बारे में एक फैसला दिया था कि वहां दो विद्युत खंड हैं, और दोनों के मुख्यालय मैनपुरी में हैं । विधायकों व जनता की मांग पर एक खंड शिकोहाबाद में ले जाने के लिये आदेश हुये थे लेकिन आदेश के बाद जो सम्बन्धित इंजीनियर थे वह यहां आये और विद्युत बोर्ड में अच्छी खासी रकम दी जिससे शिकोहाबाद में खंड न जा सका । तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां दो समानान्तर सरकारें चलती हैं-- एक मुख्य मंत्री की सरकार और दूसरी उसके समानान्तर सरकार शक्ति भवन में चलती है जिससे वहां पैसा देकर शिकोहाबाद में खंड न जा सके ।

मान्यवर, इसलिये सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीय वन अधिनियम के कारण आज पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर विद्युत उत्पादन में बड़ी कठिनाई महसूस की जा रही है । यह कैसी सरकार है, मेरी तो समझ में नहीं आता है । किस तरह का शासन चल रहा है कि यहां बजट पास करते हैं कि इतना काम अगले साल करना है और वहां एक दूसरे विभाग के अधिकारी हथियारबन्द होकर मौके पर खड़े हो जाते हैं कि यह काम नहीं होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलटी आप नहीं मानते हैं तो कलेक्टिव शेम तो मानें । तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि वन अधिनियम जो है, उसके कारण पहाड़ों पर कोई भी बड़ी लाईन ले जाना सम्भव नहीं रह गया है । वहां पर एक किलोमीटर भी कोई बड़ी लाईन ले जाना है तो उसके लिए दिल्ली से परमीशन चाहिए । वहां जब तक कोई बड़ी लाईन 33 के0 वी0 को 66 के0 वी0 का नहीं होगी, तब तक वहां पर गांव में बल्ब लगवाना व्यर्थ है बल्ब चिराग की तरह टिमटिमाते दिखाई देते हैं, जैसे हम लोगों को मुख्य मंत्री के दर्शन के लिए टार्च जलानी पड़ती है, सिवाय इसके कि आज जैसे घोषणा हो गई कि वह कहां हैं । इस विभाग के अन्तर्गत पहाड़ों पर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी कोई मिसाल नहीं है । 31-8-82 और 1-9-82 को रात्रि में गलबराय में 6 ड्रम बिजली का तार चोरी से जाते हुए कर्मचारियों ने पकड़वाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस दोषी जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार नहीं किया गया । उसको बचाने के लिए विभाग की गाड़ियां दौड़ती रहीं, टेलीफोन खटखाये जाते रहे और पौड़ी के इस केस में देहरादून में उसकी जमानत करवाई गई । इस मामले में सारे के सारे अधिकारी उसको बचाने में लगे हुए थे । ऐसा लगता है कि पता नहीं एक जे0 ई0 पकड़ लिया जाएगा तो मुख्य अभियन्ता की चोरी पकड़ ली जाएगी ।

आपके अधिकारी, बड़े-बड़े अधिकारी पहाड़ों में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और बड़े चुपके-चुपके जाते हैं । परिषद् के चेयरमैन गंगोत्री गये चम्बा में उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने जानना चाहा कि देखें यह कौन सज्जन की गाड़ी है । तो मालूम हुआ उसमें चेयरमैन आए हैं । उनके बारे में किसी को कोई पता

नहीं था । वे पहाड़ों में जाते हैं, जिसका जनता को कोई पता नहीं लगता है । मैं तो मंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि वह मुझे कुछ न दें, तो न दें । हमको पहाड़ों के लिए अलग से एक बिजली बोर्ड सिर्फ दे दें, जिस पर कोई भार न हो, कोई दायित्व न हो । क्योंकि जो यहां पर सेन्ट्रल स्टोर में सामान खरीदा जाता है, वह पहाड़ों के दूरदराज के स्थानों पर समय पर और भी कभी-कभी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर कोई कार्य कैसे हो । अब तक 10 करोड़ रुपया आपने हिन्दी का ले लिया, लेकिन 10 करोड़ में से 10 शब्द हिन्दी के आपका विभाग ठीक से लिखता तो मैं जानता तमाम चीजों और स्थानों के नाम इनके विभाग ने गलत लिखे हैं । जैसे बड़कोट को बराकोट, पौड़ी को पौढ़ी, तिलवाड़ा को तिलवारी, गैठा छेड़ा को गैथो छेरा और डोडीताल को दूरीताल आपके विभाग ने गलत तरह से लिख दिया है । ये अंग्रेजी में सोचते हैं और अंग्रेजी में सोचने के बाद हिन्दी में उसका उलटा कर देते हैं । इस विभाग का जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे जिले टिहरी में विभाग के तमाम काम ठप्प पड़े हुए हैं, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऊर्जा विभाग के प्रस्तुत बजट की मांगों के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(व्यवधान)

अभी उस पक्ष से रेवतीरमण सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया इसमें कोई शक नहीं कि आज के युग में बिजली की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी चीज की नहीं । आज किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति इसी बात से आंकी जाती है कि वहां कितना विद्युत् उत्पादन होता है और यह निरन्तर बढ़ती हुई मांग की प्रक्रिया है, जिसको पूरा करने में काफी समय और साधनों की आवश्यकता है । लेकिन इस सबके बावजूद मान्यवर देखना यह भी पड़ेगा कि क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दिशा में कारगर कदम उठा कर निरन्तर प्रयास किये गये या नहीं । इस दिशा में अगर देखा जाय, तो इसमें कोई शक नहीं कि काफी प्रगति हुई, यद्यपि कि आवश्यकता से कम । मान्यवर, भ्रष्टाचार की अभी बात कही गई, इसमें तो कोई शक नहीं कि विद्युत् परिषद् में ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है जैसा कि किसी अन्य विभाग में या समाज के किसी अंग में व्याप्त है । लेकिन इसके साथ-साथ विद्युत् परिषद् में कर्मठ, समर्पित भावना से काम करने वाले भी लोग हैं, जिनका उद्देश्य यह रहा है कि जनहित में काम किया जाय । मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि कमियां तो बहुत हैं, लेकिन एक जबरदस्त प्रयास हुआ, उन सब कामों के करने का ।

माननीय रेवती रमण साहब कह रहे थे कि केवल 50 हजार गांवों का विद्युतीकरण हो सका । इसमें कोई शक नहीं कि 50 हजार गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, वह लगभग 45 प्रतिशत है, उस संख्या का जो हमारे यहां गांव की है । लेकिन इस सरकार का निर्णय यह है कि 1991-92 तक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

विद्युतीकरण कर दिया जायगा । अगर आप भी संख्या लें, जो 59 में थी, जब विद्युत् परिषद् का गठन हुआ, तो शायद केवल 856 गांव थे, जिनका विद्युतीकरण हुआ था । यह भी सही है कि हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण 20 हजार हो पाया । 59 का अगर आंकड़ा लें, जब विद्युत् परिषद् का गठन हुआ, तो उस समय प्रदेश की एक भी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ थी । उस अनुपात में आप देखें तो एक ऐसी उपलब्धि है, जिस पर संतोष किया जा सकता है । मान्यवर, बहुत सी बातें कही गयीं कि बिजली के उत्पादन में कमियां हैं । लेकिन उसके बाद भी सुधार की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है । लाइन लासेज की बात कही गयी । इसमें कोई शक नहीं कि लाइन लासेज के मामले में निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है । लेकिन इस प्रदेश की विद्युत् परिषद् ने जो इस दिशा में प्रयास किये हैं, उनकी भी सराहना होनी चाहिये । 1973-74 में लाइन लोसेज 18.17 प्रतिशत था, जो अब 1981-82 में 18.72 प्रतिशत हो गया । मान्यवर, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । कभी-कभी कुछ ऐसी बात होती है, जो समझ में नहीं आती है । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास खंड राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में विद्युत् आपूर्ति कलांन, जिला बदायूं से होती है, जो राजेपुर से 45 किलो मीटर दूर है । फतेहगढ़ केवल 13 किलो मीटर दूर है । कलांन के बजाय वहां फतेहगढ़ से बिजली दे दी जाए, क्योंकि कलांन से जो बिजली आती है, वह खराब होने की स्थिति में 7-7 दिन तक नहीं आती है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर और लाइन मैन को कलांन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है और वह दूसरा जिला भी है । विद्युत् वितरण खंड, फतेहगढ़ के अधिशासी अभियन्ता ने 1980 में इस कार्य के कराने में माइनस 7 लाख, 253 रु0 का इस्टीमेट दिया था, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यह कार्य भी आज तक नहीं हो पाया, जब कि इसमें विद्युत् परिषद् को 7 लाख 253 रुपये की सामान की बचत होगी और राजेपुर विकास खंड की बिजली की अव्यवस्था भी सदैव के लिए समाप्त हो जायगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, बिजली के ऊपर महिलाओं का भी ख्याल रखें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

[3 बजकर 20 मिनट]

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बिजली विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इससे हमारे देश और प्रदेश का विकास हो सकता है । लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि पहले जब हमारे माननीय शास्त्री जी विद्युत् मंत्री थे तो वह विकास और प्रगति के रास्ते पर जा रहे थे और कुछ सराहनीय काम करने का प्रयास कर रहे थे परन्तु दुर्भाग्य हमारे देश का है कि इस प्रदेश में चार-चार बार मंत्रियों का गठन हो । मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहती हूं । आपका जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, हमारी माननीया प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिसको जारी किया है उसकी एक कड़ी यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाय । लेकिन गांवों में केवल खम्भे खड़े कर

दिये गये हैं और लाइन नहीं खींची गयी है । खंभे में तार लगाये नहीं गये हैं और बिजली नहीं लगी है । एक बात मैं बड़े जोरदार शब्दों के साथ कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार हमेशा यह प्रशंसा किया करती है कि हम लोग गरीबों की तरक्की कर रहे हैं और विकास और प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं । लेकिन हरिजन बस्ती में, सभी लोग जानते हैं कि खंभे लगे हैं लेकिन न तो तार है न बल्ब लगे हैं और अंधेरा है । गांव में भी पूरी तरह से विद्युतीकरण नहीं किया गया है । कहीं-कहीं पर केवल 2, 4 बस्तियों में बिजली लगाकर छोड़ दिया गया है । किसानों को बिजली नहीं मिल रही है बहुत से किसानों को बिजली के अभाव में उनकी फसल सूख रही है । बहुत से नलकूप ऐसे हैं जहां बिजली उसमें नहीं लगी है और बिजली के अभाव में किसान बड़े परेशान हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र कौड़ीराम क्षेत्र जो है वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इंटीरियर इलाका है । वहां पर बिजली का कोई साधन नहीं है । माननीय मंत्री जी हमारी बात जरा ध्यान से सुनिये । अभी हाल की ही बात है वहां पर एक घटना घट गई । वहां बिजली की आवश्यकता है । वहां एक लड़के का मर्डर डकैती में हो गया है । वहां पर बिजली न लगने के कारण अंधेरा है । अंधेरे की वजह से घटना हो गई है । उनकी मांग है बिजली लगा दी जाय । मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि वहां पर बिजली जरूर लगा दी जाय । हमारे क्षेत्र कौड़ीराम ब्लाक में वह गांव पड़ता है पकहपुर । मैं एक बात गोरखपुर की सिसवा बाजार क्षेत्र की कहना चाहती हूं । वहां पर एक लाइन मैन है । उसने 5 ट्रांसफारमर चोरी कर लिए हैं । ओझा जी ने आग्रह किया कि आप कह दीजियेगा । उनके क्षेत्र का मामला है । 5 ट्रांसफारमर लाइन मैन ने चुरा लिये हैं । उसका नाम श्री उपाध्याय है । (लालबत्ती जलने पर) मान्यवर, 2 मिनट का समय मुझको और दे दीजिये । एक साल हो गया है कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो इस पर कार्यवाही की जाय । मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली की आवश्यकता है । मैं इस बात को पुनः दोहरा रही हूं कि गांवों में बिजली की आवश्यकता है वहां अंधेरा रहता है ।

मान्यवर, आप कहते हैं कि 24 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया तो पाया कि कहीं-कहीं हफ्ते में केवल 2-3 घंटे ही बिजली दी जाती है ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने भाई माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री शम्भू नाथ---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सदस्य को किसी बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अवसर अवश्य मिलना चाहिए । यह न हो कि किसी सदस्य को हर बजट पर बोलने का मौका मिले और किसी सदस्य को एक पर भी नहीं । आप इस पर ध्यान देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता---

सब समय व्यवस्था में ही चला जाये ।] तकोई बोलेगा कैसे । आप बैठें ।

श्री राजकुमार राय---

मान्यवर, एक नाम तो तैयार ही करना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राय साहब, आप बैठें ।

श्री रूप राम---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें मुझे और ज्यादा खुशी होती, अगर इस बजट में जो अनुदान मांगा गया है, उसमें एक रुपया और बढ़ा दिया गया होता, यदि ऐसा रखा होता। मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि बिजली का प्रदेश में संकट है । लेकिन, यह भी सही है कि यहां के शक्ति भवन में जो अधिकारी लोग बैठ हुए हैं, उन्हें यह नहीं मालूम है कि किसानों को जो बिजली दी जाती है वह उन्हें किस समय दी जाय और किस समय न दी जाय ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आप सुझाव तो दें कि किस वक्त बिजली दी जाय ।

श्री रूप राम---

मैं अभी उसी पर आ रहा हूं । मान्यवर, जब जाड़े के दिनों में ठंडी हवाएं पछुआ बर्फीली हवाएं किसानों को लगती हैं, तब यह बिजली काश्तकार को दिन के बजाय रात में देते हैं । अब आगे गर्मी आने वाली है, गेहूं की मड़ाई होने वाली है, जिस समय दोपहरी होगी, लू चल रही होगी उस समय बिजली देंगे । तब यह हमारे अधिकारी, चेयरमैन और मंत्री वातानुकूलित कमरों में बैठे होंगे उन्हें यह पता नहीं रहेगा कि हमारे इन काश्तकारों को बिजली किस समय मिल रही है या नहीं ।

मान्यवर, आजकल हमारे जनपद शाहजहांपुर में बिजली की एक विषम परिस्थिति हो गयी है । हमारे विद्यार्थियों की निकट भविष्य में परीक्षाएं होने जा रही हैं, लेकिन रात दिन बराबर किसी को यह नहीं मालूम है कि बिजली किस समय आयेगी या किस समय बिजली जायेगी । मान्यवर, मंत्री जी के बजट भाषण में कहा है कि देहातों में हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को माननीय मंत्री जी को कि आप हमारे साथ चलें और देखें कि देहात में एक घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें कि बिजली काश्तकार को मिल रही है या नहीं ।

मान्यवर, इस बार आपने जो बिजली की दरें बढ़ायीं इसका स्वागत करता हूं अगर आपने 22 से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया होता लेकिन बिजली आपके पास 4 घंटे को नहीं है और 12 रु0 से बढ़ाकर आपने 15 रु0 कर दिया और उसके बाद साढ़े 22 रु0 कर दिया । मेरा सुझाव है अगर बिजली आपके पास नहीं है तो आप काश्तकारों के लिये मीटर पद्धति को चालू करिये और जितनी बिजली वह खर्च करेगा उतने का पेमेंट करेगा । नहीं तो एक दिन यह होगा कि उन किसानों में बहुत बड़ा असंतोष होगा और वह बहुत बड़ा आन्दोलन करके इस सरकार को

मजबूर करेगें जो आपने बढ़ोत्तरी की है उसे वापस लीजिये। साथ ही जो माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे सुझाव पर मंत्री जी पुनः विचार कर लें ताकि किसानों की जो समस्या है उसका निदान हो सके। जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है इसमें 2 अरब 34 करोड़ 22 लाख 75 हजार का है। मैं समझता था कि जो धनराशि दी गई है विद्युत् परिषद् के लिये वह कम है अगर 2 की जगह एक और बढ़ा दिया होता 12 करोड़ कर दिया जाय तो भी वह कम होगा। मैं इन शब्दों के साथ आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली के बजट पर बोलने का समय दिया।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् परिषद् उर्फ सफेद हाथी पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपने चन्द सुझाव देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी हम लोगों की बातों को चन्द घंटे सुनने के बजाय आपस की बातचीत में ज्यादा मशगूल हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वह हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की कृपा करें। मान्यवर, जब इस प्रदेश में रामनरेश यादव की सरकार थी तो 12 रु0 प्रति हा0 पा0 बढ़ाकर 15 रु0 प्रति हा0 पा0 किया गया और जनता पार्टी के शासन काल में जब माननीय बनारसी दास की सरकार आयी तो उसने 15 रु0 प्रति हा0 पा0 से घटाकर 12 रु0 कर दिया लेकिन जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और सत्तारूढ़ हुए। तो 12 रु0 प्रति हा0 पा0 से बढ़ाकर 15 रु0 प्रति हा0पा0 का कर दिया। मान्यवर, यह उनकी चालाकी कहिये या राजनीतिक दांव कहिये इसके बाद विद्युत् परिषद् ने जो प्रस्ताव बनाकर दरों की वृद्धि हेतु भेजा उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया किन्तु वर्तमान मुख्य मंत्री ने 15 रु0 के स्थान पर साढ़े 22 रु0 प्रति हा0पा0 कर दिया। मान्यवर, घरेलू बिजली पर 45-55 पैसा किया व्यवसाय में 75 से 85 किया और लघु उद्योग 45-50 पै0 पर यूनिट किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों के हमी होने का दावा हम भी करते हैं और यह भी करते हैं, अगर मैं यह कहूं कि हमी दावा करते हैं तो वह तथ्य से परे बात होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि जब किसान को बिजली देने का वक्त आता है तो घंटे कम दिये जाते हैं और दर 15 रु0 हा0 पा0 से बढ़ाकर साढ़े 22 रु0 कर दिया गया। दरें और जगह भी बढ़ाई जाती हैं लेकिन वहां एक रुपया 2 रुपया बढ़ाया जाता है लेकिन आपने तो 15 रु0 से सीधे साढ़े 22 रु0 कर दिया जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। हमारे जनपद के माननीय सदस्य रूप राम जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जनता आन्दोलन करेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता को मजबूर कर रहे हैं आन्दोलन करने के लिये और वह जनता आपके खिलाफ बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिये मजबूर होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो जो दरें बढ़ी हैं उन पर आप पुनर्विचार करें ताकि किसानों को राहत मिल सके। क्योंकि मान्यवर, आज किसान गांवों में अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन कटवाने की दरख्वास्त दे रहा है। मान्यवर, जब 15 रु0 थी तब तो किसान का खेत नीलाम होता था उसकी फसल कुर्क होती थी वह पेमेन्ट नहीं कर पाता था अब कैसे करेगा। जब किसान 15 रु0 नहीं दे पा रहा था तो साढ़े 22 रु0 कैसे दे सकेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह--]

जी मीटर पद्धति पर विचार कर लें या और कोई पद्धति अपने सफेद हाथी के माध्यम से तय कर लें, जिससे किसानों की राहत दी जा सके। अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। आज दो साल के अन्दर 15 सौ करोड़ के घाटे में यह पहुंच गया और जिस समय जनता पार्टी का शासन था, 6 करोड़ के घाटे में था। इसलिए कहीं न कहीं लीकेज है, कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। अपव्यय बहुत बड़ा कारण है। कर्मचारियों की, जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा लिये पड़े हैं। कोई रख-रखाव ठीक नहीं है। इंजीनियर्स जो हैं, उनका राजसी रहन-सहन है, इस लिए भी इसमें बड़ा घाटा हो रहा है। दूसरा है बिजली की चोरी। इसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लेकर नीचे तक के लोग शामिल हैं। कुछ पर तो आपके अधिकारियों की निगाह है और कुछ पर नहीं है।

इसके अलावा जो ठेकेदार लोग हैं, इंजीनियरों से मिली-जुली सांठ-गांठ है इससे भी घाटा हो रहा है, चोरी हो रही है। आपके इस परिषद् के अध्यक्ष हैं, मित्तल साहब, इन्होंने एक आदेश दिया था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अधिशासी अभियन्ता तैनात थे श्री एस0 के0 गुप्त, के लिए, जो इस समय विद्युत् निर्माण खंड, लेसू में कार्यरत हैं। जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कंडक्ट रूल, 1956 है, इसके नियम 24 (2) एवं 3 (1) के अन्तर्गत परिषद् के आदेश संख्या 2982, दिनांक 4-7-1981 द्वारा दोषी पाये गये थे और इन को तीन सजायें दी गई थीं, श्री गुप्ता को, पहली थी कि इनकी वेतन में एक वार्षिक वेतन वृद्धि हमेशा के लिए रोकी गयी, दूसरी सजा थी वार्षिक चरित्र पंजिका में सेन्सर इन्ट्री कर दिये जाने के आदेश तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा हुए थे साथ ही साथ 5 वर्ष की अवधि तक फील्ड में जहां-जहां जन सम्पर्क एवं फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन हो रहा हो, वर्जित रखने के आदेश हुए थे। परन्तु ये आज भी विद्युत् निर्माण खंड, लेसू में कार्यरत हैं। इन आदेशों के बावजूद ये फील्ड में आज काम कर रहे हैं और 18 फर्जी फर्मों के, विनोद कुमार सिंह द्वारा जो एक ही परिवार के हैं, एक ही मालिक के नाम से चल रही हैं, ये अभियन्ता काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

हमारे यहां, शाहजहांपुर में थर्मल प्लान्ट की योजना बहुत दिनों से विचाराधीन है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने उत्तर में जरूर बता दें कि जो विचाराधीन था वह अब किस स्तर पर है और उसकी क्या प्रगति है? इसकी जानकारी आप अवश्य अपने भाषण में दें।

*श्री भोला पांडेय--

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा बजट पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। जो कटौती का प्रस्ताव श्री रेवती रमण सिंह जी ने रखा था, मैं, उनका सम्मान हृदय से करता हूं लेकिन ऐसा लगा उनके कटौती के प्रस्ताव को सुनने के बाद कि जब वह शासन कर रहे थे, विद्युत् मंत्री थे, उस समय से और इस समय के बीच में जो मानसिकता बनी थी उनकी, वह बदल चुकी है। इन्होंने बताया कि, अपने भाषण के दौरान, 6 सौ गांवों में विद्युतीकरण किया गया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 4 हजार गांवों में प्रस्तावित था और यह बड़े हर्ष की बात है कि 4 हजार के प्रस्ताव के बाद उस प्रस्ताव के एवज में 5153 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और इसके लिए यह सरकार वास्तव में बधाई की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पात्र है । हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है, कहा गया । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के विचाराधीन था 2222 गांवों का, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा और उसके एवज में 2581 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है । इन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में कहा कि उत्पादन में घटोत्तरी हो रही है । मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि उत्पादन में घटोत्तरी हो रही है । घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी माननीय रेवती रमण सिंह जी जानें, लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार 1,130 जेनरल मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ करता था जनता शासन में, अब 11,752 जेनरल मिलियन यूनिट उत्पादन हो गया है । 1980 में विद्युत बोर्ड गठित करने की योजना सरकार ने बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाये और किस तरह से वितरण व्यवस्था सुधारी जाये । उसके गठन में यह स्पष्ट था कि वितरण व्यवस्था और उत्पादन में वृद्धि ही इसके गठन का कारण है । परन्तु जूनियर इंजीनियर और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारी ऐसा समझते थे कि सरकार डिवाइड एंड रूल की पालिसी चलाकर छोटे कर्मचारियों को दबाने का प्रयास कर रही है । एक समझौता इस सम्बन्ध में हुआ । ब्रह्मदत्त जी उस समय विद्युत मन्त्री थे, उन्होंने प्रमुख नेताओं को बुलाकर एक समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर हुये । छोटे कर्मचारियों का कहना है कि जो समझौता हुआ है, उसके हिसाब से कार्यवाही नहीं की जा रही है । इनसे असन्तोष हुआ इस सरकार में माननीय श्री पति मिश्र जी ने विद्युत विभाग अपने हाथ में लिया उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया । उन्होंने कहा कि जो भी समस्यायें हैं, चाहे वह उत्पादन निगम को भंग करना हो, चाहे वितरण व्यवस्था के संचालन के सम्बन्ध में हो, यह कमेटी निर्धारित करेगी, जिससे छोटे कर्मचारियों में असन्तोष न हो । रेवती रमण सिंह जी ने बताया कि ऊंचाहार में 420 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, जो नहीं हो रही है । मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि 55 लाख रुपये का रोज घाटा हो रहा है, ऊंचाहार परियोजना के न चलने पर ।

मान्यवर, दो मिनट समय और लूंगा । गांव की बात कहना चाहता हूं गांव में श्रीमन्, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये । नलकूपों पर विशेष कर जो निजी नलकूप है, उनमें किसानों को चाहे बिजली दी जाये या नहीं, सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिल ठोक दिया जाता है । इसकी जांच कराने की नैतिक जिम्मेदारी है । रेवती रमण जी ने कहा कि जनता शासन में 18 घंटे बिजली दी जाती थी । बुलन्दशहर में जरूर बनारसीदास जी के जमाने में मिलती थी, 18 घंटे बिजली । आज डी0 आई0 जी0 सेल काम कर रहा है, जिस तरीके से उसको देखें । वितरण व्यवस्था सुधारने से होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वितरण व्यवस्था सुधारने की जरूरत है । इन शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं और प्रस्तुत बिजली के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में 2-4 बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, बजट पर चर्चा हो रही है सारे आंकड़े घाटे और फायदे के आये, इन पर न आकर केवल दो-तीन बातें कहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि शहरों में चौबीस घंटे और ग्रामों में 10 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। इस पर आपत्ति हुई। जो दलील दे रहे हैं, इसकी जांच करा लें। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं पहुंच रही है। जांच कराने के लिये तैयार नहीं हुये फिर भी कह रहे हैं कि चौबीस घंटे और दस घंटे बिजली दी जा रही है। लेकिन माननीय मन्त्री जी इस बात पर तैयार नहीं हुये कि इसकी जांच करा लें। बराबर इस बात पर अड़े रहे कि हम 24 घंटे और 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इस बात की जांच करा लें कि वास्तव में गांवों में 10 घंटे बिजली दी जा रही है या नहीं। मान्यवर, अब आप विद्युत् विभाग के कार्यालयों को ले लें जो पूरे प्रदेश में फैले हुये हैं। यदि कोई काश्तकार अपने निजी नलकूप के लिये लाइन लेना चाहता है तो वह किस प्रकार से आपके विद्युत् विभाग के कार्यालय में भटकता है तो निश्चित रूप से जो आप यह बिजली विभाग देख रहे हैं, इससे आपको इस्तीफा दे देने की इच्छा होगी। यह जो विद्युत् विभाग की फौज आपकी है, वह आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, आपको वह कुछ नहीं मानती है। आपके आदेश उत्तर प्रदेश विद्युत् बोर्ड के लिए निल हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके जो आदेश होते हैं किसानों के हित को देखकर कड़ाई से उन पर पालन कराया जाय। यह सरकारी मशीनरी जो आपको स्टेटमेन्ट दे देती है, उसके आधार पर आप बयान देकर हम लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इस सम्बन्ध में आप विचार करें।

मान्यवर, दूसरी बात हमारे जनपद में एक सोहावल ताप बिजलीघर है, जिसके सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी उठाया था कि वह 7-8 महीने से ठप पड़ा हुआ है। राख न हटाये जाने की वजह से विद्युत् उत्पादन ठप हो गया है और इस ताप बिजली घर से जिन जनपदों को बिजली सप्लाई होती थी, वह भी नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मान्यवर, अब मैं अपने टान्डा क्षेत्र में 440 मेगावाट का जो थर्मल प्लान्ट लगा हुआ है, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसकी जांच कराई गई थी, जिसमें कम से कम 20 अधिकारियों को आपने दोषी करार दिया और माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया कि जितने भी दोषी अधिकारी होंगे, उनको हम दण्डित करेंगे। लेकिन आपको, उनको दण्डित करने की हिम्मत नहीं पड़ी, आपकी हैसियत नहीं थी कि उनको दण्ड दे दें। उन कर्मचारियों से आप दबे हुये हैं, उनके ऊपर आपका डण्डा काम नहीं कर पायेगा। जो अधिकारी दोषी हैं, उन्हें आप दण्डित करें यदि आप उनको दण्डित नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रमोशन रोक दें। इस विभाग में तो सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि 10 लाख रुपये का गबन हो गया तो उसे चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। आज विद्युत् विभाग में सारे अधिकारी सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मान्यवर, अभी दो-तीन दिन पहले हमारे एक अतारांकित प्रश्न के बारे में आपने जवाब दिया था कि उक्त परियोजना का नामकरण डा० भीम राव अम्बेदकर

के नाम से नहीं करेंगे, इस परियोजना का नामकरण किया जा चुका है । माननीय मंत्री जी ने आज ही कहा--टाण्डा ताप-बिजली घर । मैं पूछना चाहता हूं कि किसके नाम से आपने इसका यह नामकरण कर दिया । आपको इस परियोजना का नामकरण, डा0 भीम राव अम्बेदकर के नाम से करने में क्या आपत्ति हो रही है । वह हिन्दुस्तान के एक विद्वान विधिज्ञाता और योग्य आदमी थे । जो आप यह संजय गांधी का नाम ले रहे हैं, इस बात को आप न कहें ।

(व्यवधान)

(श्री बिहारी लाल के कुछ कहने पर ।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय श्री बिहारी लाल जी, माननीय श्री शम्भू नाथ जी, आज तक किसी भी बजट पर नहीं बोले हैं, इस लिये उन्हें बोलने दीजिये ।

श्री शम्भू नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । विद्युत् का उत्पादन प्रदेश में सबसे आगे है, उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं । मैं विशेष तौर से माननीय श्री शास्त्री जी को जो तत्कालीन राज्य ऊर्जा मन्त्री रहे हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विद्युत् में काफी सुधार लाने के लिये प्रयास किया ।

आज देश और प्रदेश में विद्युत् आम जनता का जीवन है । किसान को, उद्योग को, छोटे उद्योग को बड़े उद्योग को सबको विद्युत् की आवश्यकता पड़ रही है । विद्युत् का रेट जो बढ़ाया गया है, 15 रु0 पर हार्स पावर से 22 रु0 पर हार्स पावर किया गया है यह किसान के हित में नहीं है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से किसानों की तरफ से यह मांग करना चाहता हूं कि जो बढ़ोत्तरी की गयी है, उसको घटाकर 15 रु0 पर हार्स पावर ही रखा जाय और साथ ही साथ जो बकाये में छूट दी गयी है उसको बकाये में वसूल किया जाय, लेकिन विद्युत् दर न बढ़ायी जाय । 10 घंटे जो विद्युत् किसानों को देने की घोषणा की गयी है और मिल रही है, वह रात के बजाय दिन में दी जाय । विद्युत् विभाग में सुधार लाने की आवश्यकता है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने संकल्प लिया है कि मैं सुधार लाऊंगा और जो दोषी अधिकारी है चाहे वह कितना भी बड़ा होगा, उसके खिलाफ ऐक्शन लूंगा ।

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राना जी, बोलने दें, वह पहली बार बोल रहे हैं ।

श्री शम्भू नाथ--

जिन गांवों में बिजली दी गयी है वहां की हरिजन बस्तियों में वहां कोई तार खराब है और कहीं खम्भा उखड़ा हुआ है, वह ठीक नहीं हो पा रहा है । उसको ठीक कराने की जरूरत है ।

[श्री शम्भू नाथ--]

विद्युतीकरण के लिये 3 हजार रु0 हरिजन बस्तियों में देने का प्राविधान है । मैं चाहूंगा कि बिजली के खम्भों की व्यवस्था की जाय ताकि गांव में पुरवे में बिजली की व्यवस्था उचित ढंग से हो सके ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

(राज्यपाल दीर्घा की ओर देखते हुए ।)

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है आज ऊर्जा का बजट है और ऊर्जा विभाग के सारे बड़े अधिकारी गायब हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । सबसे बड़ी अव्यवस्था आप यह कर रहे हैं कि जो अपेक्षा आपसे नहीं की जाती । नियमों के अनुसार आपको दीर्घा की ओर नहीं देखना चाहिये और न उसका नोटिस लेना चाहिये ।

श्री शम्भू नाथ--

किसानों को 3 ह0 पा0 देने के लिये मना कर दिया गया है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी निर्देश दें कि 3 ह0 पा0 तक जो किसान लगाना चाहे, उसे कनेक्शन दिया जाय । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

मैं माननीय रेवती रमण सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि यह सरकार जैसे हर क्षेत्र में फेल है बिजली के क्षेत्र में भी असफल सिद्ध हुई है । जन विरोधी नीतियां अपना रही है किन्तु बड़ी गम्भीर बात है कि पिछले साल हमारे किसानों की रबी की फसल खेतों में भीग कर सड़ गयी, खरीफ की फसल सूखे से तबाह हो गयी, हमारा किसान जब रबी अभियान में जाता है तो कागजी घोड़े दौड़ते हैं लेकिन किसान को तबाह करने के लिये इस सरकार ने बिजली का रेट, जो 15 रु0 था, उसको बढ़ाकर 22.50 रु0 कर दिया ।

इससे बड़ी किसान विरोधी नीति और क्या हो सकती है ? साथ ही यदि जब किसान बिजली लेना चाहते हैं तो उस पर जबर्दस्ती 5 हार्स पावर से कम लेने वाले पर रोक लगा दी है, ताकि किसान बिजली ले ही न सके और यही नहीं 3 हार्स पावर तक भी जो बिजली लेना चाहे उस पर भी आपने रोक लगा रक्खी है । अब इससे बढ़कर निन्दा की बात और क्या हो सकती है ? सरकार आखिर अपनी क्षमता के अनुसार बिजली क्यों नहीं पैदा कर रही है, इसका क्या औचित्य है और इसका आपके पास क्या जवाब है ? जवाब यही है कि यह सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूंजी पतियों की सरकार है और पूंजीवादी व्यवस्था इस बिजली विभाग में भी कर रही है तथा घाटे और मुनाफे की पालिसी को यह देख रही है और ऐसे रेट्स किसानों की छाती पर चढ़कर लाद रही है, जिससे उनके छोटे-मोटे उद्योग भी नष्ट हो जाएं। यह पालिसी है इस सरकार की।

मान्यवर, मैं मऊनाथ भंजन से आता हूं। वहां के छोटे-मोटे जितने भी उद्योग हैं, वह सब के सब इसी इस बिजली नीति के कारण चौपट हैं, वहां का पावर लूम का उद्योग तथा अन्य छोटी-छोटी इकाईयां बिल्कुल तबाह हो रही हैं और हमारे सारे उद्योगों का आज जनाजा निकल चुका है और निकल रहा है इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों आज हमारे बिजली विभाग में इस कदर करप्शन है कि मऊनाथ भंजन में एक पावर स्टेशन एक स्कूल की जमीन को लेकर बनाया गया था, जिसमें 15 मेगावाट का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन उसको सरकार बंद करना चाहती है, अगर वहां पर ऐसा हुआ तो और यह रास्ता अगर अपनाया गया तो वहां के समस्त छोटे-बड़े उद्योग तथा इकाईयों के लोग इसका विरोध करेंगे। साथ ही हम आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जो एक नयी योजना दोहरी घाट पर आप खोलने जा रहे थे, उसे कब से चालू करने जा रहे हैं। दूसरा निवेदन मान्यवर, मेरा यह है कि जो लाईन-मैन आपके लाइनों पर चढ़ते हैं और वहां से गिर कर मर जाते हैं, उनके वारिसों को मुआवजा तक नहीं दिया जाता है, जिसे बिजली विभाग के बड़े-बड़े डाकू हड़प जाते हैं, यदि रखिये यदि यों ही स्थिति रही तो एक दिन यह पूरे हिन्दुस्तान...

(शोर)

अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ऊर्जा के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया और मैं श्री रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, विद्युत देश और प्रदेश की गति है तथा समग्र विकास विद्युत पर ही आधारित है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, छोटे-छोटे गांव या बड़े-बड़े शहर हों, सबका विकास विद्युत पर ही निर्भर करता है। इसलिए इस ओर जो शासन की नीति है इसके बढ़ाने की गांव-गांव खेतों व नगरों आदि में अपने आप में निश्चित रूप से अद्वितीय है, लेकिन वहीं पर कुछ विडम्बनाएं भी हैं, जिसकी तरफ मैं आपके माध्यम से शासन का एवं निगम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मान्यवर, आप स्वयं भी बड़े प्रबुद्ध हैं और मान्यवर, कानून के विषय की जानकारी इस आदरणीय सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य रखते हैं कि कांट्रैक्ट दो तरफा हुआ करता है, एक तरफा नहीं और यह चीज हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में आप देखें कि कांट्रैक्ट एक तरफा कहीं भी नहीं हो सकता है।

(समय 4 बजे अपराह्न)

लेकिन विद्युत विभाग के अन्दर जो भी चीजें होती हैं वह केवल उपभोक्ता पर ही लागू होती हैं। उपभोक्ता की तरफ से विद्युत विभाग कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। आप विद्युत का दर को बढ़ाते हैं और किसानों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

पैसा ज्यादा लेते हैं। आपके पास साधन नहीं हैं, आपका खर्चा बराबर हो रहा है, व्यय बढ़ रहे हैं तो इसका कुछ और औचित्य हो सकता है, आप गरीब किसानों से ही क्यों उसे वसूल करना चाहते हैं ? आज गरीब किसान के सामने मूल्य की समस्या है। उसका जो अनाज होता है वह कम कीमत का होता है और वही अनाज जब व्यापारियों के पास होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मान्यवर, मैं ऊर्जा मन्त्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप गरीब किसान को कौन सी चीज देते हैं ? बिजली आपकी उसको कितने मिनट और कितने घंटे दी जायेगी, इन दोनों बातों के लिये आप समय निर्धारित कर दें अपनी क्षमता के अनुसार कि जो आपकी क्षमता है, जो आपके साधन हैं, जो आपकी शक्ति है, उसके अनुसार आप उसको बिजली देने के लिये सही समय का निर्धारण अवश्य कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि अपनी बात को आप दूसरों के ऊपर लादें।

मान्यवर, हमारी सरकार एक समाजवादी सरकार है, उसने यह कहा था कि हम गरीबों की ओर से धनी की ओर चलेंगे, हम शहरों की तरफ से नहीं बल्कि गांवों की तरफ से हम शहरों की तरफ चलेंगे। इसके कार्यान्वयन में हमने सबसे पहले हरिजन बस्तियों को बिजली दी। इस सम्बन्ध में शासन की ओर से एक आदेश भी हुआ था। मैंने स्वयं श्री सुनील शास्त्री जी से बातचीत की थी जब वे ऊर्जा विभाग के राज्य मन्त्री थे तो मुझे पता चला था कि विद्युत विभाग का खर्चा जो था वह पहले 3,000 था जो कि अब 5,000 हो गया है। मैं कहता हूं कि आज बजट के अंश में आपकी स्पष्ट घोषणा इस सम्बन्ध में होनी चाहिये कि दरअसल अभी तक यह 5,000 क्यों नहीं हुआ है। हम लोग झूठे पड़ जाते हैं जब हम इंजीनियरों से कहते हैं कि फलां जगह पर बिजली दो, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब 5,000 हो गयी है। तो वह कहते हैं कि अभी हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं आये हैं। तो लगता है कि यह निगम अपने माननीय मंत्री जी का आदेश या शासन की बातों को नहीं सुनता और उनके आदेशों को बहुत दिनों तक लटकाये रहता है। मैं चाहूंगा कि इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी अभी करा देंगे।

मान्यवर, बिजली की बहुत सी योजनायें बनाई गयीं पन बिजली की और थर्मल पावर स्टेशन। इसके लिये बहुत पहले प्रदेश का सर्वेक्षण हुआ नदियों का, रेलों का तथा और आवश्यकताओं को देखते हुए यह सर्वेक्षण किया गया। इसी सिलसिले में पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट थर्मल पावर स्टेशन की योजना लगायी गयी जिससे गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में बिजली मिली थी। लेकिन आज तक इसके लिये आपकी पुस्तकों में ही 420 मेगावाट बिजली की बात थी और वह 420-सी बन कर रह गयी है। आज ढाई साल हो गये इस बात को पर ऊंचाहार की योजना और अन्य कई जगहों की योजना जहां पर ज्यादा फोर्स पड़ा वहां आज की राजनैतिक विद्वेषता को ध्यान में रखकर नहीं किया और पूर्वान्चल में थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना अभी तक आप नहीं कर पाये।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी द्वारा मांग रखी गयी हैं उसपर माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मान्यवर, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, समर्थन केवल औपचारिकता मात्र के लिए ही नहीं कर रहा हूं। इनके विभाग में जो कमियां हैं और जो त्रुटियां हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गोन्डा में आनन्द बिहारी श्रीवास्तव हैं, उनका पत्र मिला वर्ष 1982-83 में जनपद में 324 निजी क्षेत्र में नलकूपों को अर्जित करने का लक्ष्य है। यह पत्र मुझे मिला है, कि वहां पर नलकूपों की डिमान्ड ही नहीं है, इसलिए 15-20 नलकूपों को अर्जित किया गया है। मैंने अपने एक विकास क्षेत्र के गांवों के नाम दिए थे जहां पर कम से कम 300 ऐसे किसान हैं जिन्होंने दरख्वास्त दिया है कि वहां पर बिजली की आवश्यकता है। आपके विभाग में इस प्रकार के झूठे काम करने वाले अधिकारी रहेंगे तो आप का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पायेगा, आप चाहे जितनी कोशिश करें। यह आपके लक्ष्य को पूरा नहीं होने देंगे। आपके लक्ष्य में इस प्रकार से कटौती हो रही है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी मांगों में कटौती कर दी जाये।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि इन अधिकारियों ने बिजली को एक व्यापार बना लिया है। उत्पादन कम है और उसकी मांग अधिक है। इसलिए आपके अधिकारी पैसा लेकर बिजली सप्लाई करते हैं। औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग अधिक हैं। तो उत्पादन जब कम होता है और मांग अधिक होती है तो आप उन्हीं लोगों को बिजली देते हैं जो आपकी जेबों को गर्म करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो निर्णय लिया है कि अब बिजली का उत्पादन अधिक होगा तो, इससे आपकी नीतियां गलत हो जायेगी। आप अपने अधिकारियों पर काबू कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल माननीय मंत्री जी ने गोन्डा जनपद के मुख्य राप्ती परियोजना, जो मिनी हाईडिल परियोजना पचपेड़वा में है, उसकी संस्तुति आपने की थी और वहां पर कम से कम 25 मेगावाट बिजली बननी थी आपने वहां की साइट को भी सेलेक्ट कर लिया था वहां पर बोर्ड भी लग गया है, परन्तु अब मालूम हुआ है कि वहां पर वह परियोजना अब नहीं बनगी और बिजली का उत्पादन नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की यह नीति है कि इन सभी मिनी हाइडिल प्रोजेक्ट पर काम किया जाये और भारत सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। वहां इस योजना को केवल इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वहां से विरोधी पक्ष के विधायक चुन कर आये हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि बलरामपुर में थर्मल पावर की 7 मेगावाट की यूनिट लगी है परन्तु वहां पर केवल 2 मेगावाट बिजली ही उत्पन्न हो रही है, 6-6 महीने वह बन्द ही रहती है। श्री विश्वनाथ-प्रताप सिंह जो पहले मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वहां की मशीनों को बदला जायेगा जिससे उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़े। इन शब्दों के साथ में फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वृद्धि नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारीहूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, पिछले 3 वर्षों में बिजली की काफी बढ़ोतरी हुई है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वृद्धि नारायण सिंह--]

और उत्पादन भी बढ़ा है । मान्यवर, आज यह 13·2 तक बढ़कर पहुंचा है । पिछले साल अप्रैल से बिजली की जो कटौती थी उसको समाप्त कर दिया गया है । और मान्यवर, 15 करोड़ रुपय की जो बचत की गयी है । आज से 3 साल पहले जब हम यहां पर आये थे तो उस समय जो उत्पादन था, जो वितरण था और जो आज उत्पादन और वितरण है, उसमें काफी अन्तर है और इसमें सुधार हुआ है। उत्पादन बढ़ा है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ी है लेकिन वहीं पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज इसके लिये अपेक्षा की जाती है, जो आज इसके लिये आवश्यक है, जो हमारा उत्पादन और वितरण का कार्य है निरीक्षण का कार्य है वह उतने प्रभावी ढंग से नहीं चल रहा है जितना उसे चलना चाहिये । मान्यवर, इसमें ब्रेक-डाउन भी होते हैं । तीन-तीन और चार-चार दिन तक और कहीं 15-15 दिन तक वैसे ही बिजली की लाइन बन्द रहती है । इसके सम्बन्ध में कई बार कमेटियां भी बनी हैं, उसकी देखरेख होने के बावजूद भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है ।

इसके साथ ही साथ हम हरिजन बस्तियों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि जिन बस्तियों का हम विद्युतीकरण करते हैं उसमें यदि तीन सौ घर हैं तो केवल आधे गांव तक ही विद्युतीकरण हो पाता है । उसके लिये बड़ी खींचातानी होती है । कोई कहता है, इस तरफ ले जाइये कोई कहता है उस तरफ ले जाइये । इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी मंत्री जी को पत्र लिखा था और आज भी बल देता हूं कि जिस गांव का आप विद्युतीकरण करें उसका सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण करें । मकान के हर दरवाजे पर लाइन पहुंचाई जाय । कई जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि पिछले समय में जो विद्युतीकरण हुआ, उसके लिये बल्लियां लगा दी गईं और दो-तीन साल के अन्दर वह बल्लियां धराशायी हो गई । कई जगहों पर इन लाइनों के होने से दुर्घटनायें भी हुई हैं और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है । मान्यवर, आज विद्युत का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है वितरण से ज्यादा हम कनेक्शन मंजूर करते हैं और उसमें भी कठिनाई होती है । बिजली के वितरण के घन्टे इस वजह से कम हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैंने गत वर्ष भी कहा था और माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वाराणसी जैसे विशाल जिले में ज्ञानपुर में उपभोक्ताओं की बिजली की अधिक मांग को देखते हुये वहां पर एक अतिरिक्त खन्ड कायम किया जायेगा । तीन वर्ष हो गये हैं वह आश्वासन कागजों पर ही बना हुआ है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, शास्त्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, वे इसकी छानबीन करें और देखें । मुझे जानकारी मिली है कि इस सम्बन्ध में शासनादेश भी किये गये । जिले के अधिकारी गांवों में दौरे पर इसलिये नहीं जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वहां उनको रहने की असुविधा होगी । जिससे कि सारे शासनादेश कागजों पर ही रह जाते हैं उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है । दूसरी बात यह है कि गांवों में जो बिजली के बिल आते हैं तो लोगों को दो-दो सौ और डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर दूर अपने पांच-पांच और 10-10 रुपये के बिजली के बिलों को जमा करने के लिये जाना पड़ता है । आपने कहा कि उद्योगों के लिये शत प्रतिशत कटौती है । मैं कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों को बिजली के कनेक्शन के लिये लोगों को इन्तजार करना पड़ता है । जो बुनकर होते हैं या साधारण आदमी होते हैं उनको काफी समय तक कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उनको प्राथमिकता

के आधार पर उन्हें बिजली देने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राधे श्याम पटेल--

मान्यवर, बिजली जो कि आज एक जीवन का आधार है और पूरे प्रदेश के विकास का मापदन्ड बिजली से ही किया जा रहा है वहीं पर यह दुख की बात है कि हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति बहुत ही कम बिजल उपभोग की जा रही है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो जो बिजली का आज प्रति व्यक्ति उपभोग है हमारे यहां सिर्फ 86·57 है जब कि पूरे भारत का औसत प्रति व्यक्ति उपभोग 130·48 है। इसकी तुलना में अगर हम अपने यहां देखें तो हमारे यहां सारे भारत के औसत के मुकाबले में आधी बिजली पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के मुकाबले में तो चौथायी बिजली ही एक व्यक्ति पर आती है। इस प्रकार अगर देखा जाये तो बिजली के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां नगण्य ही रही हैं। आजादी के 36 वर्षों के बाद भी प्रदेश में बिजली की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गांवों में दो घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल रही है और वह भी लगातार नहीं मिलती। जो उपलब्धि बिजली की सरकार द्वारा बतायी जाती है वह वास्तविकता के आधार पर गलत निकलती है। वह कहीं भी दिखायी नहीं पड़ती। विद्युत गृहों पर जो बिजली उत्पन्न होती है वह अधिकतर तो उनके संयत्रों के चलाने में ही खर्च हो जाती है। हमारे यहां केवल 23 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है जिसमें से सिर्फ 8 मिलियन यूनिट किसानों को, 11 मिलियन यूनिट उद्योगों को और 4 मिलियन यूनिट शहरों में दी जा रही है। सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक आय कृषि से ही होती है और यह दुख की बात है कि किसानों के लिये केवल 8 मिलियन यूनिट बिजली ही दी जा रही है। वह भी किसानों को एक निश्चित घण्टों में नहीं दी जाती है। इस कारण किसान उसका भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राधेश्याम पटेल--

विद्युत की सप्लायी जब तक किसानों के लिये निश्चित घंटों में नहीं की जायेगी उसका किसान इस्तेमाल नहीं कर पायेगा। जो कर्मचारियों और अधिकारियों की बढ़ोत्तरी विभाग में हो रही है उसे रोका जाय। बिजली विभाग में घाटे को रोका जाये। बिजली की चोरी को रोका जाये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इधर के और उधर के, अपने बहुमूल्य सुझाव दिये ।

श्री हर देव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

आप कृपया बैठें । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा । आप कृपया बैठिये ।

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

माननीय हरदेव जी, आप बैठिये ।

(4 बजकर 20 मिनट)

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी तत्काल यह व्यवस्था करायेंगे कि गांवों में कम से कम 10 घंटे बिजली अवश्य दी जाय केवल विद्युत् परिषद् के दफ्तर के कागज में यह दब कर न रह जाय ।

एक बात और कहूंगा चेयरमैन के सेलेक्सन के सम्बन्ध में जो विद्युत् परिषद् का चेयरमैन सलेक्ट होता है उसे कम से कम 5 साल तक के लिए होना चाहिये इसी तरह से मेम्बरों के लिए भी सलेक्सन 5 साल के लिए होना चाहिए । ताकि वह अपने कार्यों के लिए एकाउन्टेबल रहे और उसके कार्यों का विश्लेषण किया जाय । हर साल उनको न बदला जाय । मुझे दुख है कि मैंने एक इंजीनियर मि० ए० के० शाह को भारत सरकार से बुलाया था लेकिन यह उनको रोक नहीं पाये उनको प्रताड़ित किया गया और यह यहां से छोड़ कर एन० टी० पी० सी० में चेयरमैन होकर पूरे हिन्दुस्तान से चले गये ।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आज हमारे यहां लाइन लौसेज 18·33 परसेन्ट हैं मैं चाहता हूं कि इसमें कमी की जाय। माननीय मंत्री जी आज बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि मैंने अपने समय में बड़े-बड़े उद्योगपतियों की जैसे जय-पुरिया, बिड़ला, सिंहानियां और मोदी जैसे उद्योगपतियों की बिजली काट दी थी लेकिन जब कांग्रेस शासन हुआ तो किसी की बिजली नहीं काटी गयी और गरीबों की, किसानों की बिजली काटी जा रही है। आपसे आग्रह है कि इस चोरी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायं और जो चोरी में पकड़ा जाय उसे जैसे रेलवे में तत्काल सजा दी जाती है उसी तरह सजा दी जाय। इसके लिए अगर नियमों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वह की जाय।

इसके साथ ही साथ एक बात और कहनी है। इस समय जो आपका बकाया है वह करीब एक सौ साढ़े 23 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारी सरकार ने जब मैं मन्त्री था उस समय 82 करोड़ के बकाये से 62 करोड़ हो गया था और आपकी सरकार आने के बाद वह 62 करोड़ से एक सौ साढ़े 23 करोड़ हो गया है। इसका कारण यह है कि यह काम एकाउंट डिपार्टमेंट नहीं करता है बल्कि आपने इसके लिए एक इंजीनियर नियुक्त कर दिया जो जल्दी-जल्दी अपना तबादला कराकर चला जाता है और यह वसूली नहीं हो पाती है इसलिए इसे एकाऊंट विभाग को दिया जाय ताकि सुचारुरूप से वसूली हो सके।

इसी तरह से जो योजनायें चला रहे हैं उसमें स्लिप नहीं होना चाहिये दो-दो चार-चार साल करके समय बढ़ जाता है इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है और उसके साथ ही जो ऊर्जा से हमको पैसा मिलता है उसका भी नुकसान होता है। यह जो टांडा, परीछा, आनपारा और ऊंचाहार की योजनायें हैं यह भी समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं सुझाव दूंगा कि जो टेंडर हैं उनका निस्तारण वहीं पर हो जाना चाहिये ताकि काम जल्दी हो सके। लेकिन वह टेन्डर यहां विद्युत् बोर्ड में आते हैं और बहुत से तो मंत्रि परिषद् में आते हैं और साल दो साल तक पड़े रहते हैं इससे काम में देरी होती है।

इसके साथ ही मैं कर्मचारियों की बात कहना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाय जैसे रेलवे में सुविधा दी जाती है, उनको भ्रमण के पास दिये जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाय। इसके साथ ही साथ उनको आवास की भी सुविधा दी जाय। जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं जिनको 5, 6 सौ रुपया मिलता है उनका 150 रुपया कम से कम मकान किराये में निकल जाता है।

इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं उनका ख्याल करते हुए किसानों के हित में, गरीबों के हित में साढ़े 22 रु0 का जो रेट रखा है उसे खत्म करेंगे।

इसी तरह हमारे यहां करीब 4 लाख हरिजन बस्तियां हैं उनमें से केवल 20 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि उन 4 लाख बस्तियों के लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे और जल्दी से जल्दी बिजली गावों में पहुंचायेंगे।

[श्री रेवतीरमण सिंह--]

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो गांव में विद्युतीकरण की स्कीम है उसमें आप संशोधन करेंगे और पूरे गांवों में विद्युतीकरण करेंगे यह नहीं कि आधे गांव में विद्युतीकरण करके कागजी कार्यवाही पूरी कर दें ।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुये माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि मंत्री जी हमारे सुझावों को देखते हुये आज सदन में कुछ घोषणा करेंगे जिससे जनता को पता चले कि वास्तविक रूप में जब मंत्री जी ने बजट में भाषण किया है तो कुछ किया है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को कायम रखते हुये चूंकि मंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा नहीं किया है कि उनकी नीति से हम और माननीय सदन संतुष्ट हो जायें, इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हमारी बातों को मान लें ।

*श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव से मुझे अवगत कराया और जिसके फलस्वरूप जो निर्णय उत्तर प्रदेश शासन को और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को लेना है उसमें काफी हद तक सहायता और सहयोग मिलेगा ।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारी विद्युत् वितरण की समस्या है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ जिक्र भी किया कि सही मात्रा में विद्युत् की आपूर्ति ग्रामीण अंचल में नहीं हो रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् चिंतित है और प्रयास कर रहा है कि हम अधिक से अधिक जो सब-स्टेशन्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाय। जो 10 से 15 किलोमीटर में सब स्टेशन्स का निर्माण हुआ है उसे और कम एरियाज में उनका निर्माण किया जाये जिससे जो ट्रिपिंग होती है और ओवरलोडिंग सबस्टेशन्स पर हो जाती है उसमें कुछ राहत मिल सके। इस दिशा में हम लोगों ने अब तक 40 सब-स्टेशन्स में 98·5 एम0 पी0 ए0 की कैपेसिटी बढ़ाई है। यही नहीं यह सुनिश्चित करने के लिये कि बिजली मिल रही है कि नहीं या ट्रान्समीशन जो होता है, वह सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं, उसे देखने के लिये माइक्रोवेव लिंक की भी यहां पर स्थापना कर दी गयी है और इस समय लखनऊ और पनकी के 400 के0 वी0 सब स्टेशंस के साथ लिंकेज है और तेजी से कार्य चल रहा है कि इस लिंकेज को सुल्तानपुर और ओबरा थर्मल पावर के बीच स्थापित कर दें। इस समय प्रदेश में 4 कन्ट्रोल--रुड़की, साहूपुर, मुरादाबाद और पनकी में हैं जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् की आपूर्ति कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में 400 के0 वी0 के 4 सब-स्टेशंस हैं, 220 के0 वी0 के 17, 132 के0 वी0 के 121, 33/11 के0 वी0 के 953 सब स्टेशन्स हैं जिनके माध्यम से सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत् रजिस्टर्स जो मेन्टेन हो रहे हैं उसमें जो बिजली यहां से निर्धारित करते हैं उसे वह मेंटेन करें और सही मात्रा से फीडर पर बिजली उपलब्ध करायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, माननीय सदस्य शाहजहांपुर को मैं बताना चाहता हूं कि शाहजहांपुर क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्युत् वितरण के सम्बन्ध में कुछ बातें उन्होंने कही कि वहां पर 220 के0 वी0 के सब स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। और इस समय 86 प्रतिशत कार्य उसमें पूरा हो चुका है और इस सब-स्टेशन के निर्माण के बाद शाहजहांपुर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि उसके आस-पास के सभी क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से की जा सकेगी। उन्होंने शाहजहांपुर के रोजा, जो थर्मल पावर का एक प्रोजेक्ट था और हमारे माननीय सदस्य राय जी ने दोहरीघाट में थर्मल पावर परियोजना के बारे में कहा, हम लोगों का पूरा इरादा था और इसी संकल्प के साथ हमने केन्द्र सरकार को लिखा था, लेकिन सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने हमारी दोनों प्रोजेक्ट्स को फिलहाल अभी मंजूर नहीं किया है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है और जारी रखेंगे और चाहेंगे कि यहां पर जो पावर हाउसेस कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता मिले।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के बारे में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये, उनको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् विचार कर रहा है कि किस तरह से अधिक से अधिक एल0 टी0 लाईन बिछाकर हम गांवों के विद्युतीकरण का कार्य करें, क्योंकि जब एल0 टी0 लाईन बिछती है तो वहां पर गांव में जो हरिजन बस्ती होती है, उसमें विद्युतीकरण आसानी से किया जा सकता है। यह प्रयास किया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक विद्युतीकरण ग्रामीण अंचलों में करें। हमारी प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र यह भी है कि हर गांव-गांव में हमको बिजली पहुंचानी है। इसके साथ 50 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सन् 1991-92 तक इस कार्य को तेजी से करके पूर्ण रूप से शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाए।

यहां पर हमारे कुछ साथियों ने कलेक्टेड-लोड के सम्बन्ध में कहा कि जहां आपकी 3,694 इंसटाल्ड कैपिसिटी है वहां पर आपका लोड, 5,800 लोड का दे रखा है। इस सम्बन्ध में मैं आपको बता दूं कि लोड की हर समय आवश्यकता नहीं होती है--किसी क्षेत्र में लोड की आवश्यकता है तो दूसरे क्षेत्र में आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए फ्लैक्सिबिलिटी फैक्टर इसमें रहता है और इसको देखते हुए हम लोगों को जो मैक्जिमम--ज्यादा से ज्यादा लोड की आवश्यकता पड़ती है वह 2,300 से 2,400 के बीच पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, जब हमारे पास नये कनेक्शंस की अप्लीकेशंस आती हैं, तो हम उस पर विचार करते हैं। यही नहीं हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि जो भी अधिक से अधिक लोड हम लोग निजी नलकूपों और स्टेट ट्यूब वेलों को दे सकें, हम उनको दें। इसको ध्यान में रखते हुए हम उन्हें अधिक से अधिक देते हैं, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि हमें अगर अधिक से अधिक विकास कृषि के क्षेत्र में लाना है, किसानों के लिए अधिक से अधिक सुविधा हमको उपलब्ध करानी है, तो हम उनको अधिक से अधिक बिजली दें। इस दृष्टिकोण से हम लोग एक अप्रैल, 1983 से यहां पर एक सेप्रेट-सेल स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से हम निजी नलकूपों, निगम के नलकूपों और स्टेट ट्यूबवेलों के विद्युतीकरण का कार्य सम्भालेंगे।

[श्री सुनील शास्त्री--]

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में भी बहुत से लोगों ने कहा कि यह कार्य सन्तोषजनक नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रदेश में इसके 7 जोंस हैं, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर के देखरेख में चलते हैं, जिनको हम चीफ जोनल इंजीनियर कहते हैं। इन सब जोंस में इसके लिए एक टारगेट निर्धारित किया जाता है कि आपको इस साल इतने गांवों का बिजलीकरण करना है। हमको यह बताते हुए खुशी होती है कि जहां हमारे वाराणसी जोन के लिए 1,033 गांवों का लक्ष्य था, उसने 1,165 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। यही नहीं, हमारे लखनऊ क्षेत्र में जिसका लक्ष्य 451 रखा था, वहां पर 627 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। नैनीताल में जहां 468 गांवों का विद्युतीकरण था, वहां पर 521 गांवों का अब तक कर दिया है। यहां पर माननीय सदस्यों ने कुछ ट्रांस्फारमर्स की चोरी के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा कि इस पर शासन विचार करे। तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर भी ट्रान्सफारमर्स बदला जाता है, उसका लेखा-जोखा रखा जाता है। जब ट्रान्सफार्मर नया लगता है, तो भी उसे इन्ट्री किया जाता है और अगर किसी स्थान पर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही वहां के जो भी अधिकारी या कर्मचारी होंगे, उनके विरुद्ध करेंगे।

हमारे एक माननीय सदस्य ने राप्ती और गंडक के ऊपर एक हाइडिल पावर हाउस के बारे में भी कहा कि यह राज्य विद्युत् परिषद् इस पर विचार नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस पर हमारा सिंचाई विभाग विचार कर रहा है और इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि वहां पर हमारा एक पावर हाउस इस प्रकार का बने। मान्यवर, यहां पर हमारी परियोजनाओं में जो स्लिपेज हुआ है, जो देरी हुई है, इसके बारे में हमारे माननीय सदस्य रेवतीरमण जी ने कहा, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि यह स्लिपेज हमारे समय में ही नहीं हुआ है, बल्कि यह कई वर्षों से, जब से प्रोजेक्ट बनाना प्रारम्भ हुआ है, तब से स्लिपेज होता रहा है। बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, कोई भी नया काम शुरू किया जाता है, तो कठिनाइयां आती हैं। लेकिन उसको डटकर मुकाबिला करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए हमारा प्रदेशीय सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जहां-जहां पर स्लिपेज हुआ है, वहां पर मानीटरिंग करके उसको दूर किया जाय। प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए जहां पर आवश्यक है, उसके लिए कार्यवाही की जाय। हमारी इन सब योजनाओं में जो स्लिपेज हो रहे हैं, उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। और अपने सीमित साधनों के माध्यम से बिजली हम सबको सुलभ कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अन्त में यहां पर जो वृद्धि हुई है, विद्युत दरों पर, उसके सम्बन्ध में भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने, दोनों पक्षों के, उन्होंने अपने-अपने विचार यहां पर व्यक्त किये।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारे जनपद फैजाबाद में सोहावल तापीय विद्युत् गृह चल रहा था, उसमें काफी दिनों से विद्युत् उत्पादन बन्द है। मैं जानना चाहता हूं कि उसको कब शुरू करायेंगे। दूसरी बात, हमने पिछले दिनों में एक प्रश्न किया था, कि क्या, टान्डा

तापीय विद्युत् परियोजना का नामकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृपा बतायें कि किसके नाम से नामकरण किया गया है ? वह मेरा प्रश्न अतारांकित में मान्यवर, आया था । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका नामकरण किसके नाम से किया गया है ? और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से नामकरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह विद्युत् विभाग आपके चार्ज में था, तब मैंने एक प्रतिवेदन दिया था और प्रश्न भी किया था कि हमारे जनपद बलिया में सब-स्टेशन, कोटवा नरायनपुर है । वह गाजीपुर के नियंत्रण में है वहां से इसकी बिजली सप्लाई होती है । गाजीपुर वाले सारी बिजली स्वयं ले लेते हैं, वह कोटवा--नरायनपुर जाने नहीं देते हैं । यह सोहाव ब्लाक के अन्दर बलिया जनपद में पड़ता है । वहां पर फीडर लगाने के लिए जमीन एक्वायर की गयी थी । आज भी बलिया जनपद से बराबर लिखा-पढ़ी आपके बोर्ड से हो रही है । इस फीडर की 6 ट्राली खराब है । तथा समयानुसार विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पाती है । कि कोटवा नारायण पुर व इस इलाके को बिजली देने के लिये बलिया में सोहांव ब्लाक में फीडर लगा दे, इससे जो गाजीपुर से बिजली सप्लाई होने में नुकसान होता है उससे गला छूट जाय । क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहेंगे ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य वर्मा जी ने टांडा विद्युत् परियोजना के नाम के बारे में कहा है । तो मान्यवर, न केवल, उनके लिये ही डा0 अम्बेदकर महान हैं बल्कि वह पूरे देश के लिये महान व्यक्ति हैं । जितना भी उन्होंने इस देश के लिये कार्य किया है, आज ही नहीं, आगे आने वाले समय में भी देश के लोग उनको याद करते रहेंगे । उनके नाम पर बहुत सी योजनायें और बड़े-बड़े संस्थान हमारे पूरे देश में हैं । जहां तक टांडा परियोजना की बात है । उसका नामकरण संजय गांधी तापीय विद्युत योजना किया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं इस नामकरण का घोर विरोध करता हूं और सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, बलिया के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने बात कही है इस मामले को दिखवा लिया जायगा और प्रयास किया जायगा कि वहां पर एक सब स्टेशन की स्थापना की जाय ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह गलत परम्परा पड़ रही है ।

श्री अध्यक्ष--

समय बहुत कम है । वह अगर बैठते नहीं हैं तो मैं मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैंने मन्त्री जी से निवेदन किया है, पहाड़ों की विशेष परिस्थितियां हैं, क्या माननीय मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि पहाड़ों के लिये अलग से बिजली बोर्ड की स्थापना की जायेगी ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये हम लोगों ने माइक्रो डिल प्रोजेक्ट्स बनाये हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जहां तक बिजली के तार और ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं पहुंच रही हैं उसके आस-पास माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्ट्स बनायें और बिजली उपलब्ध करायें । अन्त में मैं बिजली की दरों के बारे म कहना चाहता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करा दें ।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मन्त्री जी को टोकना पड़ रहा है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने झांसी में वहां पर मन्डल की मीटिंग के समय घोषणा की थी कि सम्पूर्ण बुन्देलखंड में बिजली का कंजम्पशन बहुत कम है, 30 मेगावाट है इसलिये वहां पर 24 घंटे बिजली चलेगी । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस आदेश का पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में अभी भी हम लोगों का निर्णय है और उस आदेश पर वहां बिजली 24 घंटे दी जाय इसमें कोई परिवर्तन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं है । जैसा मैंने पहले बताया था कि कहीं-कहीं पर ट्रिपिंग वगैरह के कारण बिजली नहीं पहुंचती है तो सब स्टेशनों के माध्यम से इसमें सुधार के लिये प्रयास किया जा रहा है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बहुत से लोगों ने 75-76 में पैसा जमा कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने वहां पर पैसा जमा कर दिया है उनको कब तक कनेक्शन दे देंगे । वह उद्योग लगाना चाहते हैं । लोगों ने पैसा लगा रखा है उनका काम रुका हुआ है । तो मन्त्री जी क्या उनको इस वर्ष कनेक्शन दे देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हम किसानों के ऊपर और उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली की दरों में वृद्धि करके बोझ डालना नहीं चाहते थे । लेकिन इसके बहुत से कारण हैं जिसके सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं । 1970-71 की तुलना में आज 81-82 में कोयले में जो इन्क्रीज हुआ है तो वह इन्क्रीज 324.4 परसेंट है ।

इसी प्रकार खनिज तेल पर 412.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मशीनरी एवं यातायात संयंत्र के ऊपर 163.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी प्रकार जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरत होती है, उस सभी में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है । पिछले सितम्बर और इस सितम्बर में ही आप देखें तो 14.46 प्रतिशत की वृद्धि कोयले के मूल्य में, प्रति टन में हुई है । रेल भाड़ा में भी प्रति टन 44.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तो, इन सब बातों को देखते हुए, हमारे विद्युत उत्पादन का खर्चा जो दिन प्रति दिन बढ़ रहा था, उसकी पूर्ति के लिए, हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि हम अपनी दरों में वृद्धि करें । मान्यवर, यह जो चीजों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है, उसको देखते हुए हमें 84 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन फिर भी हमने इन बढ़ी हुई दरों के माध्यम से केवल 66 करोड़ रुपए प्राप्त करने की बात आपके समक्ष रखी । अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जहां हमने औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं पर 117 से 225 प्रतिशत की वृद्धि की है, वहीं काश्तकारों पर हमने केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि की है । इस तरह से जो 22 रुपए 50 पैसे दर प्रति अश्व शक्ति रखी गयी है, यदि 2-3 घंटे भी बिजली दे दी जाय, तो यह दर पूरी हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए, माननीय रेवती रमण सिंह जी से यह निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान को सर्वसम्मति से पारित होने दें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री रेवती रमण सिंह, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

नहीं मान्यवर, प्रश्न नहीं उठता क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कोई घोषणा नहीं की ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--उर्जा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--उर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 34, 22, 75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली, श्री श्याम लाल बाजपेयी की प्रदेश में हथगोलों का प्रयोग पटाखों के रूप में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी, श्री जटाशंकर सिंह की लखनऊ में होटल कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में, चौथी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री खैरुल बशर की शासन द्वारा सात समाचार-पत्रों को बिना कारण बताए विज्ञापन बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में, पांचवी, श्री किरन पाल सिंह की उन्नाव के निकट मोटर सायकिल दुर्घटना में घायल युवक की मेडिकल कालेज, लखनऊ में मृत्यु के सम्बन्ध में, छठीं, श्री सत्यपाल सिंह की प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इन सबको देखने के बाद, जहां तक सत्यपाल सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है, उसमें नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य लगा हुआ है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, नियम 51 के अन्तर्गत मैंने श्री श्याम लाल बाजपेयी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । बाकी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

जिला लखीमपुर खीरी के मुहल्ला पोशी टोला में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा) —

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रशेखर, निवासी मोहल्ला आचार्य टोला, कस्बा व थाना खीरी, जिला खीरी ने दिनांक 15 फरवरी, 1983 को सुबह 6-30 बजे थाना खीरी पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उस दिन सुबह 6 बजे वादी जब जाग कर अपने मकान के बाहर आया एवं पड़ोसी श्री द्वारिका प्रसाद के घर में रोने-चिल्लाने की आवाज सुन कर उनके घर पहुचा, तो देखा कि द्वारिका प्रसाद, उनकी पत्नी श्रीमती विटाना, उनके लड़के राम शकर एवं हरिशंकर व श्रीमती रूपरानी घायल मरे पड़े हैं एवं श्रीमती पुष्पा देवी जख्मी पड़ी हैं। इस प्रकार हत्या 5 व्यक्तियों की हुई है न कि 6 व्यक्तियों की। ज्ञात हुआ है कि श्री द्वारिका प्रसाद को रूपरानी अपनी जायदाद देना चाहती थी जिसके कारण रूपरानी के देवर व भतीजे इनसे सख्त रंजिश मानते थे। उक्त सूचना के आधार पर थाना खीरी पर मुकदमा अपराध संख्या 41 धारा 302/307/452 भ0दं0वि0 पंजीकृत करके तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई। उक्त घटनास्थल थाने के बगल में नहीं वरन् थाने से एक फर्लांग की दूरी पर है।

घटना की सूचना पाते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विवेचक द्वारा मृतकों के शवों को पंचायतनामा तैयार करके शव विच्छेदन हेतु भेजा गया। घायल श्रीमती पुष्पा देवी को उपचार हेतु सदर अस्पताल खीरी भेजा गया। पुलिस के अथक् प्रयास के फलस्वरूप दिनांक 16 फरवरी, 1983 को मामले से सम्बन्धित चार अभियुक्तों (1) श्याम लाल (2) लल्लूराम (3) श्रीमती सितारा देवी (4) श्रीमती सुरखावती को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। श्रीमती पुष्पा देवी को भी विवेचना में धारा 120बी, 302, 201 भा0 दं0 वि0 का अभियुक्त पाया गया है और उसकी निगरानी के लिए अस्पताल में पुलिस लगा दी गई है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियोग की विवेचना में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।

इस घटना को लेकर आम जनता में आतंक की स्थिति नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया केस तो वर्कआउट हो गया यह तो अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें खीरी थाने की पुलिस का निकम्मापन मंत्री जी ने स्वीकार किया है। मंत्री जी ने कहा कि उक्त घटना थाने के बगल में नहीं थी बल्कि एक फर्लांग दूर पर थी। शायद माननीय मंत्री जी ने उस थाने को न देखा हो लेकिन मुझे दसियों बार उस थाने को देखने का मौका मिला है जिस थाने के अन्तर्गत यह घटना हुई है उसकी दीवाल से 50 कदम की दूरी पर यह स्थान है लेकिन घुमकर जो रास्ता गया है वह हो सकता है कि एक फर्लांग हो, मैं जानना चाहता हूं कि 5 व्यक्तियों की हत्या हो रही थी गोलियां चल रही थीं उसकी आवाज हुई मुहल्ले के लोग आ गये साढ़े 6 बजे प्रातः पड़ोसी पहुंचे तो क्या शासन ने इस मुद्दे पर भी जांच कराया कि थाने से 50 कदम पर घटना हो रही है बन्दूकों की आवाज थाने में नहीं पहुंची और अगर पहुंची तो तत्काल पुलिस क्यों नहीं पहुंची अगर पहुंच गई होती तो वह घायल अवस्था में मिल जाता

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

और हो सकता था कि उपचार से उसकी जान बच जाती, इस बिन्दु पर जांच कराया है तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और थाने की पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो विषय गुप्ता जी ने उठाया है इस पर जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा प्रश्न जो मैंने उठाया उस मुद्दे पर मन्त्री जी ने बताया कि विचार नहीं किया कि पुलिस दोषी थी । उनको दिखवा लेंगे । मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि आज इस परिस्थिति में सब गिरफ्तार हो गये हैं और रूपवती नामक महिला का बयान भी लिया गया और लोगों को पकड़ लिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर विचार करायेंगे कि यह सही नहीं है कि पुलिस मौके पर जांच करने नहीं गई और बयान दूसरे से ले लिया । जब एस0 पी0 ने जाकर खुद बयान लिया तो मामला वर्कआउट किया और जो तथ्य आयें, क्या इसकी जांच करा कर जो तथ्य प्रकाश में आयेगा उसके अनुसार थाने की पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

केस वर्कआउट हो गया है । एस0 पी0 गये और विशेष अनुसंधान शाखा गया और वर्कआउट किया यह बात सही है कि स्थानीय पुलिस ने कुछ शिथिलता बरती, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये पुष्पा देवी द्वारिका की कौन हैं और इसके पूरे परिवार को मरवाने का क्या कारण था ?

श्री गुलाब सेहरा—

यह रिश्ता तो नहीं लिखा है । यह उनके परिवार की हैं ।

इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

(मद संख्या 11 पुकारे जाने तथा माननीय सिंचाई मन्त्री जी के सदन में अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस को स्थगित करता हूं क्योंकि मन्त्री जी नहीं हैं । और मैं खासतौर पर यह कहना चाहूंगा कि जब उनकी मद आये तो उन को यहां उपस्थित होना चाहिये ।

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 55 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
2 मार्च, 1983

पी0 एस0 यू0 पी0—46 वि0 सभा—10—10—83813—(पी0 डी0 ।)